






48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस 22-23 अप्रैल, 2022 सीएपीटी, भोपाल

माननीय श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का संबोधन



पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो



ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव द्वारा मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत



तकनीकी प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का रोबो द्वारा स्वागत



48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 22-23 अप्रैल, 2022 केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का संबोधन



कृपया YouTube पर सुनने हेतु स्कैन करें



'उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन'

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	समारोह/आयोजन	पृष्ठ संख्या
1.	पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 22-23 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आयोजित 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का संबोधन	1
2.	माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का दिनांक 04 अप्रैल, 2022 को दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 पर लोक सभा में संबोधन	9
3.	माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 पर राज्य सभा में संबोधन	31
4.	Address by Hon'ble Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah Ji in the inaugural function of 48 th All India Police Science Congress, organized by Bureau of Police Research and Development at CAPT, Bhopal on 22- 23 April, 2022.	49
5.	Address by Hon'ble Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah Ji on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 in Lok Sabha on 04 th April, 2022.	61
6.	Address by Hon'ble Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah Ji on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 in Rajya Sabha on 06 th April, 2022.	87

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से. महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O) Fax : 91-11-26781315 Email : dg@bprd.nic.in





पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development Ministry of Home Affairs, Govt. of India National Highway-8, Mahipalpur, New Delhi-110037

संदेश

भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, माननीय श्री अमित शाह जी ने दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल में आयोजित 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान काँग्रेस में अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई । इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय मंत्री महोदय ने ब्यूरो द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्यों की सराहना की ।

पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस की सार्थकता पर बोलते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि बढ़ते हुए साइबर अपराध एवं इसी तरह के विभिन्न अपराध, देश के सभी राज्यों के लिए एक समान चुनौती हैं, इसके लिए रणनीति बनाने एवं एक वाक्यता के साथ काम करने के लिए बीपीआरएंडडी द्वारा आयोजित पुलिस विज्ञान कॉंग्रेस पूरे देश की पुलिस को एक मंच पर लाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।

माननीय मंत्री जी ने बीट पेट्रोलिंग, डाग स्कवाड, हॉर्स स्कवाड, खबरी प्रणाली आदि को पुनः प्रचलन में लाने पर बल दिया । साथ ही बीपीआरएंडडी द्वारा बनाए गए मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो की भी सराहना की और कहा कि आने वाले दिनों में इसका उपयोग बहुत अच्छे से हो सकता है । उन्होंने कहा कि पुलिस साइंस काँग्रेस समन्वय के लिए, समाधान ढूंढने के लिए और निष्कर्षों को जमीन पर उतारने के लिए महत्वपूर्ण मंच है।

मंत्री महोदय द्वारा क्रमशः 06 अप्रैल, 2022 को राज्य सभा में और 04 अप्रैल, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 पर अपना ऐतिहासिक संबोधन दिया गया । अपने इन संबोधनों में उन्होंने विधेयक पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला जिसे सदन ने ध्वनि मत से सम्मति प्रदान की । इन तीन अवसरों

पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के संबोधन "ब्यूरो दर्पण" के खंड-।। में प्रकाशित हैं।

(बालाजी श्रीवास्तव) महानिदेशक

उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन



पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा दिनांक 22-23 अप्रैल, 2022 को सीएपीटी, भोपाल में आयोजित 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह जी का संबोधन



मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बाहर निकाल कर विकसित राज्य की ओर ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है ऐसे श्रीमान शिवराज सिंह जी, मोदीजी के मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री अजय कुमार मिश्रा जी, श्री निशिथ प्रामाणिक जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा जी, बीपीआरएण्डडी के डीजी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, अपर महानिदेशक श्री नीरज सिन्हा जी और आज इस पुलिस विज्ञान कांग्रेस में आए हुए सभी प्रतिभागी, भाईयों और बहनों एवं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारीगण।

आज 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस अभी से शुभारंभ होकर दो दिन तक चलती रहेगी। अलग-अलग विषयों पर यहां पर चर्चा होनी है। श्री बालाजी ने बहुत विस्तृत रूप से इसकी रूपरेखा आपके सामने रखी है, तो मैं इसमें जाना नहीं चाहता परंतु वर्ष 2019 में लखनऊ में हुई पुलिस कांग्रेस के बाद यह पुलिस साइंस कांग्रेस मध्यप्रदेश में हो रही है। इस बीच हमारा देश और दुनिया एक बहुत कठिन काल से गुजरी है। सदी की सबसे भीषण और जानलेवा महामारी का सामना देश और दुनिया ने किया है। देश और दुनिया में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है और कोरोना से देश भर में लगभग चार लाख से अधिक पुलिसकर्मी और सीएपीएफ के कर्मचारी, अधिकारी भी संक्रमित हुए हैं। लगभग 2,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और इस कालखंड के दौरान देश की पुलिस का एक अलग प्रकार का चेहरा देश की जनता के सामने आया है। पुलिस के कार्य कभी प्रशंसा के पात्र हैं इस प्रकार की बात बहुत लंबे समय से सुनाई नहीं पड़ी थी मगर मैं आज देश भर के पुलिस बलों का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जहां पर भी जाते हैं वहां पुलिस के कार्यकलापों की भूरी-भूरी प्रशंसा की जाती है। पुलिस का एक मानवीय चेहरा और आपदा के समय पुलिस क्या कर सकती है इसका एक उत्कृष्ट और सराहनीय उदाहरण देश की जनता के समक्ष सभी बलों ने कोई आयोजन के बगैर स्वभावगत ही जो पुलिस का स्वभाव होता है हर व्यक्ति को मदद करना, इसका प्रदर्शन करते हुए सबके सामने रखा है। मैं, आज उन 2,712 जवानों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते–निभाते, प्रथम पंक्ति में महामारी का सामना करते अपनी जान गवाई है, उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं क्योंकि उन्होंने कोरोना का सामना प्रथम पंक्ति में रहकर किया, लोगों की मदद की, किसी



को खाना पहुंचाया, किसी को अस्पताल पहुंचाया, किसी को अंतिम संस्कार करवाते हुए कोरोना हो गया और वह मृत्यु की शरण में चला गया। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना चाहता हूं और उन सभी 2,712 जवानों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।

मित्रों, आज अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आगाज हो रहा है। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का पूरे देश की पुलिसिंग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दो दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है-हमारे संविधान में पुलिस को राज्यों का विषय माना है और यह सर्वथा ठीक भी है इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। लेकिन जब संविधान बना तब से लेकर आज तक देश और पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती आई है। अपराध की दुनिया में बहुत नए-नए आयाम भी जुड़े हैं और कुछ चीजें ऐसी उभर कर आई हैं पूरे देश की पुलिस को एक वाक्यता के साथ काम करना होगा। एक-दूसरे के साथ सामंजस्य से काम करना होगा। अन्यथा आप इन चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते हैं और दूसरी ओर कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तो पुलिस राज्यों के निर्देशानुसार चलती है। उस वक्त बहुत बड़ा संकट होता है संकलन का, एकसमान रिस्पॉन्ड का, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, वहां आठ राज्य हैं, आठ राज्य सरकारें हैं, आठ राज्यों की पुलिस की अलग-अलग यूनिट हैं मगर चुनौती एकसमान है हथियारी ग्रुपों की, वामपंथी उग्रवाद की। कई सारे राज्य मध्य भारत में और पूर्वी भारत में इसकी चपेट में थे। वहां पर भी राज्य अलग-अलग है मगर चुनौती एक समान है। वहां वामपंथियों का उग्रवाद है, उनका कोई संविधान नहीं है वे एक कड़ी से काम करते हैं, एक साथ जुड़कर करते हैं तो उनका सामना पुलिस कैसे करेगी? इसके लिए एक समन्वय और नीति की जरूरत है और एकवाक्यता की भी जरूरत है। जैसे-देश के पूर्वी क्षेत्र में घुसपैठ, देश के पश्चिमी क्षेत्र में, जहां-जहां हमारे पड़ोसियों से सीमा लगती है वहां ड्रोन से नकली नोटों को गिराना, हथियारों को सप्लाई करना, ड्रोन से हमले, यह सारी चुनौतियां राज्यों के सामने अनेक प्रकार से हैं अगर राज्य की पुलिस आइसोलेशन में काम करती है तो सारी चुनौतियों का सामना हम ढंग से नही कर सकते। इसके लिए संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है परंतु अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, डीजी/आईजी सम्मेलन की बैठकों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, कुछ राज्य एक साथ मिलकर अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं एक समान नीति तैयार कर सकते हैं। देश के सामने कुछ चुनौतियां हैं। जैसे-ड्रग्स, हवाला ट्रांजेक्शंस, साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड से आज कोई व्यक्ति झारखंड में बैठकर मध्यप्रदेश के लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। देश भर की पुलिस के सामने समान चुनौतियां हैं, उसके लिए विचार-विमर्श कहाँ है, उसके लिए साझा रणनीति कहाँ बनेगी, उसके लिए एकवाक्यता के साथ काम करने के लिए संवाद का माध्यम क्या है तो मैं मानता हूं कि पुलिस विज्ञान कांग्रेस इसके लिए बहुत ही Ideal Forum है और बीपीआरएण्डडी के तत्वाधान में जो बैठकें होती हैं वह समान प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए देश भर की पुलिस को एक



मंच पर लाने का काम करती है और उस दृष्टि से मेरा बीपीआरएण्डडी से आग्रह है कि इसके कार्यक्रमों एवं सत्रों की रचना ऐसी की जाए जिसमें समान प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए देशभर की पुलिस की एक ही रणनीति हो। इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से अपने चर्चा सत्र में और निष्कर्षों में भी जगह देनी चाहिए तभी जाकर इस कांग्रेस का उद्देश्य पूरा होता है। एक उद्देश्य तो यह है।

द्सरा उद्देश्य, जैसा मैंने कहा कि अपराधी एक जगह ठहरते नहीं है। कुछ आदतन अपराधी होते हैं कुछ मजबूरी से बनते हैं। अब वह दुनिया भर की latest technology से लैस होते जा रहे हैं और यह बहुत जरूरी हो गया है कि पुलिस अपराधी से दो कदम आगे रहे और यदि अपराधी से दो कदम आगे रहना है तो पुलिस को भी Modern और Tech-savvy बनना होगा तथा technology का बीट तक percolation करना होगा। जब तक कॉन्स्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल तक technology के संस्कार नहीं पहुंचते, हम नए प्रकार के अपराधों के विरूद्ध नहीं लड़ सकते और इसके लिए BPR&D ने एक मंच उपलब्ध कराया है जिसमें बहुत सी संगोष्ठियों के माध्यम से ट्रेनिंग के विषय तय करना, ट्रेनिंग के विषयों में चुनौतियों को शामिल कर लेना और चर्चा सत्रों से समाधान ढूंढ कर इसे भी प्रशिक्षण में शामिल करना है। हम देश की पुलिसिंग में धीरे-धीरे यह परिवर्तन विगत 10 वर्षों से देख रहे हैं। ये भी पुलिस साइंस कांग्रेस का एक उद्देश्य है। इन दोनों उद्देश्यों से अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का महत्व भी है और इसके बिना हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकते। मित्रों आज मैं यहां आया हूं तो मैं आपके सामने एक बात निश्चित करना चाहता हूं कि विगत 8 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार चल रही है और इन 8 सालों में वर्षों से लंबित हमारे तीन ऐसे क्षेत्र थे जो नासूर बने हुए थे। जो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे 1. कश्मीर की समस्या 2.वामपंथी और उग्रवाद की समस्या 3. नॉर्थईस्ट क्षेत्रों में नारकोटिक्स और हथियारी ग्रुपों की समस्या। कई सालों से हम इनको देख रहे हैं। यहां कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, उन्होंने जब सर्विस में ज्वाइन किया तब भी यह समस्याएं सुनी होंगी और जब रिटायर्ड हुए तब भी इन समस्याओं को टाटा कर-कर निकले होंगे। यह बहुत पुरानी समस्याएं थी मगर आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि तीनों क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत तरीके से, सातत्यपूर्ण तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हुए लगभग इन समस्याओं के समाधान के विषय में काफी बड़ी सफलता हासिल की है। चाहे कश्मीर की समस्या हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद की समस्या हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हथियारी ग्रुपों की बात हो। ढेर सारे हथियारी ग्रुपों ने हथियार डाल दिए हैं। मुख्य धारा में आये हैं। धारा 370 जाने के बाद कश्मीर के अंदर एक नए उत्साह उमंग और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है। आतंकवाद के ऊपर हमारी सुरक्षा एजेंसियों का एक बिल्कुल कमांडिंग वर्चस्व दिखाई पड़ता है। वामपंथी और उग्रवाद भी समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य तो वामपंथी उग्रवाद से लगभग बाहर ही निकल आए हैं। यह जो परिवर्तन आया है, यह परिवर्तन इसलिए आया है क्योंकि समस्याओं का विश्लेषण कर, उसे समझ कर उसके उपायों



पर गहन चर्चा कर सातत्यपूर्ण तरीके से एक रणनीति के आधार पर काम किया है। मैं यह इसलिए भी कहना चाहता हूं कि देशभर के राज्यों की पुलिस के सामने भी जो समस्याएं हैं उसमें भी अफसर बदलते रहते हैं मगर पुलिस की रणनीति न बदले इसमें सातत्य बहुत जरूरी है। सभी पुलिस विभाग के मुखियाओं ने अपने यहां 10 साल की पुलिस की रणनीति और उसका सालाना विश्लेषण करने की प्रथा institutionalize करनी चाहिए क्योंकि जब नए डीजीपी आएं तब वह इसे, इससे आगे बढ़ाएं। जब सालाना रिव्यू करोगे तो उसकी कमियों का भी रिव्यू होगा जो सफल मुद्दे होंगे उसका भी रिव्यू होगा और इसी के साथ नई रणनीति छोटे बदलावों के साथ आगे के साल के लिए बढ़ाना होगा क्योंकि वह बहुत जरूरी है। अब कुछ क्राइम ऐसे आ चुके हैं जिसके सामने पुलिस का modernization और training के बगैर, पुलिस का राज्य में समन्वय के बगैर और पुलिस का राज्य के बाहर समन्वय के बगैर और टेक्नोलॉजी को आत्मसात किए बगैर लड़ पाना असंभव है। चाहे वह नारकोटिक्स का मसला हो, चाहे वह फेक करेंसी का मसला हो, चाहे Hawala Transaction से देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोगों के पास पैसा पहुंचाने का मसला हो, चाहे साइबर क्राइम हो, चाहे हथियारों के सीमा पार से आने का मसला हो। यह सारी समस्याएं ऐसी है जिसका समाधान सातत्यपूर्ण रणनीति से ही संभव है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं जिन राज्यों की समुद्री सीमाएं जुड़ी हैं ऐसे राज्यों में एक रणनीति बन सकती है क्या ? कि सागर के सटे हुए जिलों में इसी प्रकार के पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति होगी। इसमें एक age-group तय हो जाए, इसमें परफॉर्मेंस के पैरामीटर तय हो जाए, इसके अंदर परफॉर्मेंस की रिव्यू का प्रोविजन हो जो जमीनी सीमा के जिले हैं इसके लिए भी थानों तक की व्यवस्था हो बाकी राज्य में जो होता है वह करते रहे परंतु जो सेंसिटिव क्षेत्र है उसके अंदर अपॉइंटमेंट के लिए एक सातत्यपूर्ण रणनीति बनाने की आवश्यकता है। आतंकवाद विरोधी जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे ईटीसी, एटीएस, बड़े शहरों में क्राइम ब्रांच। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी सेंसेटिव जगह होती है और इसकी पोस्टिंग के लिए भी राजनीतिक स्तर पर और स्टेट पुलिस के डीजी के स्तर पर एक sensitiveness खड़ी करनी पड़ेगी तभी जाकर इन सारी समस्याओं के खिलाफ हम लड़ पाएंगे मोदी जी ने इसके लिए एक पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा की है। इसका एक कच्चा खाका गृह मंत्रालय ने बना लिया है इसके बाद हम BPR&D के माध्यम से सारे राज्यों की पुलिस को भी सुझाव के लिए पहुंचाएंगे। इसके माध्यम से ढेर सारी चीजें एकसमान रूप से पूरे देश की पुलिस का हर थाना सज्ज हो सकेगा। देश भर में एक ही प्रकार की वायरलेस सिस्टम हो, देश भर में एक ही प्रकार के सीसीटीवी कैमरा लगे हों, एनालिसिस करने वाले सॉफ्टवेयर देश की पुलिस के पास एक ही प्रकार के हों, एक्सचेंज ऑफ़ इन्फ़ार्मेशन की सारी सुविधाएं हो, automatic exchange of information, access to data का अधिकार भी देश की हर पुलिस को हों। इस प्रकार की व्यवस्था हम टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से करना चाहते हैं। मैं बड़ा आशान्वित हूं मोदी जी की इस कल्पना से। इससे देश का बहुत बड़ा फायदा होगा। मित्रों आज पांच प्रकाशन किए गए हैं इसके बारे में डिटेल में बताया गया है मैं इसमें कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं परंतु मेरा सभी से आग्रह है कि इन



प्रकाशनों की स्टडी करने के लिए यंग अफसरों की एक टोली हर राज्य में बनानी चाहिए। इसका अध्ययन कर इसकी Gist बनाकर कम से कम पुलिस अधीक्षक स्तर तक तो पहुंचे जिसे बहुत परिश्रम करके बनाएं हैं अगर वह practical policing को देखने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचे और वो इसको गंभीरता से नहीं लेता है तो पूरी एक्सरसाइज के कोई मायने नहीं रहते। मुझे लगता है कि इस दिशा में हर राज्य की पुलिस को अपनी यंग ऑफिसर्स की एक टीम बनानी चाहिए जो सारे प्रकाशनों को ढंग से देखें इसकी Gist बनाएं और एसपी और उससे ऊपर के अधिकारी को वह Gist भेजें। काफी लोग पढ़ेंगे। सब पढ़ेंगे ऐसा तो मैं नहीं कहता हूं मगर काफी लोग पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उसमें से कुछ लोग तो इसका अमल भी करेंगे तो कुछ तो सुधर जाएगा। अभी मैं एक टीवी इंटरव्यू देख रहा था उसमें एक सुंदर वाक्य मैंने सुना **"डाटा नया विज्ञान है और बिग डाटा में सभी समस्याओं का समाधान है"** इस वाक्य को देश भर की पुलिस में आत्मसात करना चाहिए। भारत सरकार ने ढेर सारी सुविधाएं प्रदान की हैं मगर वह पॉपुलर नहीं है। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं हमारे देश के 93 प्रतिशत से ज्यादा थाने सीसीटीएनएस से जुड़ गए हैं। उनकी FIR सारी वहां पहुंच जाती है इसका डाटा वहां उपलब्ध है, एनालिटिक टूल आपके पास उपलब्ध है। आपने अपने राज्य के और आसपास के 4 राज्यों के क्राइम का स्टडी कभी किया है क्या ? इसके लिए टीम बनाई है क्या ? डाटा को जनरेट करना यहां से अगर हम संतोष मानेंगे तो यह कभी नहीं होगा मैं आगे इस विषय को छुउंगा परंतु मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे देश की पुलिस पर एक आरोप होता है। कभी तो no action का आरोप होता है कि पुलिस मूकदर्शक बनी है तो कभी extreme action का आरोप होता है। हमे आदत डालनी चाहिए just action की। स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए और वह तभी होती है जब सिस्टम व्यक्ति पर न निर्भर हो, व्यक्ति सिस्टम पर निर्भर हो। अगर थानेदार के स्वभाव पर आप छोड़ दोगे तो no action भी आएगा और extreme action भी आएगा। मगर system पर थानेदार निर्भर होगा तो Just action आएगा। छोटी सी बात है लेकिन गौर करने योग्य बात है। अगर यह हम पुलिसिंग के स्वभाव में डालते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आने की संभावना है।

मेरी दृष्टि से पुलिस विज्ञान के दो पहलू हैं एक Science for Police और दूसरा Science of Police इन दोनों विषय पर विचार करना पड़ेगा तभी हम देश के सामने आने वाली चुनौतियों को tackle कर पाएंगे। मित्रों हमारे देश के पास आज demography dividend, democracy, demand और decisiveness है और भारत की destiny को बदलने का हमारा निर्धार भी है मगर यह तभी संभव हो सकता है जब हम अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत कर लें। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है तो पुलिस को Modernize करना पड़ेगा, उसको सक्षम बनाने के लिए उसको trained करना पड़ेगा, अच्छी technology से लैस करना पड़ेगा और उनकी help के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाना पड़ेगा तब जाकर यह संभव होगा। मोदी जी ने जो स्मार्ट पुलिसिंग की संकल्पना हमारे सामने रखी है वह तभी जाकर चरितार्थ हो सकती है।



मैंने कहा Data में बड़ी ताकत है। अभी हमारे 16 हजार से ज्यादा पुलिस स्टेशन ऑनलाइन हो चुके हैं। इसका data हर रोज इकट्ठा हो रहा है और NCRB ने CCTNS के द्वारा राज्य स्तर पर 9 सेवाओं को उपलब्ध कराया है। मेरा आग्रह है कि इन 9 सेवाओं को आप लोकप्रिय करें जनता में भी और पुलिस में भी। जैसे vehicle NOC का एक सिस्टम है। जिसमें Chassis नंबर डालते ही आपको कंप्यूटर बता देता है कि चोरी की हुई कार है या नहीं है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सेकंड हैंड कार के मार्केट में धड़ल्ले से कार चोरी करने वाले फर्जी नंबर डाल कर, गाड़ियों को बेच कर निकल जाते हैं। यह सिस्टम introduce होने के बाद लगभग 9000 चोरी की कारों को स्पॉट पर पकड़ा गया है और लोगों को चोरी की कार खरीदने से बचाया गया है पर यह सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं है इतने बड़े देश में 9000 कारों का आंकड़ा संतोषजनक नहीं है। कौन इसको नीचे तक पहुंचाएगा ? ऐसी कांफ्रेंस के माध्यम से ही इसकी चर्चा होकर यह नीचे percolate होगी।

Missing person search का जो हमारा सर्च इंजन बना है NCRB ने अपने डेटा से खंगाल कर अब तक 14000 लोगों को ढूंढ निकाला है मगर यह भी आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। एक NAFIS करके सेवा हम आगे ले जाने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं देश भर की पुलिस के पास करोड़ो में फिंगरप्रिंट्स का डाटा है। NCRB के पास भी डेढ़ करोड़ के आसपास है। थोड़ा विस्तार होगा लेकिन मैं बताना चाहूंगा क्योंकि यह पॉपुलर करने जैसे सिस्टम्स है अभी हम क्या करते हैं कि घर में चोरी हुई या खून हुआ तो हम वहां से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करते हैं, उनमें से घरवालों के फिंगर प्रिंट लेकर उनको अलग कर फिर गुनहगार के फिंगरप्रिंट पकड़ते हैं फिर गुनहगार को पकड़कर लाते हैं और फिंगरप्रिंट से मैच करते हैं। NAFIS के माध्यम से यह होगा कि पूरा डाटा अब हर पुलिस थाने में उपलब्ध हो सकता है। जैसे ही घर में चोरी करने वाले का या खून करने वाले का फिंगरप्रिंट कंप्यूटर में डालेंगे अगर वह डाटा में है तो 1:30 मिनट के अंदर वह सर्च करके नाम पता करके आपको बता देगा कि वह फिंगरप्रिंट किस व्यक्ति का है तो चोर को पकड़ कर सजा कराने के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करने की बजाय चोर को पकड़ने के लिए ही फिंगरप्रिंट का उपयोग होगा, फिर तो आपको उस व्यक्ति को ढूंढना होगा कितना बड़ा अंतर आएगा बताइए। परंतु यह सिस्टम तभी ऑपरेट हो सकता है जब आपके थाने की ट्रेनिंग का यह एक हिस्सा हो CCTNS की जितनी भी सेवाएं हैं उन्हें नागरिकों तक पहुंचाने का काम देश कि हर पुलिस को करना चाहिए इसी तरह से NIA को हम आतंकवादी मामले, नारकोटिक्स के मामले, बम विस्फोट के मामले और विमान अपहरण के सभी मामलों में डाटा बेस का स्तंभ बनाने के लिए आर्डर दिया है यह भी लगभग दो-तीन महीने में समाप्त हो जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारी FIR पर, इस सारे डेटा पर स्टडी करने के लिए आपको आतंकवाद विरोधी दस्तों को एक्टिव करना चाहिए। नारकोटिक्स के मामले में NCB को डेटाबेस तैयार करने के लिए कहा है और ICJS में Inter Operable Criminal Justice System के अंदर भी ढेर सारा डाटा तैयार हुआ



है यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डाटा बेस भी तैयार किया है परंतु यह सब तभी उपयोग हो सकता है जब इसे हम हर थाने की पुलिस की ट्रेनिंग का हिस्सा बनाएं यह मैंने Science for Police के लिए कहा है। Science of Police इसके लिए मेडिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, मैनेजमेंट साइंस, आर्म्ड साइंस और कम्युनिकेशन साइंस। इन सारे पुलिस विज्ञान के उपयोगों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और मोदी सरकार ने 2 बड़े कदम उठाए हैं। National Forensic Science University बनाई है जिसकी अब तक 7 राज्यों में एफिलिएटिड कॉलेज खुल गई हैं शिवराज जी भी मध्यप्रदेश में खोलने वाले हैं इसका उपयोग हम लोग करेंगे और IPC, CrPC के जो अमेंडमेंट्स आने वाले हैं जिसमें 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी गुनाहों में फॉरेंसिक एविडेंस को हम कंपलसरी करने वाले हैं अगर यह करना है तो आपको Trained Manpower चाहिए। वह कहां से आएगा इसलिए एडवांस में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाइए और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी रक्षा के साथ जुड़े हुए विज्ञान के सारे मामलों में एक्सपर्ट खड़े करने के लिए बनाइए। मेरा तो सभी राज्यों के महानिदेशकों से निवेदन है कि आपके राज्य में दोनों यूनिवर्सिटी के एफिलिएटिड कॉलेज का आग्रह आप अपनी राज्य सरकार को करें जिससे पुलिस के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएं। एक बात समझ लीजिएगा अंग्रेजों के जमाने की डंडे की पुलिसिंग का युग अब समाप्त हो गया है अब नॉलेज बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा, एविडेंस बेस्ड पुलिसिंग करना पड़ेगा और तर्क के आधार पर पुलिसिंग करना पड़ेगा और इसमें पुलिस के साइंस को भी हमें बदलना पड़ेगा। राज्यों में अनेक प्रकार के सीसीटीवी लगे हैं पुलिस कंट्रोल रूम से इन सीसीटीवी कैमरों की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। प्राइवेट सोसाइटी में लगे हैं, बस अड्डे पर लगे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लगा दिए, कमिशनरेट में लगे हैं, रेलवे में लगे हैं मगर डीजीपी के कंट्रोल रूम में किसी का आपसी कनेक्शन नहीं है। मैं तो मानता हूं यह खर्च बेकार गया है। बहुत कम खर्च के अंदर कनेक्टिविटी हो सकती है, कॉमन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं और आपके पास यह सारी चीजें उपलब्ध हो सकती है बस आपको इनीशिएटिव लेना पड़ेगा।

मित्रों, गत साइंस कांग्रेस, लखनऊ में मैंने कुछ बेसिक पुलिसिंग के कुछ मुद्दों पर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन की जगह हर राज्य में लागू करनी चाहिए और डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन को इफेक्टिव बनाना चाहिए। पुलिस बैंड, डॉग्स स्कवॉड, हॉर्स स्कवॉड, परेड यह सारे मुद्दे भूल गए हैं हम। बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा और 1860 में बनाए गए सारे आज भी रिलेवेंट है पुलिस की presence ही लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा रख सकती है। बीट की पेट्रोलिंग- चाहे 10 ही लोग निकलें मगर बहुत महत्वपूर्ण संतोष लोगों के बीच में खड़ा करती है। किर से सारे मुद्दे रिपीट कर देता हूं डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन का इंस्टीटूट develop करना। बीट को पुनर्जीवित करना, परेड को नियमित करना, खबरी प्रणाली को पुनर्जीवित करना। मैं पुनर्जीवित सोच समझ कर बोल रहा हूं पुलिस बैंड को पुलिस का एक अंग बनाना। डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्कवॉड को पुनर्जीवित करना और कॉमन सूचना प्रोटोकॉल को भी सीमांत क्षेत्र के अंदर हमको आगे बढ़ाना



पड़ेगा। एक मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो BPR&D बना रहा है इसका उपयोग भी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से हो सकता है।

मित्रों, कानूनी सुधार का इनीशिएटिव भी भारत सरकार ने लिया है सभी एजेंसियों का संशोधित शस्त्र अधिनियम हमने कर दिया है राज्यों को भेजा है अब आप को लागू करना है। शनाख्त के लिए कैदियों का नया विधेयक अभी संसद में पारित किया है इसको लागू करना है। मॉडल जेल अधिनियम आपको भेजे हैं उसको लागू करना है, अभी तक 6 ही राज्यों ने किए हैं। FCRA की कठोर अनुपालना के लिए कानून बनाए गए हैं इसके लिए भी आपको हेल्प करनी है। NIA कानून को हमने और कठोर बनाया है। UAPA का उपयोग राज्य सरकार की पुलिस के कामों में भी उचित केसों में बढ़ाना चाहिए। संकोच नहीं करना चाहिए जहां यूएपीए का ingredients मिलते हैं वहां करना चाहिए। SMAC की बैठक अब राज्य में होती ही नहीं है अकेला MAC कुछ नहीं कर पाएगा अगर SMAC की बैठक राज्य में ढंग से होती है तो सारी एजेंसियों के बीच में कोआर्डिनेशन होना चाहिए। चाहें ED हो, चाहे कस्टम हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे नारकोटिक्स हो, चाहे पुलिस हो मेरा आग्रह है कि स्मेक की बैठक में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक इनिशिएटिव ले और करें। सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में भी हम सुधार ला रहे हैं। नारकोटिक्स की भी कोआर्डिनेशन की बैठक करने का जिम्मा हमने राज्यों के पुलिस मुखियाओं पर डाला है इसमें भी इनीशिएटिव लेना चाहिए है। Heckathon कर-कर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें करना चाहिए।

मित्रों, एक बात और मैं आपके सामने कहता हूं प्रोसेस और परफेक्शन। यह सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोसेस और परफेक्शन यह सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मगर सफलता केवल और केवल Passion से ही आ सकती है तो Passion का जज्बा पुलिस बल में नीचे तक निर्माण करने का हम लोगों का दायित्व है मुझे भरोसा है कि हम इस पुलिस साइंस कांग्रेस से 2 दिन के विचार मंथन से काफी सारी चीजें निकालेंगे, निष्कर्ष भी निकालेंगे और सुधार के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं इस कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए BPR&D के डीजी और सभी सहभागियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।

वंदे मातरम।





दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 04 अप्रैल, 2022 को लोक सभा में

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का संबोधन





कृपया YouTube पर सुनने हेतु स्कैन करें

'उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन'





माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह जी का दिनांक 4 अप्रैल, 2022 को दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 पर लोक सभा में संबोधन



THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) BILL, 2022

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

''कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रोयजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे संबद्ध और आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आज इस महान सदन के सामने मैं एक बिल लेकर आया हूँ, जो वर्ष 1920 के बंदी शनाख्त कानून को रिप्लेस करेगा और वर्ष 1920 से जो स्थापित है, वह बंदी शनाख्त कानून आज कई दृष्टि से अपने आपमें समय की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, दोष सिद्ध करने की लिए अदालतों को जिस प्रकार के प्रमाण चाहिए, वे प्रमाण उपलब्ध कराने में और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों की ताकत बढ़ाने में आज एक तरह से कालबाह्य हो गया है।

इसको रिप्लेस करके दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022, जिसे मैं आज लेकर आया हूं उससे ये सारे, जो कालबाह्य हुए छिद्र हैं, इनकी न सिर्फ भरपायी होगी और यह दोष सिद्ध करने के प्रमाण के अंदर बड़ा फायदा भी कर पाएगा।

महोदय, दोषसिद्ध का प्रमाण जब तक नहीं बढ़ता है तब तक देश में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति और देश की आंतरिक सुरक्षा, दोनों को प्रस्थापित करना, बहाल करना और मजबूत करना एक दृष्टि से संभव ही नहीं है। इसलिए यह विधेयक उचित समय पर लाया गया है। वैसे तो बहुत लेट हो गया है। वर्ष 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में एक बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 पर पुनर्विचार करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। यह प्रस्ताव विधि आयोग ने भेजा था और उस पर बार-बार चर्चा भी अनेक फोरमों में हुई। हमने भी सरकार बनने के बाद इस पर राज्यों से भी चर्चा की है, राज्यों के साथ पत्र-व्यवहार भी किया गया है, इस पर अनेक प्रकार के अभिप्राय भी लिए गए हैं।



इन सब अभिप्रायों को समाहित करते हुए और दुनिया भर में क्रिमिनल लॉ में दोषसिद्ध के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अनेक प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, यह विधेयक लेकर, मैं यहां उपस्थित हुआ हूँ।

महोदय, मौजूदा स्वरूप में जो कानून है, वह बहुत सी सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है।

अतः मैं यह विधेयक लेकर आया हूं, परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब इस विधेयक को पुनः स्थापित किया जा रहा था, मेरे साथी मंत्री मिश्रा जी जब इसको लेकर सदन के सामने आए थे तब अनके आपतियाँ इस विधेयक पर उठाई गई थीं। सुप्रीम कोर्ट के अनेक जजमेंट्स को भी कोट किया गया। व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स के ऐंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की थी। उनकी चिंता वाजिब है। आप सबकी चिंताओं की चिंता भी इसके अंदर कर ली गई है, बाद में जब मैं जवाब दूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। इसके साथ-साथ भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नया मॉडल ''प्रिजन अधिनियम'' भी बना रही है।

हम मॉडल प्रिजन अधिनियम के नाम से राज्यों को यहां से भेजेंगे। मॉडल प्रिजन अधिनियम भेजने के बाद कई सारी चिंताएं हैं, जो इसके अंदर कवर हो जाएंगी। कैदियों के पुनर्वास के लिए है, उनको फिर से समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए है, जेल के अधिकारियों के अधिकारों को मीमीत करने के लिए है, उनके बीच में अनुशासन कराने के लिए है, अधिकतम सुरक्षा, जेल की सुरक्षा, महिला कैदियों के लिए अलग जेल से लेकर खुली जेल तक की व्यवस्था आदि। इन कई सारी चीजों का प्रिजन मॉडल अधिनियम का प्रारूप हम यहां से भेजेंगे। हमने जेल अधिनियमन में बहुत सारी चीजों को समाहित किया है। मैं इसकी भी जानकारी दूंगा। कृपया इस बिल को अकेले में, आइसोलेशन में देखने की बजाय, आने वाले मॉडल प्रिजन अधिनियम के साथ मिलाकर देखना होगा हमें ढेर सारी चीजों को स्वीकारना भी होगा कि अगर समय पर हम इसके अंदर बदलाव नहीं करते हैं तो हमारी अदालतों को जो साक्ष्य दोषसिद्ध के लिए, अदालतों की मदद के लिए उपलब्ध कराने हैं, उसमें हम पीछे रहते हैं। दोषसिद्धि का डर भी नहीं बढ़ता है और एक प्रकार से इनवेस्टिगेशन में भी मदद नहीं मिलती है। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पर अपने-अपने विचार रखें। मैं बाद में डिटेल में जवाब सदन के सामने रखूंगा।

श्री अमित शाह : आप नहीं देखेंगे, क्योंकि आप सरकार में नहीं हैं। अभी सरकार बना रही है, मैं इसके बारे में बताउँगा। सरकार में आप होते तो जरूर देखते। दादा ने जो कहा है, मैं इसके कुछ डायमेंशन्स भी सदन के सामने रखूंगा। मैं एडवांस में आश्वस्त करने के लिए कह रहा हूँ।



श्री अमित शाह : नहीं, नहीं । मैं कभी किसी को नहीं डांटता हूं । मेरी आवाज जरा ऊँची है । मेरा मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्ट है और न मैं कभी गुस्सा होता हूं । कश्मीर का सवाल आता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूं, बाकी गुस्सा नहीं होता हूं ।

माननीय अध्यक्ष जी, अतः मेरा सदन के पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। इसके पीछे सरकार की मंशा कानून को और ज्यादा मजबूती के साथ प्रस्तावित करने के अलावा कुछ नहीं है।

जो दोषी हैं, उनकी दोषसिद्धी करके, उनको समाज से अलग करके, उनको भी सुधरने का एक मौका देने के अलावा कुछ नहीं है। देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड आर्डर मजबूत हो, यही हमारी मंशा है। धन्यवाद।

समाप्त

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बिल लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ, इस पर सदन के पक्ष और प्रतिपक्ष के कुल 21 सांसदों ने अपने-अपने विचार रखे हैं । कुछ लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है और कुछ लोगों ने इस बिल का विरोध किया है। कुछ सदस्यों ने अपनी शंकाएं भी उठाई हैं और कुछ लोगों ने इसके दुरुपयोग की संभावनाओं को भी सदन के पटल पर रखा है। मैं एक-एक करके सभी चीजों को धैर्य से जवाब भी दूँगा और सदन को समझाने का प्रयास भी करूँगा।

यहां पर जिन चीजों को एक शंका की दृष्टि से रखा गया है, चूँकि इस बिल को लाने के लिए सरकार की ना तो ऐसी कोई मंशा है, ना ऐसी कोई इच्छा है, लेकिन हम इतना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है। इस बिल में किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी नहीं छोड़ी गई है। यह व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, उन बदलावों का उपयोग दोषसिद्धि के लिए किया जाए, उसके लिए यह बिल लाया गया है और जो लोग ह्यूमन राइट्स की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं यह कहना चाहता हूं मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा, जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। क्या उनका कोई ह्यूमन राइट नहीं है, किसी बच्ची का रेप हो जाएगा, किसी की हत्या हो जाएगी, किसी की गाढ़ी कमाई को कोई लूट-खसौटकर ले जाएगा तो क्या उसके ह्यूमन राइट नहीं है। आपको चिंता लूट-खसोट करने वाले की है । आपको चिंता बलात्कार करने वाले की है। आप सुनिए, उसी के ह्यूमन राइट की बात हो रही है मगर मैं



यह कहना चाहता हूं कि साहब यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो कानून के हिसाब से जीने वाले लोग हैं, उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता करना सरकार का दायित्व है और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता है। ह्यूमन राइट्स के कई मायने होते हैं। एक ही चश्मा और एक ही नजरिए से ह्यूमन राइट्स को नहीं देखा जाएगा। जो लोग कानून के हिसाब से जीते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, खूब-पसीना बहाकर अपनी संपत्ति अपने बच्चों के भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं और कोई उसे झांसा देकर ले जाता है, कोई चोरी करके ले जाता है, कोई लूट कर ले जाता है तो किसी की हत्या कर दी जाती है।

क्या उन लोगों के कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है ? जो पीछे छूट जाते हैं क्या उन परिवारजनों का कोई ह्यूमन राइट नहीं है ? उनका भी ह्यूमन राइट है। उनके ह्यूमन राईट्स की चिंता करने की जिम्मेदारी, आप मानो या ना मानो, हम मानते हैं कि हमारी है, इस सदन की है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने शुरुआत में एक ब्रॉडर बात सदन के सामने रखी है कि ह्यूमन राइट्स को एक ही चश्मे से नहीं देखा जा सकता , ह्यूमन राइट्स को देखने के कई एंगल्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की भी कई एंगल्स होते हैं। मैं बहुत फर्मनेस के साथ, दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि यह बिल देश के करोड़ों लॉ ओबिडिएंट नागरिकों के ह्यूमन राइट्स के रक्षण के लिए हम लोग यहां लेकर आए हैं इसको कोई अन्यथा पेंट करने का प्रयास न करें।

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारी चीजें कहीं गई कि वर्ष 1920 से कानून था, अब इसमें सुधार करने की क्या जरूरत थी। दादा, फिर तो शासन बदलने की भी क्या जरूरत थी? जल्दी नहीं है, 102 साल हो गए, मेरा तो यह सवाल है कि इतना लेट क्यों हुआ ? ये सारी चीजें इस बिल में हैं, सिर्फ जो नए आयाम जोड़े गए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर उन आयामों को बिल के अंदर समाहित किया गया है। पहले भी फिंगरप्रिंट देते थे, कोई विरोध नहीं करता था, देते थे। अगर कांग्रेस पार्टी का इतना ही विरोध था तो 75 वर्षों में से 52 वर्ष आप शासन में रहे, क्यों आपने अंग्रेजों का लाया हुआ यह कानून हटा नहीं दिया ? इतिहास को थोड़ा नाप-तोल कर बोलिए। आप ने कहा कि नमक कानून के कारण आया, नमक कानून वर्ष 1930 में तोड़ा गया और यह कानून वर्ष 1920 में आया था। आप क्या कर रहे हैं ? कुछ तो इतिहास देख कर बोलिए।

श्री अमित शाह : रिकॉर्ड में जरूर चेक करूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल देश के अंदर दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल देश में दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाकर गुनाहों की संख्या को सीमित करने के



एकमात्र उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल F.I.R. को और आरोपों को दोषसिद्धि के माध्यम से, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा दिलाकर समाज में एक कठोर संदेश भेजने के लिए लाया गया है। इस बिल के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस राज्य का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है, शासन का सबसे दृष्टिगत होने वाला चेहरा है। फर्स्ट रिस्पांडर पुलिस होती है। पुलिस किसी को पकड़ तो लेती है, मगर अदालत के अंदर उसके दोष को सिद्ध नहीं कर पाती है, तब पुलिस की कार्यवाही का इतना असर नहीं होता है, जितना होना चाहिए। इसलिए वर्ष 2014 में मोदी जी ने देशभर की पुलिस फोर्स के सामने ''स्मार्ट पुलिसिंग'' का एक कॉन्सेप्ट रखा था। इसमें ''एस'' से मतलब था सख्त, परंतु संवेदनशील, ''एम'' से मतलब था मॉडर्न और मोबाइल ''ए'' से मतलब था चौकन्ना और जवाबदेह, ''आर'' से मतलब था भरोसेमंद और प्रतिक्रियात्मक और ''टी'' से मतलब था आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस और प्रशिक्षित। यह ''टी'' वाला जो हिस्सा है, इसी हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए मैं यह बिल लेकर आपके सामने आया हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, कहा गया कि इसकी जरूरत क्या है, मैं बताता हूं कि वर्ष 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा है इसके हिसाब से मर्डर करने वाले देशों में सिर्फ 44% लोगों को हम सजा दिला पाते हैं, सिर्फ 44%। बलात्कार के केसों में सिर्फ 39% अटेम्प्ट टू मर्डर में सिर्फ 24%, डकैती में सिर्फ 29%, रॉबरी में सिर्फ 38% लोगों को हम सजा दिला पाते हैं।

इसके सापेक्ष मैं अगर दुनियाभर के डाटा की स्टडी करते हैं तो इंग्लैंड 83.6% एवरेज, कनाडा 64%, साउथ अफ्रीका 82 परसेंट, ऑस्ट्रेलिया में 2020-21 का 97% है, यूएसए 93% है। ये सारे भी ह्यूमन राइट्स के चैंपियन देश हैं और इन सब जगहों पर इससे भी कठोर कानून उपलब्ध हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जजमेंट का जिक्र किया है, मैं इसका भी जवाब बाद में देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर एक दूसरा पक्ष भी लिखा है, मगर पूरे जजमेंट को पढ़कर अपने अनुकूल चीजों को यहां रख देना और जो चीजें हमारे विचारों के अनुकूल नहीं हैं, उनको नहीं रखना, अगर इस प्रकार हम करें तो मुझे लगता है कि सदन को हम गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि अगर जजमेंट पढ़ा ही नहीं है, तब तो ठीक है, मगर पढ़कर उसमें से पार्शियल सत्य, एक ही तथ्य लेकर सिलेक्टिवली यहां रखना यह सांसद के नाते ठीक नहीं है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम भी बदल गए, क्रिमिनल भी बदल गए, क्राइम और क्रिमिनल दोनों आधुनिक तकनीक से लैस होकर क्राइम करने लगे, लेकिन हम पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस न करें। किसी को हाथ पैर बांधकर स्विमिंग पूल में डाल दो कि गोल्ड मेडल



लेकर आओ। गोल्ड मेडल क्या, वह तो बेचारा डूब जाएगा, क्योंकि आपने हाथ पैर बांध दिए हैं। अब इस प्रकार की व्यवस्था देश में नहीं चलती है। दादा को भले ही लगता हो कि जल्दी हो गई है लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, अब समय आ गया है कि इसको हम बदलें। इसके लिए सिर्फ यह बिल ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार ढेर सारे प्रयास कर रही है। अधीर रंजन जी ने ठीक कहा है कि हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का कुशल मानव संसाधन नहीं है। हमारे पास ट्रेंड मैन फोर्स नहीं है, परंतु इसको कैसे बढ़ाओगे ? किसी ने चिंता कि हमने चिंता कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब विश्व की सबसे पहली गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया। फॉरेंसिक साइंस की सभी विधाओं में बच्चे बीएससी करें, एमएससी करें, रिसर्च करें, वहां के प्रोफेसर बाहर आएं। इस प्रकार की सारी सुविधाओं से लैस यूनिवर्सिटी मोदी जी ने बनाई है।

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, 6 राज्यों में इसके एफिलिएटिड कॉलेज, उसके केंपस खोले गए। सब जगह फॉरेंसिक साइंस की अलग-अलग विधाओं के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का काम भी किया गया है। ये सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजेस से, जो बच्चे फॉरेंसिक साइंस में अलग-अलग सब्जेक्ट में पढ़कर आएंगे, तब जाकर हमारी दोषसिद्धि का प्रमाण बढ़ेगा। समस्याएं जरूर हैं, मगर समाधान ही नहीं करना है। अब तो कोई यह भी कह देगा कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी किसी एक धर्म के लोगों को फंसाने के लिए बना ली है। हर चीज को इस कानून के बारे में भी कहा है। मेरे मित्र दयानिधि मारन चले गए हैं, वह सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। उन्होंने माइनॉरिटी को परेशान करने की बात की थी। इस बिल में माइनोरिटी शब्द ही नहीं है। किस चश्मे को लगाकर मेरे बिल को पढ़ा ?

मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा चश्मा खराब है या मेरे चश्मे में टेक्निक नहीं है। इसमें माइनॉरिटी शब्द कहीं नहीं है। कहां से ले आए हैं ? माननीय अध्यक्ष जी, यह जो चश्मा है कहीं ना कहीं आपको भी कोई सूचना देकर बदलने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, अदरवाइज बड़ी प्रॉब्लम होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भी बनाई। बचपन से कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तथा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई सारी विधाओं की पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम एक सुविधा लेकर आए हैं।



हमने इसके लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी बनाई है। माननीय अध्यक्ष जी, यह इसलिए बनाया है कि दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए। वह इसलिए बनाया है कि जो आरोपी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनसे पुलिस और हमारी कानूनी एजेंसियां दो कदम आगे हों, दो कदम पीछे ना हों। इसको इतनी शंका से देखने की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमें नेक्स्ट जनरेशन क्राइम के लिए भी विचार करना पड़ेगा। अभी से उनको रोकने का प्रयास करना पड़ेगा और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दूसरे एरा में भी ले जाने का भी प्रयास करना पड़ेगा। हम पुरानी तकनीकों से नेक्स्ट जनरेशन क्राइम को टैकल नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस को बदलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि इस बिल को आइसोलेशन में मत देखिए। यह बिल इन टोटो सारे इनीशिएटिव्स में से एक इनीशिएटिव है। इसको एक होलिस्टिक व्यू से देखने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों ने चुनकर भेजे हैं। गृह मंत्रालय में वर्ष 2020 में मॉडस ऑपरेंडी ब्यूरो भी बनाया गया है, जिसमें मॉडस ऑपरेंडी की स्टडी होगी। इसके आधार पर अलग-अलग क्राइम को इसके संबंध और उसके दंड देने की प्रक्रिया होगी। हमने आईपीसी और सीआरपीसी के सुधार के लिए भी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज की है। मैंने सभी माननीय सांसदों को पत्र लिखा है, सभी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। गृह सचिव जी ने सभी न्यायालयों को पत्र लिखा है, सभी राज्यों के गृह सचिवों को पत्र लिखा है। गृह सचिव जी ने सभी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा है।

सभी के पास से अभिप्राय आ रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में हम सुधार लेकर आएँगे, उसको जरूर स्टैंडिंग कमेटी या गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में भेजेंगे। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर फिर आप वहां पर मेजारिटी बाली बात लेकर आएंगे। कोई चर्चा से भागना नहीं चाहता है, मगर चर्चा तर्क के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वास्तविकता के आधार पर होनी चाहिए और चर्चा तथ्य के आधार पर होनी चाहिए। चर्चा वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए नहीं होनी चाहिए, समस्या के समाधान के लिए होनी चाहिए। समस्याएं देश में कम हों, इसके लिए चर्चा होनी चाहिए और समस्या के रास्ते ढूंढने के लिए होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ-साथ डायरैक्टर ऑफ प्रोसेक्यूशन का भी प्रस्ताव राज्यों को दिया है। हमनें ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव भी ढेर सारे लिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम सीसीटीएनएस, क्रिमिनल जस्टिस डिलिवरी सिस्टम के लिए, मुक्य आईटी पिलर है। मुझे कहते हुए आनंद हो रहा है कि जनवरी, 2022 तक 16,390, हंड्रेड परसेंट पुलिस स्टेशंस में सीसीटीएनएस लागू कर दिया गया है और 99



प्रतिशत पुलिस स्टेशंस में आज एफआईआर का रजिस्ट्रेशन सीसीटीएनएस के आधार पर होता है। इससे डेटा उपलब्ध होता है और उस डेटा के आधार पर पूरे देश के क्राइम का एनालाइसिस होता है, क्राइम को रोकने की रणनीति बनती है और उस पर एडवाइजरी गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को जाती है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि फिर कोई बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा, राज्यों का सब्जेक्ट है, राज्यों का ही सब्जेक्ट है, मगर केंद्र मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है, मदद लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ हमने सीसीटीएनएस के साथ ई-प्रीजन का भी एक मॉडल बनाकर राज्यों को भेजा है, ई-फॉरेंसिक का भी भेजा है, ई—प्रोसेक्यूशन का भेजा है, ई-कोर्ट का भी भेजा है। इन सारे इनिशिएटिव्स के माध्यम से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ताकत देना चाहते हैं, इसका हिस्सा बिल है। इसको अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष जी, देश में 751 अभियोजन जिलों में ई-अभियोजन, ई-प्रोसेक्यूशन लागू हो चुका है। ई-प्रीजन को 1259 अलग-अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई-फॉरेंसिक एप्लिकेशन को 117 फॉरेंसिक लैब ने लागू कर दिया है। मैं यह इसलिए बता रहू हूं कि यह विषयांतर नहीं है। जो टोटल प्रयास है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका यह एक हिस्सा बिल है।

इसलिए मैं यह बातें माननीय सदस्यों से बताने के लिए कह रहा हूं। आज सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में 7 करोड़ से अधिक F.I.R. उपलब्ध हैं। नेशनल डेटाबेस में, जो 7 करोड़ से अधिक उपलब्ध हैं, इसके साथ 28 करोड़ पुलिस रिकॉर्ड उपलब्ध हैं।

श्री अमित शाह : दादा मैं वह भी बताता हूं। आप बीच में बोल कर मेरा लय मत तोड़िए।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ हम सारे प्रयासों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने के लिए एक सिस्टम – इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) भी लाए हैं। उस के माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। इसी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, एनालिटिक्स टूल्स, फिंगर प्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन का उपयोग होकर और एनालिसिस होकर हर थाने में, कौन-सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के ऑफिसर की किस अपराध की नाबूति में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए व्यवस्था करने की जरूरत है, इन सारी चीजों के बारे में राज्यों को भेजा जाने वाला है।

हमने इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस की भी शुरुआत की है। यौन अपराधियों



का एक राष्ट्रीय डेटाबेस एनडीएसओ भी शुरू किया है। इन सब में सारे सदस्य जो चिंता व्यक्त कर रहे थे अभी तक कहीं से कोई लीकेज नहीं हुआ है। प्राइवेसी, ह्यूमन राइट्स, लीकेज, मिस यूज ऑफ डाटा आदि ये सब इन ढाई वर्षो में हो चुके हैं और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है। मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं कि देश की अदालतों में इसके मिसयूज की एक भी कंप्लेन नहीं आई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको परमीट नहीं करती है । टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसका न्यूज़ यूज ना हो, हमने इसकी व्यवस्था की है। हम क्यों इतनी संख्या के जमाने में जी रहे हैं, क्यों इतनी शंकाएं की जा रही हैं? माननीय नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो इनीशिएटिव है वह इनीशिएटिव क्राइम को कम करने के लिए है, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए है।

माननीय अध्यक्ष जी, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर्स भी चालू किए गए हैं। 60 हजार लोगों ने 'Cri-MAC'का इस्तेमाल किया है। उसमें से 24 हजार से अधिक अलर्ट देश के अलग-अलग हिस्सों में गए हैं और कई अपराधी रेलवे पुलिस, एयरपोर्ट पर तैनात पुलिस और विभिन्न जिलों की पुलिस आदि के द्वारा धर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं।

हमने लापता व्यक्तियों की खोज के लिए सारी एफआईआर की एनालिसिस करके उनका डेटाबेस लॉ-एनफोर्समेंट एजेंसीज को साझा किया है। इसके माध्यम से 14 हजार तलाशियाँ ली गई और 3,680 हजार लोग प्राप्त कर लिए गए हैं।

मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि डेटाबेस से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया डेटाबेस का उपयोग कर रही है और हमें यह करना पड़ेगा। हम लोग कब तक अंग्रेजों के जमाने में जिएंगे ? हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा।

वाहन एनओसी के बारे में बताना चाहूंगा कि हमने चोरी किए गए वाहनों के रिकॉर्ड सीसीटीएनएस से ले लिए, वाहनों के चेसिस नंबर उपलब्ध कराए गए सेकंड-हैंड वाहन खरीदने वालों में से 13636 लोग बच गए और ऐसे वाहनों की जब्ती हुई, जो उनको बेचने गए थे। अगर यह सॉफ्टवेयर ना होता, उनकी एनालिसिस ना होती, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था।

16,176 घोषित अपराधी जो कानून की नजर से भाग रहे थे, उसके डेटाबेस को हमने सभी राज्यों की एजेंसियों के साथ साझा किया। अगर ओड़िशा वाला गुजरात में छिपा है, गुजरात वाला बंगाल में छिपा है, महाराष्ट्र वाला दिल्ली में छिपा है तो इनमें से कई अपराधियों को पकड़ लिया गया है, भागते हुए अपराधियों को पकड़ा गया है। ये जो डेटाबेस-डेटाबेस का हौवा खड़ा कर रहे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि यह सारा हो चुका है, यही ढाई साल में हो चुका है और यह अच्छी तरह से चल रहा है। इसके विरुद्ध



कहीं से कोई फरियाद नहीं है। अगर आपकी बात सुनकर कोई एनजीओ झूठ-मुठ की फरियाद खड़ी कर दे तो भगवान जाने।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के अंदर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, दादा, मैं अब सारे नाम फुल-फॉर्म में पढ़ रहा हूं। इसमें नौ लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 18 हजार शिकायतें एफआईआर में कन्वीन कर दीं। संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल (JJCT) सात JJCT के गठन किए गए हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश और संघ प्रदेश भी सम्मिलित हैं। इन सबकी ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, जो इन सबके उपयोग के लिए पुलिस एजेंसियों को प्रशिक्षित करता है।

इसी प्रकार सारी सेवाओं को 112 के तहत यहां लाने का भी माननीय अध्यक्ष जी काम किया गया है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सात सालों में फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ढेर सारे एनिशिएटिव्स लिए। लगभग 62 करोड़ रुपए की लागत से हमने पुणे में सेंट्रल एफएसएल बनाई, 50 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहटी में बनाई, 53 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल में नई आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की है। कोलकाता में 87 करोड़ रुपए की लागत से अब नई सेंट्रल एफएसएल बन रही है।

केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चंडीगढ़ में पूरे देश में यौन-अपराधों से जुड़े हुए लोगों का अत्याधुनिक डीएनए, डेटा स्टोरेज सेंटर और इसकी प्रयोगशाला भी बनी है। वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक फॉरेंसिक के क्षेत्र में हमने यह काम किया है और देशभर की पुलिस इस काम को आधुनिक करने के लिए मैं सिर्फ ई-इनिशिएटिव के लिए बात कर रहा हूं, 2080 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किए हैं । मैं यह इसलिए बता रहा हूं, जिससे सांसदों के मन में कोई संशय न रहे।

अभी एक बात आई कि इसका उपयोग कैसे होगा। मिसयूज होगा, क्योंकि यह सबसे साझा कर दिया जाएगा, तो निजता का क्या होगा। आर्टिकल-14, आर्टिकल-19, आर्टिकल-20, इसका मैं बाद में जवाब देता हूं, मैं पहले इसके उपयोग के बारे में बताना चाहता हूं।

National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी इसको ऑपरेट नहीं किया गया है, इसका सॉफ्टवेयर ट्रायल बेस पर चल रहा है, परंतु NAFIS के पास लगभग एक करोड़ से ज्यादा फिंगरप्रिंट्स अभी हैं। मैं यह डिटेल इसलिए बताना चाहता हूं कि यही तकनीक इसके लिए अपनाई जाएगी। NAFIS का डेटा एनसीआरबी में स्टोर्ड है। इसमें किसी का एक्सेस नहीं है, किसी लॉ-इनफोर्समेंट एजेंसी का भी एकतरफा एक्सेस नहीं



होगा, जब तक इसकी जरूरत नहीं होगी। तो फिर इसका उपयोग कैसे होगा? NAFIS को हम CCTNS के माध्यम से हर पुलिस स्टेशन से जोड़ेंगे।

किसी भी पुलिस स्टेशन में, मानिए कोलकाता के किसी पुलिस स्टेशन में चोरी हुई। वहां एफएसएल की टीम गई, उसको कुछ फिंगरप्रिंट्स मिल गए। आज की स्थिति में यह है कि उस पुलिस स्टेशन को उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर पूरी कोलकाता की आबादी में से चोर को ढूंढना है कि कौन चोरी कर गया। अब यह डेटा ऑपरेट होने के बाद उसको ये फिंगरप्रिंट्स कम्प्यूटर में डालने हैं। एक करोड़ लोगों में डेढ़ मिनट के अंदर सर्च करके वह उस व्यक्ति का नाम निकाल देगा और फिर चोर को पकड़ने की व्यवस्था होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस स्टेशन को कोई और बात मालूम नहीं है। अधीर रंजन जी ने कहा कि मेरे ऊपर केस हुआ। मैं स्पष्टता कर दूं कि मोदी जी पर जीवन में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ है। आप गलत बोले हैं और आपको सदन से माफी मांगनी चाहिए, कभी भी नहीं हुआ है। नहीं रखनी है, आप बैठ जाइए, माफी मांगने के लिए बाद में अपनी बात रखिएगा। अध्यक्ष जी, आपको मार्गदर्शन देना है, ये माननीय प्रधान मंत्री जी के लिए सोच-विचार कर बोला करें।

```
श्री अमित शाह: हां, लिया है, मैंने सुना है।
```

श्री अमित शाह : कभी नहीं हुआ है।

श्री अमित शाह : कभी केस दर्ज नहीं हुआ। कभी केस दर्ज नहीं हुआ।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहता हूं कि मोदी जी पर कभी कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अधीर जी को सदन से माफी मांगनी चाहिए। आप सुनिए, मेरी बात अधूरी रह गई है। मैं कह रहा था कि किसी के साथ ये डेटा साझा नहीं करना है। जिसे इस डेटा का उपयोग करना है, मानो कहीं बलात्कार हो गया और कोई डीएनए सैम्पल मिला है, तो उसे चंडीगढ़ के यौन अपराधियों के सेंटर पर भेजा जाएगा और वो डीएनए मैच करके भेज देगा कि इसने किया है। उसे सभी का डेटा नहीं देना है और इसके रूल्स भी बनेंगे। उसके ऑपरेशन का सिस्टम भी बनेगा। इसमें देश के सबसे अच्छे फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स को रखकर इसका उपयोग सीमित करने वाले हैं और हमने किया भी है। इस प्रकार से देश की सबसे बड़ी पंचायत में, जब 130 करोड़ लोग देख रहे हों, उस वक्त इतनी शंकाएं उत्पन्न करके किसी कानून के लिए आशंका खड़ा करना ठीक नहीं है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। आधार के आधार पर आशंका जरूर खड़ी कीजिए। कहने लगे कि यूएपीए, यूएपीए.....। मैं पूछना चाहता हूं कि यूएपीए कौन लेकर आया? एक सदस्य ने कहा कि यूएपीए अमेंडमेड आप लेकर आए। मैं पूछता हूं कि उसका हमारे समय में क्या मिसयूज हुआ? मैं आज भी



कहता हूं कि पोटा देश हित का कानून था, अपीज़मेंट में इसे रद्द किया गया। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। हम राजनीति में देश को सुरक्षित करने के लिए आए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान तक ले जाने के लिए आए हैं। हमने कभी भी राजनीति नहीं की है। यूएपीए में अमेंडमेंड चिदम्बरम साहब लेकर आए थे और हमने सपोर्ट किया था। एनआईए का हमने सपोर्ट किया था। हम भी विपक्ष में थे, लेकिन हमने कभी विरोध नहीं किया परन्तु शंकाएं खड़ी करके शंका का एक बादल बना देना, जिससे कि कानून पर श्रद्धा न बने। मुझे लगता है यह ठीक बात नहीं है। मैंने नफीस का उदाहरण इसलिए दिया कि सबको इसके ऑपरेशन के बारे में स्पष्टता हो जाए कि डेटा सबसे प्रोटेक्टेड हार्डवेयर के अंदर रहेगा। जिसे डेटा से एक्सेस चाहिए, वह अपना सैम्पल भेजेगा और यहां से उसे मैच करके उसका परिणाम ही भेजा जाएगा, डेटा नहीं भेजा जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सांसद निशिकांत जी ने ठीक कहा कि हम सभी के फिंगर प्रिंट आधार कार्ड पर हैं। हम सभी के डाक्यूमेंट्स सिम कार्ड लेते समय दिए जाते हैं। सिम कार्ड लेने वाले क्रिमिनल तो नहीं हैं। क्या हम क्रिमिनल का डेटा भी न लें? यदि नहीं लेंगे, तो क्राइम कैसे रोकेंगे? मैं अभी भी कहता हूं कि ह्यूमन राइट्स के दो एंगल हैं।

अध्यक्ष जी, जिन पर आरोप लगता है, उनके ह्यूमन राइट्स से इंकार नहीं करता हूं लेकिन मैं इसकी ज्यादा चिंता करता हूं कि जो निर्दोष है और क्राइम का विक्टिम है, मैं उनके ह्यूमन राइट्स की चिंता करता हूं। इसकी प्रॉयरिटी स्वाभाविक है। प्रॉयरिटी होनी भी चाहिए, क्योंकि वह तो कानून का समर्थन कर रहा है। जिसे देश की जनता ने मेनडेट दिया है, क्या सरकार में इतना विवेक नहीं होगा। कल आप भी यहां बैठे थे, आप भी कानून लेकर आते थे। हमने कभी ऐसे भाषण नहीं दिए।

विरोध करने का एक तरीका होता है, विरोध करने का मुद्दा होता है, विरोध करने के लॉजिक होते हैं। सिर्फ ओपोजिशन में बैठे हैं, इसलिए विरोध करना, मुझे ठीक नहीं लगता है। हंसने से दयानिधि जी कुछ नहीं होगा, आपको सुनना पड़ेगा। हंसने से चीज हल्की नहीं होती है।

अध्यक्ष जी, कई सारे एनालिसिस में दोष सिद्ध न होने के जो कारण निकाले गए हैं, इनमें सबूतों की कमी के आधार पर साढ़े सात लाख केस हर साल बंद कर दिए जाते हैं। इन साढ़े सात लाख केसेज में जिनका नुकसान हुआ है, उनका ह्यूमन राइट है या नहीं? यदि ये सारे सबूत उनके लिए उपलब्ध हो जाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि यह संख्या आधे से कम रह जाएगी और इस बिल की यही उपलब्धि है। किसी ने कहा कि क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा होने के बाद अब क्राइम नहीं होंगे। किस तरह की बातें आप सदन में कह रहे हैं? धारा 302 कब से है, तो क्या खून होने बंद हो गए हैं? क्या धारा 302 भी निकाल दोगे? आप



क्या तर्क देते हैं और क्या सोच कर बोलते हैं और क्या जगह देखकर बोलते हैं? बाहर किसी को हंसाने के लिए बोल दो, तो ठीक है लेकिन यह तो संसद है। न्याय की प्रतीक्षा के बारे में कोर्ट कभी कहता है कि अभी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। 15 लाख केस न्याय की अपेक्षा में पुख्ता सबूतों के अभाव में पेंडिंग हैं। क्या उन्हें जल्दी न्याय लेने का अधिकार नहीं है? वह न्याय तभी मिल सकता है, जब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इन सभी इनिशिएटिव्स को एक करके, इसका उपयोग करके सजा दिलाने का हम काम करेंगे। मैं मानता हूं कि देरी से मिले हुए न्याय का कोई उपयोग नहीं है। समय पर न्याय होना चाहिए और दोषियों को दंड भी मिलना चाहिए, तभी कानून का राज प्रस्थापित होगा। यदि ऐसा नहीं होता, तो पुलिस क्या करे? क्या पुलिस थर्ड डिग्री पर जाए? क्या हम ऐसा अलाऊ करना चाहेंगे? नरेन्द्र मोदी सरकार मानती है कि थर्ड डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन नहीं होगा, बल्कि तकनीक की डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन होगा। थर्ड डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन नहीं होगा, इनफोर्मेशन की डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन होगा। थर्ड डिग्री के आधार पर इनवेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन पुलिस को कम्पेल होना पड़ता है, क्योंकि उन पर दबाव पड़ता है। अखबार, विधायिकाएं दबाव बढ़ाती हैं, लेकिन कैसे काम होगा? टेक्नोलॉजी के आधार पर, डेटा के आधार पर, इनफोर्मेशन के आधार पर यदि सजा हो सकती है, तो थर्ड डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड डिग्री से निजात दिलाने के लिए टेकनीक का सहारा लिया जाएगा।

श्री अमित शाह : तमिलनाडु में भी कई जगह होता है।

श्री अमित शाह : आप बैठिए।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझ रहा हूं कि उन्हें हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है। मैंने कहा कि पुलिस को थर्ड डिग्री पर जाने के लिए कम्पेल न होना पड़े। उन्हें थर्ड डिग्री का रास्ता न अपनाना पड़े, इसलिए कहा है। ये शायद मेरी बात ढंग से समझ नहीं पाए। अब हैडफोन ट्रांसलेशन मोड पर लगाया है, इसलिए वे समझेंगे। मारन साहब, मैं कभी जल्दबाजी में नहीं बोलता और न ही गुस्सा होता हूं। मैं हमेशा सोच-विचार कर धैर्य से बोलता हूं।

महोदय, यह जो नया कानून आया है, बंदी शिनाख्त अधिनियम, 1920 पर वर्ष 1980 में विधि आयोग ने अपनी 87वीं रिपोर्ट में इसे उचित संशोधन करके विज्ञान आधारित बनाने की एक सिफारिश भारत सरकार को भेजी थी। दादा की बात सही है कि इतनी देर क्यों हो गई। दादा, हम देर से ही लेकर आए, लेकिन आप तो अभी भी विरोध कर रहे हैं और देर हो जाती।



श्री अमित शाह : दुरुस्त आए, अच्छी बात है। उसी रिपोर्ट में विधि आयोग ने स्वीकार किया था कि पहचान के उद्देश्य एकत्रित किए जाने वाले मापों को सीमित नहीं रखा जा सकता। आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उसे सुरक्षित रखना चाहिए, सीमित रखने का कंसेप्ट ठीक नहीं है। इसलिए यह जो कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, इसे सुरक्षित रखना, मैं आपकी चिंता और कंसर्न दोनों से सहमत हूं। सरकार इसकी पूरी व्यवस्था करेगी कि इसका दुरुपयोग कहीं पर भी न हो। इसकी कार्यपद्धति भी रूल्स में इसी प्रकार बनाई जाएगी और इसके उपयोग के लिए जो पद्धति बनाई जाएगी, उसमें देश के अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी के ज्ञाता लोगों को बिठाकर उनकी सेवाओं को लेकर काम करेंगे।

महोदय, मैं ह्यूमन राइट्स और निजता का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। हम दूसरे देश से ह्यूमन राइट में पिछड़े हुए हैं, मैं यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ, मगर ये सारी बातें जहाँ से प्रेरणा लेकर की जाती हैं, जो लोग ऐसी बातें करते हैं, इनको मैं ब्रिटेन का उदाहरण देना चाहता हूँ। ब्रिटेन का जैविक सूचना डेटा बेस दुनिया में सबसे बड़ा है। अपराध स्थल पर ही संदिग्ध का सभी प्रकार का सैम्पल ले लिया जाता है और वहाँ कोर्ट में 60 प्रतिशत मामलों में सजा इसी डेटा बेस के आधार पर होती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि इंग्लैंड ने किया, इसलिए हमें करना चाहिए, मगर ह्यूमन राइट्स का जो फॉरेन कांसेप्ट लेकर आते हैं, उनको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। मैं तो उस कांसेप्ट से सहमत ही नहीं हूं, परंतु उनको समझाने के लिए मैं यह उदाहरण दे रहा हूं।

महोदय, अभी जो अधिनियम है, उसमें आधुनिक एवं नवीन तकनीकों से शरीर का माप लेने का प्रावधान नहीं है। नये शारीरिक माप को लेने के लिए नई टेक्निक के आधार पर हम कानून लेकर आए हैं। मैंने जैसा पहले बताया कि हम इसको दोषसिद्धि के अलावा किसी और चीज के लिए उपयोग नहीं करना चाहते हैं। एनसीआरबी देश की प्राइम संस्था है, कई सालों से चल रही है, क्राइम कंट्रोल में उसका बहुत बड़ा योगदान है। सभी राज्यों की पुलिस की वह मदद करती है।

वहां आईपीएस ऑफिसर्स बैठते हैं, वहां कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं बैठता है। वैसे तो सब डेटा, इनकम टैक्स का डेटा भी किसी ऑफिसर के हाथ में होता है। सब डेटा, आधार का डेटा भी अंततोगत्वा तो किसी ऑफिसर के हाथ में होता है। क्या डेटा ही कलेक्ट नहीं करना, 18वीं सदी की तरह कागज रखना शुरू करना है? कहां ले जाएंगे शंका के वातावरण को?

महोदय, एनसीआरबी पर शंका करने को मैं उचित नहीं मानता हूँ। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाड़ु, मध्य प्रदेश, इन सब सरकारों ने इतना ज्यादा नहीं, मगर वर्ष 1920 के कानून को बदलने का काम किया है। वे ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं। आप जरा डाउनलोड करके



देख लीजिए, वे कर चुके हैं। इससे भी आगे सभी सरकारों से हमने चर्चा-विचारणा भी की है और उसके बाद यह बिल लेकर मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। हमने सभी से संपर्क किया था, मगर दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ 18 राज्यों ने अपने अभिप्राय भेजे हैं। समय की मर्यादा के कारण अब बिल ही आ गया है, बाकी राज्य उसके बाद इसे देखेंगे।

महोदय, ऐसा नहीं है कि जेल में जो कैदी हैं, उनके सुधार के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम एक मॉडल अधिनियम लाने जा रहे हैं, जिसका राज्यों का कंसल्टेशन समाप्त होने की कगार पर है। हम जेलों के लिए एक मॉडल अधिनियम ला रहे हैं। वह राज्यों को करना है, मगर एक मॉडल होगा, जो यहां से हम राज्यों को भेजेंगे। इसमें कैदियों के पुनर्वसन के लिए और जेल से मुक्त होकर वे पुनर्स्थापित हो, आफ्टर केयर सेवाओं पर इसमें बड़ी पुख्ता योजना है। जेल के अधिकारी के कर्तव्य, शक्तियों, जिम्मेदारियों और आचरण का नियमन करने के लिए भी इसमें पूरा प्रावधान किया गया है। अधिकतम सुरक्षित जेल, उच्चतम सुरक्षा वाली जेल, खुली जेल, महिलाओं की जेल और ट्रांसजेंडर की अलग खोली, ये सारी व्यवस्था इसमें हम करने जा रहे हैं। महिला बंदियों के लिए अलग जेल, बैरक और बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं, उनके लिए भी अलग बैरक बनाने की व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। कैदियों का मनोवैज्ञानिक आकलन करके, नार्को एनालिसिस नहीं, मनोवैज्ञानिक आकलन करके वहाँ उनको क्राइम की आदत छुड़ाने के लिए भी साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स की सर्विस दी जाएगी। काउंसिलिंग, थैरेपी और ट्रेनिंग, तीनों विषयों को हम इसमें लाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम बंदियों को कानूनी सहायता का प्रावधान भी इसमें करने जा रहे हैं।

जो मजदूरी करते हैं, उसकी कमाई से दंड भरकर उसको जेल से जल्दी छोड़ने की एक व्यवस्था भी अधिनियम के अंदर करने जा रहे हैं। पैरोल, फरलो और समय से पहले रिहाई को भी हम बहुत रिलेक्स करने जा रहे हैं। हम जेल कैदियों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं और जेल की वीडियो कांफ्रेंस की व्यवस्था को और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यह मॉडल अधिनियम भी अभी फाइनलाइजेशन पर है, उसके बाद ही सारे राज्यों को भेज दिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में एक बेलेंस की जरूरत है। व्यक्ति के अधिकारों के साथ-साथ समाज, सोसायटी के अधिकारों पर भी चिंता करनी पड़ेगी और दोनों के बेलेंस को बढ़ाना पड़ेगा।

व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते-करते समाज एज सच समाज के अधिकारों का ही हनन हो जाए, इस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती है और न ही किसी भी सरकार को करनी चाहिए।



माननीय अध्यक्ष जी, कुछ सदस्यों ने काफी सारी चीजें उठाई थीं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। बहुत सारे सांसदों ने केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट क्वोट किया है। मनीष भाई से लेकर बहुत सारे सांसदों ने क्वोट किया है। इसमें तीन अपवाद भी हैं। अपवाद कब हो सकता है? यह सक्षम विधायिका द्वारा कानून पारित करके किया जाएगा, जो यह सक्षम विधायिका है। यह वैध देश हित में सहायक होगा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और पुख्ता करना, आरोपियों को सजा कराना, क्रिमिनल्स को सजा कराना। मैं मानता हूं कि यह वैध देश हित में है और यह देश हित में हो रहा है तथा आनुपातिक होगा। किसी एक वर्ग के लिए नहीं होगा तो यह किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, सारे लोग जो पकड़े जाएंगे, उनके लिए होगा। इसके लिए आप जो पुट्टास्वामी का जजमेंट क्वोट कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है और न वह इस पर लागू होता है, न इसे पारित करने में बाधक है।

इसके बाद मनीष जी ने कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी के सुधार किए जा रहे हैं। सिविल सोसायटियों से चर्चा नहीं हो रही है। सिविल सोसायटी से चर्चा के लिए मनीष जी मैंने तो आपको पत्र लिखा है, आप भी कर लो। उनके सुझाव लेकर मुझे भेज दो। हमने सारे विधायकों को पत्र लिख दिया है, सारे सांसदों को लिखा, सारे न्यायालयों को लिखा, सारे लॉ कॉलेजेज़ को लिखा। अब कौन सी इससे बड़ी सिविल सोसायटी लाएंगे? हम ही हैं देश की सबसे बड़ी सिविल सोसायटी, हमारी संसद है, जो 130 करोड़ लोगों को री-प्रेजेंट करती है। आप सब लोग अपने सुझाव भेजिए। मुझे नहीं लगता।

श्री अमित शाह : कल आपने जो बोला था, वह ध्यान से सुन लेना। मैंने ध्यान से सुना है। आपने सिर्फ सीआरपीसी, आईपीसी के लिए ही कहा है। इसलिए मैं यह जवाब दे रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एनसीआरबी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से डेटा साझा करेगी? मैंने इसके बारे में भी बता दिया है कि डेटा एकतरफा साझा होगा, पूरा डेटा किसी से साझा नहीं होना है। वे लोग अपने उपयोग के डेटा के लिए यहां क्वेरी भेजेंगे। उसका इतना ही स्पेसिफिक जवाब यहां से पहुंचेगा। डेटा को सुरक्षित प्लेटफार्म पर रखा जाने वाला है, उसको नेटवर्क पर साझा नहीं किया जाएगा और क्वेरी के आधार पर साझा किया जाएगा। डेटा स्टोरेज के लिए किसी भी थर्ड पार्टी या निजी पक्ष की कोई भागीदारी होने वाली नहीं है। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं। यह कम्पलीटली एनसीआरबी में होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी की धारा 107, 108, 109 और 110 में नमूने लेने की बात कही गई है। इसके अंदर ही प्रोविजन है कि जिनको प्रतिभूति देने का ऑर्डर किया है, उसके अलावा किसी का नहीं दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने संदेहात्मक आर्टिकल 21 का उल्लेख किया है। वह किसी



का नहीं होता है, संदेहात्मक व्यक्ति और जिनका कन्विक्शन हो चुका है, ऐसे व्यक्तियों का ही होगा और डेटाबेस सुरक्षित रहने वाला है। कहीं पर भी इसका उल्लंघन होने का सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे कानूनों के अंदर प्रावधान है। आर्टिकल-21 के सो कॉल्ड वॉयलेशन की जो बात करते हैं, इसी में, अनुच्छेद-3 में ही प्रावधान है कि 7 वर्ष से कम उम्र की कैद की सजा वाले अपराधी, जो किसी महिला और बच्चे के अपराध में न हों, कोई किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति का सैंपल देने से वह मना कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें 'may be' और 'shall be' पर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। स्वाभाविक है कि मुझे क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। 'may be' इसलिए लिखा है कि कोई स्वेच्छा से अपना डेटा देना चाहता है तो वह दे सकता है। 'shall be' लिखने के बाद लेने का प्रोविजन ही नहीं होता है। मगर 'may be' अधिकारी को तो बाध्य कर ही देता है। अधिकारी नहीं ले सकता है। 'may be' लिखने के बाद जो कैदी है, वह दे सकता है कि मुझे अब कभी अपराध करना ही नहीं ले लो मेरा डेटा। भर्तृहरि जी, मैं बाद में जवाब दूंगा। 'shall not' और 'may not' के लिए मैं कह रहा हूँ।

उसके बाद एक मुद्दा यह उठाया गया कि 75 वर्ष तक क्यों रखने हैं? जब लीक ही नहीं होना है तो साल कम कर के भी क्या करना है? लीक ही नहीं होना है तो साल कम कर के क्या करना है। अगर लीक होना है तो एक साल भी नहीं रख सकते हैं।

भारत के संविधान, 20(3) के तहत अपने विरुद्ध गवाह बनने का, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं एक जजमेंट कोट करना चाहता हूँ – काठी कालू ओघड़ केस, 1961 का और रितेश सिन्हा केस, 2019 का। उसमें इन्होंने कहा है कि सभी प्रकार के साक्ष्य देने पड़ते हैं, जब कोर्ट ऑर्डर करता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह गैर-संवैधानिक है, तो कोर्ट उसका उपयोग ही नहीं कर पाएगा। कोर्ट कैसे उपयोग करेगा? मैं मानता हूं कि आर्टिकल-23, हमने जो 6(1) प्रोविजन किया है, इससे प्रोटेक्ट हो जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि नार्को एनालिसिस और ब्रेन मैपिंग होगा। कहीं पर भी नहीं होगा। मैं सदन के रेकॉर्ड पर कहना चाहता हूँ और अगर आप लोगों के मन में आशंका है तो रूल्स में भी हम स्पेसिफाई करेंगे कि कैदी की सहमति के बगैर कोई भी ये टेस्ट्स नहीं कर सकता है और न करने की ऐसी मंशा है और न हमारा इरादा है।

माननीय अध्यक्ष जी, कई सारे सांसद जो बोले और नहीं बोले, दोनों के मन में था कि हम धरना-प्रदर्शन करते हैं और अगर हमें पकड़ कर ले जाते हैं तो हमें सैंपल देने पड़ेंगे।



ज़रा भी नहीं देने पड़ेंगे। क्योंकि सात साल की सज़ा जब तक नहीं है, उसमें आप इसको इनकार कर सकते हो और इसके रूल्स के माध्यम से भी कुछ रिस्ट्रिक्शन हम डाल सकते हैं तो हम इसको एक्सप्लोर

करेंगे। यह चिंता स्वाभाविक है, परंतु इस चिंता का समाधान हमने एक्ट के अंदर ही ऑलरेडी किया है। श्री अमित शाह : मैं अभी भी कह देता हूँ कि रूल्स में अगर क्लैरिफाई नहीं होगा तो मैं सदन के सामने अमेंडमेंट ले कर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर रूल्स क्लैरिफाई कर सकते हैं तो जरूर रूल्स में क्लैरिफाई होगा। इसमें दयानिधि मारन जी ने कहा कि धार्मिक और सामाजिक। माननीय अध्यक्ष जी, यह सबके लिए है। ऐसी आशंका कि माइनोरिटी के लिए इसका उपयोग होगा, ऐसा करने की जरूरत नहीं है।

निजिता का अधिकार भी कह दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली के दंगों में कुछ नहीं हुआ, एक जनरल ऑब्ज़र्वेशन किया। मगर दयानिधि मारन जी को मैं कहना चाहता हूँ कि 2473 लोग अरेस्ट किए गए हैं। 403 चार्जशीट हो चुकी हैं और 2473 में से सिर्फ 86 लोगों की बेल हुई है, दयानिधि जी, बाकी सब लोग जेल में ही हैं।

यह नरेन्द्र मोदी सरकार है। यहां दंगा करने वालों को पार्टी के आधार पर छोड़ा नहीं जाता है।

माननीय अध्यक्ष जी, सुप्रिया सुले जी ने आर्टिकल-21 के वॉयलेशन के बारे में कहा, उसके बारे में मैंने कहा है। उन्होंने पीएमएलए के मिस-यूज के बारे में कहा। किसी कानून का उल्लंघन ऑफिसर के लेवल पर या किसी के लेवल पर हो सकता है, मगर क्या अदालतें नहीं हैं? क्या वह चैलेंज नहीं हो सकता है? हम ऐसा राज करना चाहते हैं कि कोई कुछ भी मनमाने तरीके से गलत करता जाए और चूंकि वह राजनीति में है, क्या उस पर कोई केस ही नहीं होगा? किस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं? सबके लिए अदालतें खुली हैं। क्या अदालतों पर भी शंका है? सब लोग अच्छे से अच्छे लॉयर रखते हैं। किस बात का डर है? इसमें पी.एम.एल.ए. कहां है? इसमें तो जो पकड़ कर आते हैं, यह उनके लिए है। यह पकड़ने के लिए नहीं है। इसमें पी.एम.एल.ए. का उदाहरण तो लगता ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, भर्तृहरि महताब जी ने कहा कि मुझे पोटा की याद आ गई। महताब साहब, यह ज्वायंट सेशन नहीं है। अगर इसके लिए ज्वायंट सेशन करना भी पड़े तो मैं तो यह करने के मत का हूं। किसी भी तरह से काम को करना है। हमें आगे बढ़ना होगा।

श्री अमित शाह: भर्तृहरि जी, इसमें भी जो देना चाहेंगे, वह ही देंगे, बाकी के लोगों के लिए सात साल तक कोई बाध्यता नहीं है।



माननीय अध्यक्ष जी, डेटा रिकॉर्ड के बारे में जो बात उठाई गई, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसका कोई मिस-यूज नहीं होगा। हम इसकी पूरी चिंता करेंगे। आधुनिक से आधुनिक टेक्नीक के साथ इसके स्टोरेज की और इसके उपयोग की व्यवस्था करेंगे। हम किसी को भी इसका मिस-यूज नहीं करने देंगे।

दानिश अली साहब ने फिर से एक बार, हमेशा वे जो बोलते हैं, वही बोला है। उनको पसन्द आ गया। कुछ तो पसन्द आया। उनका मुद्दा यू.ए.पी.ए. का मुद्दा था। इसका जवाब मैं डिटेल में दे सकता हूं, मगर मैं कुछ तथ्य जरूर रिकॉर्ड में लाना चाहूंगा। वर्ष 2019 में इस देश में 51,56,158 केस हुए थे और 52 लाख लोग पकड़े गए थे। यू.ए.पी.ए. के तहत वर्ष 2019 में सिर्फ 1200 केस हुए थे। इसमें नारकोटिक्स के भी हैं, इसमें हथियारों की तस्करी के भी हैं, इसमें टेररिज्म के भी हैं, इसमें टेररिज्म के लिए विदेशों से फण्ड्स लाने के केसेज भी हैं और इनमें सिर्फ 1948 लोगों को पकड़ा गया। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सवाल उठाएंगे, इसलिए देश के विरुद्ध काम करने वालों के खिलाफ यू.ए.पी.ए. नहीं लगेगा? यह निश्चित लगेगा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। इस तरह से नहीं चलेगा। 2020 में 66 लाख लोग पकड़े गए, इसमें से 796 केसेस में UAPA लगा। वर्ष 2020 में 68 लाख लोग पकड़े गए, जिसमें से ऐसे सिर्फ 1221 लोग हैं। 2019 में 52 लाख केस हुए, इसमें से 1900 ऐसे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मिस-यूज, मिस-यूज, मिस-यूज! यू.ए.पी.ए. किसी एक जाति, धर्म के लिए नहीं है। मगर, आपकी बात, आपकी पैखी एक जाति, धर्म के लिए है। संसद में जब चर्चा होती है तो संसद की मर्यादा रखते हुए मैं अंतिम व्यक्ति हूं ऐसी चर्चाओं को सहन करने के लिए और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा, ढंग से जवाब दिया जाएगा। हम ऐसे विवादों से नहीं डरते हैं। देश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी देश की जनता ने हमें दी है। इस तरह से आप नहीं डरा सकते।

माननीय अध्यक्ष जी, अन्त में, दादा ने कुछ मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बिल में लॉ कमीशन का उल्लेख क्यों नहीं किया। दादा, बिल में उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने भाषण में इसलिए उल्लेख कर दिया कि बहुत सारे आधार हैं। अगर लॉ कमीशन ने रिपोर्ट न भी दी होती, तब भी मैं बिल लेकर आता, सरकार बाध्य नहीं है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही बिल लेकर आए।

मगर, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वर्ष 1980 में विधि आयोग ने इसकी जरुरत को समझा था, जब हम इसको लेकर आए हैं तो इसे भी कंसीडर करके दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक नॉन-गजटेड ऑफिसर्स को शक्तियाँ देने का सवाल है, तहसील और जिले की स्थायी जेलों में कहीं गजेटेड ऑफिसर ही नहीं है।



दादा, आप एक सेकेंड के लिए रुकिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेड कॉन्स्टेबल भी कितने सालों की सर्विस के बाद बनता है। दूसरी बात, इसको वैज्ञानिक तरीके से लेना है और बहुत सारे तो एफ.एस. एल. में लिए जाएंगे। इसको लेने की एक प्रक्रिया बनेगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद राज्य इसको नोटिफाई करेंगे और भारत सरकार करेगी। इसकी ट्रेनिंग की व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। इसलिए, आप इसकी मिसयूज की जरा भी चिंता मत कीजिए।

माननीय अध्यक्ष जी, अंत में, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आधुनिक टेक्निक के उपयोग में हम अब देरी नहीं कर सकते हैं। इस देश को सुरक्षित बनाने के लिए, आरोपियों को सजा दिलाने के लिए और देश की आंतरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए सभी प्रकार की टेक्निक्स का उपयोग होना चाहिए। हमें इसको परिणामलक्षी बनाकर देश को सुरक्षित बनाना है। अत: मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप लोग कृपया इसे पारित करें। यह बिल ऐसा बिल है, जिसको हमें सर्वानुमति से पारित करना चाहिए। सभी लोगों को ऑब्जेक्शंस विड्रॉ करके इसे सर्वानुमति से पारित करना चाहिए।

धन्यवाद।

(इति)





दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 06 अप्रैल, 2022 को राज्य सभा में

माननीय श्री अमित शाह जी

केंद्रीय गृहमंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार का संबोधन





कृपया YouTube पर सुनने हेतु स्कैन करें

'उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन'





माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, श्री अमित शाह जी का दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022 पर राज्य सभा में संबोधन



THE CRIMINAL PROCEDURE (IDENTIFICATION) BILL, 2022

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि दांडिक मामलों में शनाख्त और अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सिद्धदोष और अन्य व्यक्तियों का माप लेने को प्राधिकृत करने और अभिलेखों का परिरक्षण करने और उससे संबद्ध और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसे चार तारीख को लोक सभा ने भी पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य एक सौ साल पुराने विधेयक में आज के जमाने के अनुरूप टेक्नोलॉजी में जो बदलाव हुआ है, उसका समावेश करना है, investigation को बल देना है और इस डेटा को स्टोर करके, इसका analysis करके, इसका उपयोग करके दोषसिद्धि के प्रमाण को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। उपसभापति महोदय, जब तक किसी देश में दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं बढ़ता है, तब तक कानून और व्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। पुलिस या कानून प्रवर्तक एजेन्सियाँ कितने भी लोगों को कानून के दायरे में पकड़कर लाएं, मगर जब तक अदालतों में उनके दोष को सिद्ध नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें सजा नहीं होती है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से अपराध करते हैं, जिन्होंने अपराध को पेशे के रूप में भी स्वीकार किया है, जब तक ऐसे अपराधियों को सजा नहीं कराते हैं, तब तक यह सिलसिला टूटता नहीं है। दूसरा, जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है - 'अपराध करने से सजा होती है' - यह संदेश भी समाज के अंदर नहीं जाता है और जब तक अपराधियों को सजा नहीं होती है, तब तक हम कानून के अनुसार जीने वाले समाज के बहुत बड़े तबके में कानून, व्यवस्था और सरकार के प्रति, संविधान के प्रति आस्था की भावना को खड़ा नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह निहायत जरूरी है कि दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया जाए और ऐसा लगता है कि इसके लिए अंग्रेजों के समय में



बना हुआ एक पुराना कानून आज के समय में पर्याप्त नहीं है। देश के विधि आयोग ने 1980 में भारत सरकार को 'बंदी शनाख्त अधिनियम, 1920' पर अपनी 87वीं रिपोर्ट सौंपी थी और उसके अंदर विधि आयोग के द्वारा यह जरूरत महसूस की गई थी कि 1920 के कानून को दांडिक जाँच में आधुनिक रुझानों के अनुरूप बदलने की जरूरत है। विधि आयोग ने यह भी कहा कि पहचान के प्रयोजन से संकलित किए जाने वाले डेटा की श्रेणियों को सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्नत वैज्ञानिक खोज से लिए जाने वाले सारे मापों की सूची में निरंतर वृद्धि होनी चाहिए। इसके साथ ही, विधि आयोग ने यह भी अनुशंसा की कि जिन व्यक्तियों के माप लिए जा रहे हैं, उनके दायरे को भी विस्तृत करना चाहिए।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : कई सारे जजमेंट्स में भी इसी प्रकार की भावना राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के सामने अलग-अलग समय पर व्यक्त की गई है। इस विषय-वस्तु को ध्यान में रखकर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्णाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन सारे राज्यों ने कई समयानुकूल परिवर्तन किए हैं, परन्तु इस पर समग्रता से विचार करके माप रखने की आधुनिक से आधुनिक तकनीक से माप का डेटा स्टोरेज हो, अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर से इसका एनालिसिस हो, ताकि इसके आधार पर गुनाह करने की मानसिकता का पता चल सके कि हर जिले में किस प्रकार के गुनाह होते हैं, हर प्रदेश में किस प्रकार के गुनाह ज्यादा होते हैं। फिर, उसके आधार पर उस जिले और प्रदेश में होने वाले गुनाह को रोकने के लिए पुलिस की रणनीति बन पाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था को कानूनी स्वरूप देने के लिए मैं यहाँ यह विधेयक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा, मगर पहले सभी सदस्यों के अभिप्राय सुनने के बाद उनकी ओर से आए हुए सारे सुझावों, उनकी ओर से आई हुई सारी queries को address करते हुए समापन के वक्त मैं इसको विस्तार में रखूँगा।

अंत में, मैं सभी सभासदों से यह कहता हूँ कि वे अपने-अपने मूल्यवान विचार, इसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी हों, उनको यहाँ पर रखें।

(समाप्त)

REPLY TO THE DEBATE

गृह मंत्री (श्री अमित शाह) : उपसभापति महोदय, शायद उन्होंने पूरा भाषण बृजलाल जी का नहीं सुना है। बृजलाल जी ने तर्कहीन बात नहीं रखी है, उन्होंने पीछे पूरी प्रक्रिया समझाई कि वे क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामूहिक लोगों को उस जघन्य कांड के अंदर जिंदा जला दिया गया, उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास, उस वक्त के तत्कालीन रेलवे मंत्री ने किया। उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चयनित किए



हुए जज की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग चल रहा था, फिर भी उन्होंने रेलवे एक्ट का उपयोग करके एक कमेटी रेलवे एक्ट के तहत बनाई। उस कमेटी ने कारण दिया कि वह एक्सीडेंट था, वह षड्यंत्र नहीं था। जिस कारण को माननीय सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया, इसीलिए उन्होंने कहा है कि उसको अलग स्वरूप देने का प्रयास किया है। यह जो कमेटी बनी थी, इस पर अब कोई राय नहीं हो रही है, सर्वोच्च अदालत का जजमेंट है कि 60 लोगों को मारने वालों को बचाने का एक प्रयास था, यह श्री बृजलाल जी कहना चाहते थे और यह सामूहिक जिम्मेदारी नहीं आ सकती है।

श्री अमित शाह : धन्यवाद उपसभापति महोदय। आज जो बिल लेकर मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कांग्रेस पार्टी के श्रीमान् पी. चिदम्बरम से लेकर श्री बृजलाल जी तक 17 सदस्यों ने अपने-अपने अभिप्राय, अपने-अपने विचार रखने का काम किया है।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : मान्यवर, कुछ सदस्यों ने इसकी कुछ धाराओं पर, इसके दुरुपयोग पर आशंकाएँ भी व्यक्त की हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ सदस्यों ने इसकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल खड़े किए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट्स दिए हैं, उन जजमेंट्स के हिसाब से यह बिल उचित नहीं है। मान्यवर, मैं इन सब सवालों का डिटेल में जवाब दूंगा। सबसे पहले तो मैं बिल को लेकर आने वाले मंत्री के नाते इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, उसको रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस बिल का उद्देश्य सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, उसको रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस बिल का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस देश में कानून की अदालतों में जो मामले जाते हैं उनमें दोषसिद्धि का प्रमाण बढ़ाना। मान्यवर, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। पुलिस और forensic team की capacity-building करना - यह इस बिल का उद्देश्य है, थर्ड डिग्री को नाबूद करके दोषसिद्धि के लिए scientific evidence prosecution agency को उपलब्ध कराना - मान्यवर, यह बिल का उद्देश्य है। डेटा को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर रखकर उसे एक निश्चित प्रक्रिया के तहत साझा करके किसी भी नागरिक की privacy risk में न आ जाए, उसकी प्राइवेसी भंग न हो - इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र बनाना है। मान्यवर, मैं ये चार उद्देश्य लेकर इस महान सदन के सामने इस बिल को लेकर आया हूं।

मान्यवर, बहुत बातें हुई कि बिल से यह कर देंगे, वह कर देंगे, इस बिल का दुरुपयोग हो जाएगा आदि-आदि। मुझे थोड़ा दुख भी है, झा साहब ने जो यह कहा कि चर्चा का स्तर बहुत अच्छा रहा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि झा साहब, चर्चा का स्तर तब अच्छा माना जाता है, जब बात बैलेंस्ड तरीके से की जाए। मान्यवर, विपक्ष के एक भी सदस्य ने दोषसिद्धि का प्रमाण कम है और उसको बढ़ाना चाहिए, इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। हम किस प्रकार का criminal justice system चाहते हैं? जिस criminal justice system के अंदर हत्या करके 100 में से 56 लोग बरी हो जाएं, जिस सिस्टम के अंदर बलात्कार



करके 100 में से 60 लोग बरी हो जाएं, चोरी करके 100 में से 62 लोग बरी हो जाएं, डकैती करके 100 में से 70 लोग बरी हो जाएं, बाल अपराध करके 100 में से 62 लोग बरी हो जाएं - क्या हम ऐसा सिस्टम चाहते हैं? मान्यवर, दोषसिद्धि का प्रतिशत क्या है - इस पर कोई नहीं बोला। आप इतनी सारी रिसर्च करते हैं, तो इतनी रिसर्च भी कर लेते और इसको स्पिरिट से रख देते। मान्यवर, देश में हत्या के मामले में हम सिर्फ 44 प्रतिशत लोगों को सज़ा दिला पाते हैं। मैं तो प्राइमरी कोर्ट की बात करता हूं, लेकिन जब यह जजमेंट ऊपर से आता है, तब और गिरता है। मान्यवर, यह बलात्कार के अंदर 39 प्रतिशत, चोरी के अंदर 38 प्रतिशत, डकैती के अंदर 29 प्रतिशत और बाल अपराध के अंदर सिर्फ 37 प्रतिशत है। क्या हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? किसी ने इस पर सजेशन नहीं दिया। कुछ अच्छे सुझाव देते कि इसको बढ़ाने के लिए यह जरूरी है, मगर इसमें इतना ध्यान रखिए, इसमें इतना सुधार कीजिए आदि-आदि। यदि ऐसा होता, तब तो चर्चा का स्तर ऊपर आया है - उपसभापति जी, मैं ऐसा मान सकता था।

उपसभापति जी, यहाँ पर और देशों की भी बहुत सारी बातें हुईं। उन देशों के कानूनों का अध्ययन किए बगैर ही उनका रेफरेंस दिया गया। मान्यवर, हमारा कानून तो सख्ती के हिसाब से बच्चा है, इससे कठोरतम कानून तो दुनिया में अन्य देशों के अंदर बने हैं। आप वहाँ पर दोषसिद्धि का प्रतिशत देखिए। यह दक्षिण अफ्रीका में 82 प्रतिशत, यूनाइटेड किंगडम में 84 प्रतिशत, कनाडा में 64 प्रतिशत, ऑस्ट्रेलिया में 97 प्रतिशत और अमरीका में 93 प्रतिशत है।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : यह क्यों है, क्योंकि वहां प्रॉसिक्यूशन एजेंसी को साइंटिफिक एजेंसी का आधार मिला हुआ है। साइंटिफिक एविडेंस, फोरेंसिक एविडेंस के आधार पर प्रॉसिक्यूशन एजेंसी आगे बढ़ती है, इसलिए अदालतों को सजा देना सरल हो जाता है और जो गुनहगार है, उसे कानून की गिरफ्त से भागना बहुत कठिन हो जाता है। क्या हम हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को उस ओर मोड़ना नहीं चाहते हैं? मोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए, इसके लिए सदन के सामने यह बिल आया है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम सिर्फ राजनीति की कोरी चिन्ता करेंगे? हमें राजनैतिक चिन्ताओं का सम्मान है, आपकी शंकाओं का भी जवाब देने का मेरा दायित्व है और मैं दूंगा भी, परन्तु आपमें से कोई एक तो बोलता कि भैया, यह जरूरी है, मगर इतनी चिन्ता करिये। मैंने सब भाषण धैर्य से सुने हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई नहीं बोला।

यह बिल लाने का उद्देश्य दोषसिद्धि को बढ़ाना और साइंटिफिक एविडेंस को हमारी प्रॉसिक्यूशन एजेंसियों को उपलब्ध कराना है। एक देश में एक प्रथा होती है। लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, मगर जनता जो चाहती है, वही यहां आता



है। हम तो चाहते हैं कि प्रतिपक्ष मजबूत हो, परन्तु अल्टीमेटली वह तो जनता को निर्णय करना है। जो कोई भी सरकार बनती है, वह विधि से स्थापित होती है और सरकार लोगों के मेन्डेट का प्रतिनिधित्व करती है। सरकार के हर लेजिस्लेशन को, हर कानून को शंका की दृष्टि से देखकर शंका का एक गहरा बादल देश के विचारों के आकाश पर बढ़ा देना कितना उचित है? जनभावनाओं को गुमराह करना, शंकाओं के आकाश के नीचे हर चीज़ का जनता के मन में भय उत्पन्न करना कितना ठीक है? हमें कहीं न कहीं इसका विचार करना पड़ेगा कि सरकार कोई पार्टी नहीं बनाती है, पार्टी तो अपना एजेंडा लेकर जनता के सामने जाती है, जनता वोट करती है और उसमें से सरकार बनती है। यह सरकार संविधान बनाता है, संविधान की धाराएं बनाती हैं, हमें संविधान की शपथ लेनी पड़ती है तो सरकार के हर इन्टेट पर शंका खड़ी करना और शंका का एक बादल खड़ा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मैं देख रहा हूं कि सरकार के हरेक कदम को राजनैतिक तराजू के अंदर ही तौला जाता है। सरकार के हर कदम को पक्ष और विपक्ष की भाषा में ही देखा जाता है। सरकार के हर उद्देश्य को इस प्रकार देखा जाता है कि इसका यह उपयोग हो जायेगा, उसका वह उपयोग हो जायेगा। मैं समझ रहा हूं, आपको शंका होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप पावर में थे, तब आपने यह दुरुपयोग किया है, मगर हम उनमें से नहीं हैं। निश्चित रूप से नहीं हैं। मैं बोलूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा, कहेंगे कि यह पुरानी बात है। बात पुरानी ही है, क्योंकि आपकी सत्ता पुरानी हो गई तो बात तो पुरानी ही आएगी। आज तो आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन मैं इसमें जाना नहीं चाहता।

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों ने ह्यूमन राइट्स की बात कही। मैंने दो दिन पहले लोक सभा में कहा था कि ह्यूमन राइट्स के दो पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसे कानून पकड़ता है, उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परन्तु जिसकी हत्या होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जिस घर का पालन-पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल-बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है, इसकी चिन्ता भी इस सदन को करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एकतरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टैररिज्म फैलता है, हजारों-हजार लोग मारे जाते हैं तो मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्ट्स का ही ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ही ह्यूमन राइट नहीं है। अगर कानून बनाने वाली संस्थाएं दोनों ह्यूमन राइट्स के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेंगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएंगी तो हम किसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं?

श्री अमित शाह (क्रमागत) : जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97 प्रतिशत से ज्यादा है, क्या हम उनकी चिंता न करें? मान्यवर, हमें उनकी चिंता जरूर करनी चाहिए। आप



लोगों को जिसकी चिंता करनी है, करिए, हम तो उन कानून के हिसाब से जीने वाले 97% लोगों के human rights की चिंता करने वाले लोग हैं।

मान्यवर, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई judgements विद्वान लोगों ने यहाँ quote किए, मगर वे हर judgement में से अपना selective part ही लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में, संविधान के चार कोने के बीच में दी गई है। स्वतंत्रता की व्याख्या किसी और की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है। यह स्वतंत्रता नहीं है। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते हैं। मान्यवर, फौजिया खान जी, संजय जी, सबने शंका का वातावरण खड़ा करने का प्रयास किया है, सवाल भी उठाए हैं, उनका अधिकार है, मगर मैं सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह बिल लाने के पीछे मेरी या हमारी सरकार की, न हमारे प्रधान मंत्री की, किसी की भी गलत मंशा नहीं है। यह बिल लाने के पीछे एकमात्र मंशा यह है कि इस देश में गुनाहों के परिमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के परिमाण को बढ़ाया जाए, इस देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाए।

मान्यवर, मैं आगे बताता हूँ कि किस प्रकार से यह कहा गया कि इसका दुरुपयोग होगा, निजता का हनन होगा। मान्यवर, यह जो सारा data आएगा, वह NCRB के पास रहेगा। मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि NCRB में जो data आएगा, वह सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर और सुरक्षित hardware के अंदर ही रहेगा। Data भंडारण में किसी तीसरे पक्ष, third party या निजी एजेंसियों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। NCRB ही उसको manage करेगा। मान्यवर, NCRB का जो data भंडारण है, सरकार की उच्च से उच्च कक्षा की कमिटी इसका परीक्षण करेगी और data साझा करने के लिए भी एक पद्धति बनाएगी। इसके लिए भी forensic experts और इस क्षेत्र के experts की एक कमिटी बनेगी। वह data साझा करने की पद्धति को बना कर रूल्स के अंदर व्याख्यायित करके इसे notify करेगी। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी NCRB के पास एक NAFIS नामक सिस्टम बनाया गया है। इसके तहत एक करोड़ fingerprints का data है। अगर राज्य सभा के सदस्य यह बिल पास कर देते हैं, तो fingerprint का यह data बहुत बढ़ेगा। अब अगर किसी भी राज्य के किसी दूर के गाँव में चोरी होती है और पुलिस जाकर fingerprint लेती है, तो fingerprint लेने के बाद पुलिस इसको preserve करती है, क्योंकि जब चोर पकड़ा जाएगा, तब यह fingerprint match करके उसको सजा कराने के काम में आएगा। चिदम्बरम



साहब ने तो fingerprint पर ही question कर दिया, मगर अभी तो अदालतें इसको मानती हैं, इसलिए यह उसको सजा कराने के काम में आएगा। अब इस सिस्टम के आने के बाद क्या होगा कि अगर किसी घर में चोरी होगी, तो पुलिस अफसर forensic science की टीम को बुला कर वहाँ जो उपलब्ध fingerprints हैं, उनको लेगा। घर के लोगों के fingerprints लेकर उनमें से घर के लोगों के fingerprints को बाहर निकालेगा। अब जो बच जाएगा, वह fingerprint चोरी करने वाले शंकास्पद व्यक्ति का है।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : महोदय, आज स्थिति यह है कि पुलिस उनको ढूंढ़ती है, उनका फिंगरप्रिंट लेती है और फिर अपराधी के फिंगरप्रिंट से उसको मैच करती है। यह बिल पास होने के बाद यह होगा कि वह फिंगरप्रिंट NCRB को भेजा जाएगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन के पास पूरे के पूरे फिंगरप्रिंट्स का एक्सेस नहीं होगा। वह पुलिस स्टेशन उन फिंगरप्रिंट्स को NCRB के पास भेजेगा, NCRB एक करोड़ फिंगरप्रिंट्स के डेटा को 3.5 मिनट में रन करके देखेगा और अगर उस अपराधी के फिंगरप्रिंट्स उसमें हैं, तो NCRB उस अपराधी का नाम उस पुलिस स्टेशन के पास भेज देगा, जिससे पुलिस को उस अपराधी को ढूंढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बताइए कि इसमें भला निजता का हनन कैसे होगा?

महोदय, अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो वहां से जो biological samples मिलेंगे, उस डेटा को, जिन्होंने महिलाओं के साथ अपराध किया है, उस डेटा के साथ मैच करवाया जाएगा, ताकि अपराधी को जल्दी पकड़ा जा सके और एक साल के अंदर-अंदर उसको सज़ा भी हो सके। इस चीज़ में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? निजता का हनन तो तब होगा, जब ये डेटा हम पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएंगे। किसी को भी ये डेटा नहीं दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन से डिमांड आएगी और डेटा मैच करने के बाद पुलिस स्टेशन को उसका जवाब चला जाएगा, जो कोर्ट के अंदर admissible evidence होगा।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इससे किसी की निजता का हनन होने वाला नहीं है। Question of any data leakage does not arise. रूल्स में इसकी responsibility फिक्स की जाएगी, जिम्मेदारी तय की जाएगी। जो डेटा रखने वाली अथॉरिटी है, यह जिम्मेदारी उसकी ही होगी।

मान्यवर, आजकल हमारी technique बहुत आगे बढ़ गई है। कोर्ट के ऑर्डर के बगैर डेटा नहीं मिलेगा। जब डेटा दिया जाएगा, तो कम्प्यूटर क्लॉक में उसका समय दर्ज हो जाएगा, जिसका एक computerized register होगा। उसमें यह भी दर्ज होगा कि किस एजेंसी की डिमांड पर ये डेटा एक्सेस किया गया।



मान्यवर, इसके अंदर न तो माननीय संसद सदस्य इतनी शंका रखें और न ही जनता को शंका रखने की जरूरत है। पूरे विचार-विमर्श के बाद, पूरा सिस्टम बनाने के बाद ही हम इसको नोटिफाई करेंगे, साथ ही इसके रूल्स पर सभी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने के बाद ही हम इसको नोटिफाई करेंगे। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपकी शंका राजनीति से प्रेरित नहीं है, तो उसका निरसन जरूरी है। सभी लोगों की शंकाएं राजनीति से प्रेरित हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं, इसीलिए मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है।

मान्यवर, 2014 में देश के प्रधानमंत्री, माननीय मोदी जी ने देश के सामने Smart Policing की एक व्याख्या रखी थी और उस व्याख्या को उन्होंने बहुत स्पष्ट किया था। जब तक इस देश में पुलिसिंग पद्धति को बदला नहीं जाता, इस देश के अंदर दोषसिद्धि के प्रमाण को बढ़ाया नहीं जाता, तब तक गुनाहों के परिमाण को कम नहीं किया जा सकता।

मान्यवर, SMART Policing के लिए इन्होंने कहा था, 'S' से - Strict and Sensitive; 'M' से - Modern with Mobility; 'A' से - Alert and Accountable; 'R' से - Reliable and Responsive; 'T' से - Trained and Techno-savy. मान्यवर, यह जो बिल है, यह 'T' को address करने वाला है। देश भर के सभी Prisons के Officers और Police Officers को इसकी technology में train करने का अभियान भारत सरकार के BPR&D और NCRB विभाग उठाने वाले हैं। हम उनको train करेंगे और techno-savy भी बनाएंगे, तब जाकर इस बिल की मंशा पूरी होगी।

मान्यवर, इस सदन को भी यह सोचना पड़ेगा कि क्या हम आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्या हम वहीं बने रहना चाहते हैं? सिर्फ राजनीति का गिल्ली-डंडा खेलने के लिए, क्या हम देश की प्रगति का विचार नहीं करेंगे? राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मैं चुनाव के लिए बंगाल आऊंगा, तब आप राजनीति कर लेना, तब दो-दो हाथ कर लेंगे, कौन डरता है? हम डरते नहीं हैं, मगर जहां तक जनता के संरक्षण का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, पुलिस को ताकत देने का सवाल है, गुनहगारों को सज़ा दिलवाने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि उसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह जो बिल मैं लेकर आया हूं, यह अकेले हमारा प्रयास नहीं है। विगत ढाई साल के अंदर मोदी जी की Smart Policing की व्याख्या को चरितार्थ करने के लिए गृह विभाग ने ढेर सारी चीज़ें की हैं।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : मोदी जी ने जो व्याख्या की है, इसके आठ बिन्दुओं पर गृह मंत्रालय काम कर रहा है। अगर यह बिल आइसोलेशन में आता, तो शंका और गहरी हो सकती है कि चलो, एक अकेले बिल से क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसके लिए एक एनवॉयरन्मेंट भी बना रहे हैं और बहुत सारे प्रयासों में से यह बिल एक प्रयास है, यह आइसोलेशन में नहीं है।



महोदय, हमने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, क्यों बनाई? हमने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसलिए बनाई है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स के अंदर है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाली सभी धाराओं के अंदर फोरेंसिक एविडेंस को कम्पलसरी करना चाहिए, हम कर तो दें, लेकिन ट्रेंड मैन फोर्स कहां है? हमारे पास इतना मानव संसाधन बल है ही नहीं, तो क्या करें, क्या फोरेंसिक साइंस को बढ़ावा नहीं दें, क्या फोरेंसिक एविडेंस को बढ़ावा नहीं देना चाहिए! अवश्य देना चाहिए। मोदी जी जब गुजरात में मुख्य मंत्री थे, तो उन्होंने गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई थी और यहां प्रधानमंत्री बनने के बाद 2020 में फोरेंसिक साइंस युनिवर्सिटी की हमने स्थापना की, जिससे कि वहां से जो विद्यार्थी निकलेंगे, बीएससी फोरेंसिक साइंस, एमएससी फोरेंसिक साइंस और इसके अंदर से हर विधा के अंदर R&D करने वाले बच्चे भी निकलेंगे।

महोदय, आज दो साल के अंदर इस यूनिवर्सिटी ने 6 राज्यों की राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट करके इस यूनिवर्सिटी से अटैच कैम्पस और कॉलेजेज़ खोले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर इन यूनिवर्सिटीज़ से और इनसे सम्बद्ध कॉलेज़ेज से अनेक विद्यार्थी बाहर आयेंगे, जो फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में देश को न केवल मजबूत करेंगे, बल्कि देश का नाम भी दुनिया में रोशन करेंगे। इन फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ के जो तज्ज्ञ बाहर आएंगे, वे केस में अपराधी को सजा कराने के लिए फोरेंसिक साइंस के साइंटिफिक बेस को मजबूत करके प्रॉसिक्यूशन एजेंसी की मदद करेंगे।

मान्यवर, यह हमारा आइसोलेशन में प्रयास नहीं है, हमने 2020 में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई। कुछ बच्चे बचपन से चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, कुछ बच्चे वकील बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे पत्रकार बनना चाहते हैं, कुछ राजनीति में आना चाहते हैं, इसी तरह से बहुत सारे बच्चों की मंशा होती है कि मैं रक्षा के क्षेत्र में काम करूं, मैं अपना करियर रक्षा के क्षेत्र में बनाऊं, लेकिन उनके लिए कोई स्पेशलाइज्र्ड कोर्सेज़ नहीं हैं। बच्चा बीएससी करता है, बीए करता है, बी.कॉम करता है, फिर एग्ज़ाम देता है, यदि शरीर तगड़ा है, तो वह सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। इसलिए क्यों न ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जो रक्षा के साथ जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के अंदर एक स्पेशलाइज्र्ड फोर्स खड़ी करे, एक्सपर्ट्स खड़े करे। रक्षा के क्षेत्र के साथ बहुत सारी विधाएं जुड़ी हुई हैं। इसके लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके स्पेसिफिक अध्ययन के लिए हमने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी आने वाले दिनों में पूरे देश के अंदर अपने सम्बद्ध कॉलेजेज़ को बढ़ाने वाली है।

मान्यवर, नेक्स्ट जेनरेशन क्राइम को भी हमें समझना पड़ेगा और उसके सर्किल को भी तोड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि पुलिस, देश की कानून प्रवर्तक एजेंसियां, क्रिमनिल से दो कदम आगे रहें, पुलिस से क्रिमिनल दो कदम आगे न रहें, इसलिए हमें पुलिस को सुसज्जित करना पड़ेगा। आप ह्यूमन राइट्स, प्राइवेसी



आदि सारी चीजों को लाकर यदि पुलिस के हाथ में हथकड़ी लगा देंगे और उसको तैरने के लिए स्विमिंग पूल में डालेंगे और कहेंगे कि जाओ, गोल्ड मेडल लेकर आ जाओ, तो वह नहीं आ सकता, उसके हाथ को सशक्त करना पड़ेगा, उसके हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, हमें उसके हाथ में भी वेपन देना पड़ेगा। यह प्रयास पुलिस को सशक्त करने के लिए है, कानून प्रवर्तक एजेंसियों को सशक्त करने के लिए है।

मान्यवर, नेक्स्ट जेनरेशन क्राइम को हम चिर पुरातन पद्धतियों से हैंडल नहीं कर सकते है, हमें भी नेक्स्ट जेनरेशन की तकनीक को अपनाना होगा और पुलिस को इससे लैस करना होगा, पुलिस को इसमें ट्रेंड करना पड़ेगा। भारत सरकार ने मोदी जी ने मार्गदर्शन में Modus Operandi Bureau बनाया है। यह ब्यूरो देश भर में एनसीआरबी के पास जो क्राइम्स का रिकॉर्ड आता है, उनका analysis करता है और विशिष्ट प्रकार के क्राइम करने वाले लोगों की Modus Operandi क्या होती है, इसकी स्टडी करता है।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : इस पर डिस्कशन होता है, इसके समाधान ढूँढ़े जाते हैं और वे समाधान BPR&D के माध्यम से देश भर की पुलिस को भेजे जाते हैं। हमने यह भी एक नया initiative लिया है। IPC, CrPC और Evidence Act में भी हम बदलाव करने जा रहे हैं। ये भी बहुत पुराने हो चुके हैं। इनमें भी बदलाव करना है। मैंने सभी माननीय संसद सदस्यों को पत्र भी लिखे हैं कि इसमें आपका कोई सुझाव हो, तो आप जरूर भेज दीजिए, हम अभी इसको बना रहे हैं। जहाँ तक यह बात हुई कि इसे Standing Committee को देना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि CrPC, IPC और Evidence Act, तीनों को सुधार कर हम लायेंगे और निश्चित रूप से गृह विभाग की Standing Committee को देंगे तथा उसको जाँच-परख कर के ही यहाँ लायेंगे। ...(व्यवधान)... उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इस बिल में इतने बड़े बदलाव ही नहीं हो रहे हैं। यह मैं बाद में explain करता हूँ। मैं तो requirement पर हूँ। चिदम्बरम साहब ने और अन्य सारे लोगों ने जो बातें कही हैं, मुझे उनके जवाब देने हैं।

मान्यवर, इसके अलावा हमने Director of Prosecution के कार्यालय के बारे में भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है। एक Director of Prosecution होना चाहिए, जो prosecution agency और हर राज्य की पुलिस पर निगरानी रखे कि prosecution ठीक तरीके से हो। हमने ढेर सारे e-governance initiatives भी लिये हैं। मैं e-governance initiatives के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारी जो शंकाएँ हो रही हैं, इसे ध्यान से सुनने के बाद उन शंकाओं का दो मिनट में निरसन हो जाएगा।

मान्यवर, भारत सरकार का एक CCTNS नामक network system चलता है। मैं इस सभागृह को inform करना चाहता हूँ कि 16,390, मतलब शत-प्रतिशत पुलिस थानों ने CCTNS network को अपना लिया है, पूरे देश के थाने CCTNS network से जुड़ गये हैं और 99 प्रतिशत पुलिस स्टेशंस में



FIRs अब CCTNS में सीधे दर्ज हो रही हैं। जहाँ network के थोड़े problems हैं, इनका भी solution हम ढूँढ़ रहे हैं। मान्यवर, CCTNS network के अन्दर 7.47 करोड़ FIRs उपलब्ध हैं - जो data leakage की बात करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। मान्यवर, केन्द्र शासित प्रदेश, राज्य और केन्द्रीय जाँच एजेंसीज़, ये सारी एजेंसीज़ और राज्य की पुलिस भी इसका उपयोग कर रही हैं।

मान्यवर, हमने e-prosecution भी चालू किया है। 751 जिलों में ई-अभियोजन को लागू कर दिया गया है। आज तक कोई फरियाद नहीं आयी। देश की 1,259 जेलों में e-prison लागू कर दिया गया है, कोई फरियाद नहीं आयी। 117 forensic labs में e-forensics लागू हो चुका है, यह online हो चुका है, आज तक कोई फरियाद नहीं आयी। Interoperable Criminal Justice System (ICJS) भी लागू हो गया है। ICJS के तहत अब CCTNS, e-prison, e-court और e-forensic को जोड़ने का काम भी चालू हो गया है। उस एकीकृत data base से analytical modules भी बनाये गये हैं, जिससे देश भर के crimes का analysis करके उनको रोकने के module बनेंगे। कई राज्य ऐसे होते हैं, जहाँ समान प्रकार के crimes होते हैं, कई जिले ऐसे होते हैं, जहाँ समान प्रकार के crimes होते हैं, सागर किनारे के कुछ जिले हैं, वहाँ अलग प्रकार के crimes होते हैं, नइं स्थ्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक अलग प्रकार के crimes होते हैं, जहाँ मैदानी इलाके हैं, कुछ पहाड़ी जिले हैं, वहाँ अलग प्रकार के crimes होते हैं और इसके समाधान BPR&D को भेजते हैं। गृह मंत्रालय का मतलब आपके मन में बहुत सीमित है। मैं बहुत बोलना नहीं चाहता था, मगर जो व्याख्या मेरे मंत्रालय की आप लोगों के मन में है, मुझे लगा कि इसे मुझे बदलना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं आज इतनी डिटेल में बात कर रहा हूँ।

मान्यवर, हमने Investigation Tracking System for Sexual Offences (ITSSO) भी लागू कर दिया है। देश भर में यह सिस्टम लागू हो गया है। यौन अपराधियों का राष्ट्रीय data base, NDSO भी online उपलब्ध है। लगभग 11.83 लाख यौन अपराधियों का डेटा एजेंसीज़ के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई फरियाद नहीं आयी।

श्री अमित शाह (क्रमागत): Cri-MAC (Crime Multi Agency Centre) भी लाँच कर दिया गया है। लगभग 59,937 लोगों ने Cri-MAC का इस्तेमाल किया है तथा इससे लगभग 23,903 alerts भी जेनरेट हुए हैं। मान्यवर, मैंने Modus Operandi Bureau की बात पहले ही आपको बता दी है। NCRB ने एक portal पर नागरिक सेवाएं शुरू की हैं, जिसकी लाँचिंग के बाद अब तक 2,27,400 log-in हो चुके हैं और अलग-अलग सेवाओं के अंतर्गत उनको जवाब दिया गया है। लापता व्यक्तियों की खोज के लिए



CCTNS से जोड़कर हमने एक अलग सुविधा बनाई है। यदि कोई भी व्यक्ति गुम हो जाता है, तो उसकी डिटेल उस पोर्टल पर आती है, जहां पर एक डेटाबेस होता है, और उसके साथ उसकी मैचिंग होती है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इसी पोर्टल के द्वारा 14,513 लोग उनके परिवारजनों को वापस मिल चुके हैं।

महोदय, यदि किसी को second hand vehicle खरीदना हो, तो वह vehicle चोरी का है या नहीं है, यह किसी को मालूम नहीं रहता है। जब उसे लोग ले लेते हैं, उसके बाद पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और चोर के साथ-साथ खरीदार को भी पकड़कर ले आती है, इसलिए खरीदार को पहले से यह बात मालूम हो, इसके लिए हमने CCTNS में चोरी किए गए वाहनों की जो complaint है, उससे एक database बनाया। महोदय, लगभग 2,96,200 लोगों ने अपने खरीदने वाले वाहन का डेटा वहां भेजा, जिसे मैच कर उन्हें जवाब भेजा गया। इससे 13,637 चोरी करने वाले लोग भी पकड़े गए और चोरी हुई गाड़ियां भी पकड़ी गई। महोदय, इसका क्या उपयोग होना है, इसे मैं बताना चाहता हूं।

महोदय, घोषित अपराधियों को भी CCTNS पर लिया गया है और सारे analytic module उसका analysis कर रहे हैं। हमारे अलग-अलग राज्यों के थानों ने, टीआई, आईजी और डीजी पुलिस ने जो घोषित अपराधी की सूची भेजी, उनमें से 16,176 घोषित अपराधी और भगोड़े लोगों को पकड़ने का काम इस नेटवर्क के माध्यम से किया गया है। मान्यवर, ICJS के analytical tool के ऊपर भी हमने बहुत सारा खर्च किया है, भारत सरकार ने लगभग 2,050 करोड़ रुपए का खर्च इन सारी व्यवस्थाओं पर किया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह बिल isolation में नहीं है। यह बिल इन सबको जोड़ती हुई एक कड़ी है। हमारे पास criminals का data नहीं है। Criminals का data इसके अंदर add होने से investigation और prosecution बहुत सरल हो जाएगा। इससे क्या भय है? किस चीज का भय है? I4C के माध्यम से ढेर सारी और भी अलग-अलग सेवाएं ली गई हैं और 112 number के माध्यम से सभी पुलिस सेवाओं को एक ही फोन नंबर पर लाने का कार्य भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। महोदय, मैं इसलिए बताना चाहता था, क्योंकि हमें कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। न ही जनता के मन में ऐसी भावना जानी चाहिए और न ही सदन के सदस्यों के मन में ऐसी भावना जानी चाहिए। हमें भी मालूम है कि लोकतंत्र के भीतर यह जो कुर्सी होती है, यह ''यावत चन्द्र दिवाकरो" नहीं होती है। कल इस पर कोई भी आ सकता है, तो इसके misuse का भय तो मुझे भी लग सकता है, मगर मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यदि misuse होगा, तो देश की अदालतें हैं - misuse हुआ भी है, हम लड़कर निकले भी हैं और अदालत में चांटा भी लगा है। मान्यवर, हम भय से नहीं जीते हैं। किसी भय के आधीन होकर देश के करोड़ों लोगों को crime की दुनिया से लड़ने और उससे सुरक्षा करने का उपाय



न करें, यह कोई ठीक बात भी नहीं है और न ही यह सोचने का ठीक तरीका है। मान्यवर, दोषसिद्ध करने के लिए प्रमाण कम हैं - इस पर कई सारी कमेटियों ने, कई सारे लोगों ने ढेर सारी चर्चा करके भारत सरकार को रिपोर्ट दी है। प्रमुखत: इसके तीन ही कारण बताए गए हैं, एक तो सबूतों की कमी है। सबूतों की कमी के कारण प्रति वर्ष 7.5 लाख केसेज़ में आरोपी छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि अदालतें कहती हैं कि पर्याप्त सबूत नहीं हैं। यदि केसेज़ के scientific सबूतों को अदालतों के सामने रखें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे केसेज़ की संख्या आधे से भी कम हो जाएगी और लगभग 3.5 लाख केसेज़ में हम सजा के प्रमाण बढ़ा पायेंगे।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं न्याय की प्रतीक्षा के संदर्भ में बताना चाहता हूँ। अदालत बार-बार prosecution agency को कहती है कि आप और सबूत लेकर आइए। इसके कारण डेट पर डेट पड़ती है और न्याय लेट होता है। जो निर्दोष है, वह बेचारा भी आरोपी बना रहता है। माननीय उपसभापति महोदय, इससे यह समाप्त हो जाएगा और वित्तीय क्षमता भी कम होगी। जब डेट पर डेट पड़ती है, तो इस ओर से तो सरकार लड़ती है, लेकिन जो आरोपी होते हैं, उनमें कई गरीब भी होते हैं, उनके घर के घर बिक जाते हैं और वे उसके बोझ के तले दब जाते हैं। अगर prompt और एकदम स्पीडी न्याय मिलेगा, तो कुछ नहीं होगा। मैं यह मानता हूँ कि अगर हमने scientific evidence का प्रमाण बढ़ाया, तो न्याय जल्दी मिलेगा।

मान्यवर, इस बिल को लाने के उद्देश्य के बारे में कुछ पूछा गया। मैंने इसमें उद्देश्य तो बताया, मगर मैं इसका एक और उद्देश्य बताना चाहता हूँ। इस ज़माने में इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम इन्वेस्टिशन को थर्ड डिग्री पर से बदल कर तकनीक की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं, डेटा की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं और information की डिग्री पर ले जाना चाहते हैं। इससे सब सहमत होंगे कि थर्ड डिग्री के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। यह कब बंद होगा? जब हम उसको scientific evidence का आधार देंगे, तब यह बंद होगा, इसलिए मैं यह बिल लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ।

मान्यवर, ढेर सारी बातें हैं, जिनको मैं इसके दूसरे हिस्से में बताऊँगा। कुछ सदस्यों ने अलग-अलग प्रकार के सवाल भी पूछे हैं और शंकाएँ भी व्यक्त की हैं और मैं यह मानता हूँ कि यह उनका अधिकार है। सबसे पहले श्री चिदम्बरम जी ने पूछा कि गृह मंत्री यह स्पष्ट करें कि यह जो माप की व्याख्या की गई है, उस व्याख्या के अंदर narcoanalysis, brain mapping और polygraphy test आता है या नहीं आता है? मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह नहीं आता है। इस बिल का कोई भी प्रावधान किसी भी कैदी का narcoanalysis, polygraphy test या brain mapping करने की इजाज़त नहीं देता है, यह मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ, इसलिए किसी को यह शंका करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इसके बाद पूछा कि पुट्टूस्वामी



केस में जो निर्देश दिए गए हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जरा भी उल्लंघन नहीं हो रहा है। पुट्टुस्वामी केस के अंदर उन्होंने और लोगों की स्वतंत्रता पर इसका overlap न हो, इसलिए तीन अपवाद दिए हैं - पहला, ऐसा कानून सक्षम विधायिका द्वारा बनाना चाहिए और मैं मानता हूँ कि यह सक्षम विधायिका है, चिदम्बरम साहब भी यह मानते होंगे। दूसरा, यह वैध देश हित में होना चाहिए, तो जिन्होंने गुनाह किया है, उसको सजा दिलाने से बड़ा वैध देश हित क्या हो सकता है, इसलिए यह वैध देश हित के अंतर्गत भी है। तीसरा, यह आनुपातिक होना चाहिए। मान्यवर, यह कानून आनुपातिक भी है, इसमें मुझे कोई doubt नहीं है। प्रवर्तन एजेंसियों का हाथ मजबूत करने और अपराध को सिद्ध करने तथा इसके द्वारा व्यक्तियों के, जो प्रताड़ित व्यक्ति है, उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा के बीच में संतुलन बनाने के लिए हम यह कानून लेकर आए हैं। अभी यह एकतरफा ही है, क्योंकि जिसका अधिकार छीना जा रहा है, जो victim है, उसके अधिकार के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। यह जो कानून है, वह victim को प्रोटेक्ट करने के लिए है और जो अपराध करने वाले हैं, उनको सजा दिलाने के लिए है। इसलिए यह किसी भी तरह से पुट्टस्वामी केस के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने अनुच्छेद 14, 19, 20(3) और 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कहा। मैंने इसको एड्रेस किया है। उन्होंने पैरा 3 का उल्लेख किया है। वह ठीक है, क्योंकि कोई भी बिल को पढ़ेगा, तो यही कहेगा, मैं भी पढ़ूँगा, तो मैं भी यही कहूँगा, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पैरा 3 के अंदर रूल्स बनाने के लिए भारत सरकार को अधिकार है। हम इसकी व्याख्या भी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पोलिटिकल आंदोलन वाले किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पोलिटिकल आंदोलन के लिए माप नहीं देना पड़ेगा।

श्री अमित शाह (क्रमागत) : मगर कोई political नेता criminal case में arrest होता है, तब उसे नागरिक के at par रहना पड़ेगा। पुलिस की आज्ञा का उल्लंघन या किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा का उल्लंघन, इस प्रकार के उल्लंघन के लिए किसी भी political व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, यह मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूँ और इसके लिए हम रूल्स में provision भी करेंगे। हमने इसमें रूल्स बनाने का अधिकार भी रखा है। जिन लोगों ने बिल को ध्यान से पढ़ा होगा, उन्हें यह मालूम होगा। मान्यवर, अगर नागरिक धरना देता है, तो उस पर केस होगा, इस बारे में मैंने बात कर ली है। मान्यवर, मैंने Puttaswamy case की बात कर ली है।

मान्यवर, बिनोय विस्वम जी ने कहा कि सरकार 124A लगा रही है। हम 124A के दुरुपयोग के पक्ष में नहीं हैं, मगर बिनोय विस्वम जी, आप केरल से कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद होकर 124A का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? आपने तो लोगों को मार दिया! मेरी ही पार्टी के सौ लोगों की हत्या राजनीतिक कारणों से केरल में



हुई। उनकी पूरी की पूरी जान चली गई है और आप हमें 124A समझा रहे हैं! आप हमें 124A क्या समझा रहे हैं।

श्री अमित शाह : मैं 124A के बारे में यह स्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि हम इसका दुरुपयोग करेंगे। मैं इतना ही कहता हूँ कि कम से कम केरल से आए हुए कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को, सांसद को यह नहीं उठाना चाहिए था।

श्री अमित शाह : ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं।

श्री अमित शाह : मान्यवर, इनकी इच्छा है, तो मैं इसी सदन के सवाल-जवाब में से अपना नहीं, बल्कि किसी और सरकार ने जो जवाब दिए हैं, उन्हें सदन पर रखने के तैयार हूँ। केरल विधान सभा के सवाल-जवाबों में जो जवाब आए हैं, मैं उन्हें सदन पर रखने के लिए तैयार हूँ। मैं irresponsible statement नहीं देता हूँ। विस्वम साहब, किसी भी विधायिका में काम करते हुए मुझे 27 साल हो गए हैं, चाहे वह विधान सभा हो, राज्य सभा हो। मैं irresponsible statement नहीं देता हूँ।

श्री अमित शाह : मान्यवर, एक सदस्य ने कहा कि आँख में आँख डालकर जवाब दे सकते हो! मैं तो जरूर दे सकता हूँ, अगर कोई आँख में आँख डालकर पूछने की हिम्मत रखता है। मैं जरूर दे सकता हूँ और किसी भी फोरम में दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे मन में चोर नहीं है। हम वही करते हैं, जो हमारी आत्मा कहती है और हम वही करते हैं, जिसे आत्मा कानून के हिसाब से मानती है। मान्यवर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि कोई आँख में आँख डालकर सवाल पूछे, मैं आँख में आँख डालकर जवाब भी जरूर दूँगा।

मान्यवर, संजय सिंह जी ने गुजरात में एफआईआर के बारे में कहा। मैं आपके माध्यम से संजय सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि अभी तो आप गुजरात गए हो, मुझे तो मालूम नहीं है कि इनकी पार्टी पर कोई एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, कुछ किया होगा, तो हो भी सकती है, मगर बंगाल चले जाओ, जान चली जाएगी। अच्छा है कि आप अभी वहाँ नहीं गए हैं।

श्री अमित शाह : मान्यवर, ये पूछते हैं कि आप गए हैं! मैं 2019 के चुनाव में गया था, मेरे रोड शो पर आग के गोले फेंके गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा जी गए थे, उनकी गाड़ी को घेरकर उन पर जघन्य हमला किया गया। आप क्या पूछ रहे हैं? आप कैसे ना बोल सकते हो?

श्री अमित शाह (क्रमागत) : यह रिकॉर्ड पर है। मान्यवर, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है।

श्री अमित शाह : मान्यवर, सुखेन्दु शेखर राय जी ने एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ की DNA profiling के संबंध में कहा। मैं पूरे सदन से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें एसटी, एससी, माइनॉरिटी में से कोई शब्द



है? सुखेन्दु राय जी, आप किस चश्मे से पढ़ते हैं? आप बिल को किस चश्मे से पढ़ते हैं?

श्री अमित शाह : आपने बोला है। मैंने सुनकर लिखा है।

श्री अमित शाह : मान्यवर, जो under trial है, उसकी जाति और धर्म क्या देखना? जो under trial हैं, कानून की नजर में वे सब एकसमान हैं। किसी अपराधी की जाति या धर्म को क्या देखना है और यह क्यों होना चाहिए?

मान्यवर, उन्होंने कहा है कि यह फासिस्ट बिल है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता। टीवी पर * देखती होंगी, सारे CRs सुधारने के लिए खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मगर, 'फासिस्ट' शब्द की कड़ी से कड़ी व्याख्या को बंगाल की सरकार ने बदल दिया है। मान्यवर, फासिस्ट की नई definition

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं * का नाम वापस लेता हूँ। आप बैठ जाओ, मैंने वापस ले लिया।

श्री अमित शाह : मैं * का नाम वापस लेता हूँ। मान्यवर, 'फासिस्ट' शब्द की definition को, जो definition में है, उससे अलग प्रकार के मायने देने का काम बंगाल की सरकार ने कराया। अब आप कम से कम 'फासिस्ट' शब्द का reference मत दीजिए। मान्यवर, अब अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ।

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह बिल लाने के पीछे सरकार की मंशा किसी की भी निजता भंग करने की नहीं है, किसी के भी human rights का violation करने की नहीं है। किसी की निजता भंग हो और किसी के human rights का violation हो, ऐसे loopholes भी हम नहीं रखेंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह ऐक्ट और इसके रूल्स, दोनों मिलकर एक अच्छी और मजबूत प्रणाली बनाएँगे, जिससे कानून की मदद तो जरूर होगी, मगर सभी की निजता और human rights का violation भी नहीं होगा।

धन्यवाद।

(समाप्त)





48th All India Police Science Congress 22-23 April, 2022 CAPT, Bhopal

Inaugural Address by Shri Amit Shah Ji

Hon'ble Union Home Minister & Minister of Cooperation, Government of India



Please scan for speech on YouTube



'Promoting Good Practices and Standards'

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से. महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O) Fax : 91-11-26781315 Email : dg@bprd.nic.in



Message

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर, नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development Ministry of Home Affairs, Govt. of India National Highway-8, Mahipalpur, New Delhi-110037

Hon'ble Home Minister and Minister of Cooperation, Government of India, Shri Amit Shah Ji, inaugurated the 48th All India Police Science Congress organized by the Bureau of Police Research and Development on 22 April 2022 at the Central Academy for Police Training, Bhopal. In his inaugural address, the Hon'ble Minister appreciated the work that the Bureau in particular and the Police in general, have done during the Corona period.

Speaking on the importance of the Police Science Congress, the Hon'ble Minister emphasized that increasing cybercrime and various similar crimes are a common challenge for the police forces all over the country. The Police Science Congress organized by the BPR&D does the important job of bringing the Police of the whole country on one platform to formulate strategies and work towards a common goal.

The Hon'ble Minister further emphasized strengthening the older systems in vogue like beat patrolling, dog squad, horse squad, Khabri system, etc. He also lauded the Modus Operandi Bureau created by BPR&D and said it could be of great use in the days to come. He underscored the use of the National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) to detect criminals, which will revolutionize the investigation of crimes in the country.

He said that the Police Science Congress is an important forum for our police forces to coordinate, deliberate, find solutions and implement the findings on the ground.

The Hon'ble Union Home Minister gave his historic address on the Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022, introduced in the Rajya Sabha on 06 April 2022 and in the Lok Sabha on 04 April 2022, respectively. He elucidated on the Bill in these addresses, which the House approved by voice vote.

Speeches by Hon'ble Union Home and Cooperation Minister Shri Amit Shah Ji on the aforesaid occasions are being published in Volume II of "Bureau Darpan." It is of utmost significance for all Police officers to use as reference material in all their future endeavours.

(Balaji Srivastava)

"Promoting Good Practices and Standards"



Address by Hon'ble Union Home Minister and Minister of Cooperation, Govt. of India, Shri Amit Shah Ji in the inaugural function of 48th All India Police Science Congress, organized by Bureau of Police Research and Development at CAPT, Bhopal on 22-23 April, 2022.



Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh, Sh. Shiv Raj Singh Ji, who has made a significant contribution towards transforming Madhya Pradesh from a BIMARU state to a developed State, my colleague in Modi Ji's Council of Ministers, Sh. Ajay Kumar Mishra Ji, Sh. Nisith Kumar Pramanik Ji, Home Minister of Madhya Pradesh Sh. Narottam Mishra ji, DG, BPR&D, Sh. Balaji Srivastava,ADG, BPR&D, Sh. Neeraj Sinha Ji, participants who have come to attend the Police Science Congress, all the officers of Madhya Pradesh, brothers and sisters

The 48th All India Police Science Congress proceedings commence today and will continue for two days. Several important topics are to be discussed here, a detailed outline of which has already been placed before you by Sh. Balaji, so, I would not like to go into that. After the Police Science Congress in Lucknow in 2019, this Police Science Congress is being organized now in Madhya Pradesh. During the intervening period, our country and indeed the world, have passed through challenging times. The nation and the world faced the fiercest pandemic of the century. Lakhs of people in the country and the world lost their lives. Corona infected more than 4 lakh jawans and officers of the Police and CAPF in the country. Approximately, over 2700 of them died. During the period, quite a different face of the Police was seen by the people of the country. The Police, does not normally come in for much praise, but today, I want to felicitate the police forces of the entire country. Wherever one travels, one notices immense praise for what the police did during the pandemic. The people of the country



saw the humane face of the Police during the period. The police forces set an example for others, demonstrating what they are capable of delivering during disasters, that too without any formal training. I pay my humble homage to those 2,712 jawans who, while lost their lives while doing their duty, combating the pandemic at the very forefront. They helped people, in whichever manner they could - by delivering food to the needy, carrying patients to hospitals; in fact some policemen contracted Corona while assisting the cremation of dead bodies and themselves embraced death.

My sincere condolences to all those families and my homage to all those 2,712 jawans who lost their lives. Friends, the All India Police Science Congress is commencing today. All India Police Science Congress is making a very significant contribution to aspects relating to policing of the country. This may be seen from two angles. In our Constitution, Police is a State subject, and quite rightly so. There is no need for any change to this dispensation. But the country and the Police are facing significantly higher levels of challenge today, since the making of the Constitution. Many new dimensions have been added to the domain of crime, and quite a few new trends have emerged. To tackle this, the police forces have to work in tandem with each other, otherwise, it will be difficult to effectively engage with the challenges. With Law and Order being a State subject, the Police has to work under the directions of the State Government. In such a situation, coordination remains an issue, as we see in the case of North-Eastern States. There are 8 States and 8 State Governments; there are separate police units in each of the 8 States, but the challenges are the same, i.e., armed groups and Left Wing Extremism. Several States in the Central and Eastern parts of India were also facing the same challenges. The States are different, but the challenges are similar. The Left Wing Extremist groups do not have any constitution, but they are linked to each other. They work in tandem with each other. How can the Police tackle them without some sort of coordination.



A policy is needed for this. For example, there is the problem of infiltration in the eastern parts of the country. In the western region, where our borders touch the borders of a neighboring country, fake currency notes are dropped, arms are supplied, and attacks are carried out through drones. All these various types of challenges are there. If the Police of our States work in isolation, they cannot tackle these challenges effectively. We need not amend our Constitution to tackle such issues. What is needed is for States to join hands. They can discuss together the problems of their particular region. Through AIPSC and the annual DGsP conference, they can come up with appropriate policies. The country faces challenges, such as drug & hawala transactions and cyber frauds. Today a person sitting in Jharkhand can perpetrate a fraud on the people of Madhya Pradesh. The police forces of the entire country are facing similar challenges. Where can we deliberate on these challenges? Where can we make a common strategy to tackle these issues. What can be the means of dialogue for working in close coordination with each other?

I think AIPSC is an ideal forum to tackle such challenges. From that point of view, I would urge upon BPR&D to structure its programmes and sessions in such a way that a common strategy for the Police of the entire country may be evolved for tackling situations of similar nature. This should be factoredin well in the deliberations and findings/ conclusions. This should be one of our objectives at the AIPSC. Another important objective relates to the easy movement of criminals, who do not stay in one place. It is important to remember that while some criminals are habitual, others become criminals because they are compelled by circumstances. But, all criminals are equipping themselves with the latest technology available. That is why it has become quite necessary that the Police must stay two steps ahead of the criminals. If you have to be two steps ahead of the criminals, then the Police will also have to become modern, and tech-savvy, and this will have to percolate down to the level of constables and



head constables. Unless we train them in technology, we cannot fight against the new crimes. For this purpose, BPR&D has provided a platform where training subjects are decided, possible challenges flagged, and solutions arrived at through seminars, which are then incorporated into capacity building modules. We are witnessing this gradual change being made in policing over the last 10 years. This should also remain one of the objectives of the Police Science Congress. These two objectives also underline the importance of the All India Police Science Congress. Without them, we cannot ensure the internal security of the country.

Friends, today I have come here to ensure one thing. For the last eight years, the Government of India has been run under the leadership of Shri Narendra Modi Ji. In these 8 years, three main problem areas have been pending resolution and had became an endless source of pain. They had become a threat to our internal security. They are-1. The problem of Kashmir 2. The issue of left wing extremism, and 3. The problem of narcotics and armed groups in the north-eastern region. We have been witnessing these problems for many years. Some retired officers are also present in the Conference here today. They might have heard about these problems when they joined service, and would have left service upon retirement, with the problems still persisting. These were chronic problems. But today, I can say with satisfaction that the Narendra Modi government has achieved a huge success in regard to the solution of these problems in a systematic, consistent, and scientific way- be it the problem of Kashmir or the problem of Leftist extremism or the issue of armed groups in the north-eastern region. Many armed groups have laid down their arms. They have returned to the mainstream. Abrogation of Article 370 has ushered in a new era of enthusiasm, aspiration, and development in Kashmir. We can see our security forces occupying commanding heights in the region. The left wing extremism movement is also waning. States like Madhya Pradesh are almost free from left wing extremism. This change has been made possible because the problems have been analyzed and comprehended properly,



the remedies have been deeply discussed, and action has been taken on the basis of a strategy in a consistent manner. I also want to say that even if officers involved are transferred, the strategy adopted by the Police should not change; continuity of policy is of critical significance. All the Heads of Police departments should institutionalize the practice of making a 10-year-strategy, engaging in annual analysis, reviewing shortcomings and making course correction. Now some new crimes have emerged which are impossible to fight without framing requisite policy, effective coordination, both within and outside the State, and the leveraging of technology. All these problems can be solved, whether it is the issue of narcotics or fake currency or the issue of hawala transactions for funding the people who are indulging in anti-national activities or issues related to cybercrime, or the supply of arms from across the borders only through a consistent & continuous strategy. For example, I want to say, can we form a common strategy for those States with contiguous boundaries, or can we decide about the type of police superintendents that should be appointed in the coastal districts. We can decide on parameters such as age, performance etc; there may be a provision for the review of the performance of police stations for bordering districts etc. In sensitive areas in particular, a consistent strategy of appointments is imperative. All the anti-terrorism institutions, e.g., ATS, and Crime Branch in big cities, are very sensitive places from the point of view of internal security, and for postings in these institutions, we shall have to create a sensitiveness at the political level and DG level in the State Police. Only then will we be able to fight against all these problems. Modi Ji has announced a Police Technology Mission for this purpose. The MHA has prepared a draft for this. We shall approach the police of all the States through BPR&D for their suggestions. Through this measure, each and every police station in the country will be uniformly equipped with a lot of items. The same type of wireless system, the same type of CCTV cameras, same type of analysis software should be made available to Police throughout



the country. All the facilities for the automatic exchange of information and the right to access data should be given to all the police forces of the country. We want to ensure this kind of dispensation through this Technology Mission. I am quite hopeful that this concept given by Modiji will benefit the country in a very big way.

Friends, five publications have been released today, and their features have already been given in great detail. I would not like to add more in this regard. But I would request that a team of young officers is formed in every State to study these publications. After studying them, a gist should be prepared and sent at least up to the SP level. If these laboriously created publications do not reach a person who oversees practical policing, and if he does not take this seriously, then this exercise is meaningless. I feel that the Police of every State should make their team of young officers, who may study all these publications, prepare a gist thereof and send it to SP and above officers. Most of them will read them. I can't say that all will read it, but most of them will read them, and out of them, at least some will act upon it. Even that will bring about some improvement. I recently watched a TV interview wherein I heard a beautiful sentence- "Data is the new science, and the solution of all the problems lies in big data." This sentence should be internalized within the police system throughout the country, Government of India has provided many facilities, but they need to be popularised. I want to give you a small example. More than 93% of our police stations are connected to CCTNS. All the FIRs reach there, their data is available there, and analytical tools are available to you. Have you ever studied the crime data of your State and 4 other States located nearby? Have you formed a team for this purpose? It will never be possible if we are limited to generating data. I shall touch upon this topic later on, but I always say that there is an allegation on the police of our country. Sometimes the allegation is of 'no action'- that the police is a silent spectator. At other times, the allegation is of 'extreme action'. We should inculcate a habit of



'just action'. The response should be natural, which will happens only when the system is not dependent upon an individual; instead, individuals should depend upon the system. If you leave things on the police inspector alone, then sometimes the response will be 'no action,' and at other times it will be 'extreme action'. But if the police inspector depends upon the system, the response will be 'just action'. It is a very small thing but worthy of being given a thought. If we inculcate this fact in the nature of policing, then there is a possibility of significant change. To me, there are two aspects of Police Science. One is 'Science for Police', and the other is 'Science of Police'. We shall have to consider both these aspects.

Friends, today, our country has a demography dividend, democracy, a demand, decisiveness and a determination to change the destiny of India, but it can be made possible only when we strengthen our internal security. If we want to strengthen our internal security, we will have to modernize our Police, and we will have to train them in order to make them capable; we shall have to equip them with effective technology, and we will have to prepare a better system for helping them. Then only the concept of SMART policing put forward by Modiji can be translated into a reality. As I have said that data has great power. As of now, more than 16 thousand police stations remain 'online'. Every day their data is being accumulated. NCRB has made available 9 services through CCTNS at the State level. I would urge upon you to make this popular among the public as well as in the police system. For example, there is a system of vehicle NOC. As soon as you feed the chassis no. of a car in the system, the computer will tell you whether the car is stolen or not. You will be surprised to know that car thieves fix fake numbers on the cars, sell them in the second-hand car marks and escape, but since this system was introduced, about 9,000 stolen cars have been apprehended on the spot, and people have been saved from purchasing stolen cars. But this system is not so popular as yet.



This figure is not satisfactory in such a large country. Who will popularize it? Only through discussions in such conferences will this system percolate down. We have also devised a search engine for searching missing persons. NCRB has searched 14,000 persons so far by navigating through its data. But even this figure is not sufficient. We are going to promote a service called NAFIS. I would like to tell you that the Police have crores of fingerprint data throughout the country. NCRB also has data of about one and a half crore. I am talking to you about all this because these systems need to be made popular. As of now, we collect fingerprints, when there is an incident of theft or murder in the house. What we do is that the fingerprints of the family members are separated, and then the culprit's fingerprints are identified. After that, the culprit is arrested, and the fingerprints are matched. The whole data can now be made available in every police station through the NAFIS system. As soon as we feed the fingerprints of the thief or murderer into the computer, it can search within 1.30 minutes for the name and address and tell you whose fingerprint it is, if it is there in the available data. In I would request you should make the anti-terrorism squads active in studying all the FIRs and all this data. NCB has been asked to prepare a database of narcotics cases. A lot of data has been prepared within Inter Operable Justice System (ICJS). A national database of sexual offenders has also been prepared, but all this can be utilized only when we make it a part of the training of Police in every police station. This, I have mentioned with reference to 'Science of Police .'As regards 'Science of Police', there is medical science, forensic science, management science, weapons science, and communications science for this purpose. We shall have to promote all these uses of police science. Modi Government has taken two significant steps in this direction. National Forensic Science University has been set up, which has its affiliated colleges in 7 States. Shivraj Ji is also going to set up one in Madhya Pradesh, which we will use. As per the amendments that are going to be made in IPC and CrPC, we are going to make forensic evidence compulsory in all the offences, punishable with imprisonment for more than 6 years. If this is to be done, you will need a trained workforce for it. Where from



will you get it? For that, you have to establish Forensic Science University in advance and Raksha Shakti University to get experts in all the matters related to the science of defense. My request to the Director Generals of all the States will be that you insist upon your State Governments to open affiliated colleges of both the Universities in your State so that you may get experts in the domain of Police. Be clear that the British age of 'policing by cane & stick' is now over. Now, policing will have to be knowledge-based, evidence-based, and logic-based, and for this, we will also have to change the police science. CCTVs of various types have been installed in States, but these are not connected with the Police Control Room. CCTVs have been installed in private societies, bus stops, municipal corporations, commissionerates, and the railways, but none is connected with the Control Room of the DGP. In my opinion, this expenditure was in vain. At very little expense, this connectivity is possible, common software can be installed, and all these things can be made available to you. But for this, you will have to take the initiative.

Friends, in the last Police Science Congress in Lucknow, I mentioned some issues of basic policing. The post of Director of Prosecution should be instituted in every State, and the Director of Prosecution should be made effective. Police band, dog squad, horse squad, parade- we have forgotten all these issues. We shall have to go 'back to basics'. All these things initiated in 1860 are also relevant today. It is the presence of Police that can make the law & order better. Patrolling of the beat, even if only 10 persons take part in it, creates a lot of reassurance among people. I repeat all these issues to develop the institution of Director of Prosecution, revive beat, regularize parade, and revive the 'informer system . I am deliberately asking to revive. Police band will have to be made a part of Police, dog squad and horse squad will have to be revived. We shall have to promote Common Information Protocol in the frontier region. BPR&D is setting up a Modus Operandi Bureau. This can also be utilized in a very good way in the future.



Friends, we have also taken the initiative for legal reforms. We have amended the acts related to all the agencies and sent them to the States. Now, you have to implement them. A new bill related to the identification of prisoners has been passed recently by the Parliament. It has to be implemented. Model Prison Act has been sent to you. It has to be implemented. So far, only 6 states have done so. Laws have been made for the strict compliance of FCRA. For this also, your support is needed. We have added teeth to NIA. The use of UAPA in appropriate cases in the policing of State Governments should be augmented. You should not hesitate wherever you find ingredients of UAPA; it should be used. The meeting of SMAC is not held in States. MAC alone cannot do anything. If the meeting of SMAC is organized properly in the States, then there must be a coordination between all the agencies. Be it ED, customs or income tax or narcotics or police; I would urge that the DGP of all the States take the initiative for the meeting of SMAC. We are also going to amend Cr. PC, IPC & Evidence Act. We have given the responsibility of holding the coordination meetings regarding Narcotics to Heads of State Police. The initiative has to be taken in this regard also. Hackathons should also be utilized for solving our problems.

Friends, I want to add one more point regarding 'process' and 'perfection'. These are very important for success, but we can achieve success only through 'passion'. So, it is our responsibility to enthuse passion up to the lower level in the police force. I want to convey my best wishes to the DG, BPR&D, and all the colleagues for the success of this conference. I am sure that many things will come out of this 2 days brainstorming session of AIPSC.

Vande Mataram!





Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 in Lok Sabha 04 April, 2022

Address by Shri Amit Shah Ji

Hon'ble Union Home Minister & Minister of Cooperation, Government of India



Please scan for speech on YouTube



'Promoting Good Practices and Standards'





The speech delivered by Hon'ble Union Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation, Sh. Amit Shah Ji on 04 April, 2022 in Lok Sabha (14.50 Hrs onwards)



(Translation from Hindi to English)

The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022

The Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation, Govt of India, Shri Amit Shah: Sir, I move:

"That a Bill to authorise for taking measurements of convicts and other persons, for the purpose of identification and investigation in criminal matters, and to preserve records and for matters connected therewith and incidental thereto be taken into consideration."

Sir, the Bill that I bring today for the consideration in this august House will replace 'The Identification of Prisoners Act, 1920'. The existing law having come into force since 1920, has gone obsolete in terms of contemporary times, in terms of science, in terms of providing the kind of evidence now required by courts for convictions, and in enhancing the effectiveness of law enforcement agencies by means of augmenting their capacity.

The Bill, The Criminal Procedures (Identification) Bill, 2022, that I have introduced today, will plug all the obsolete loopholes and help a great deal towards securing an effective rate of convictions.

Sir, until, the rate of conviction goes up, it is not possible to establish, restore and strengthen the law and order as well as internal security of the country. For this reason, I am confident that this Bill is a need of the hour. Although, it



has been much delayed. The Law Commission in its 87th report in 1980, sent a recommendation to the Govt. of India to review The Identification of Prisoners Act, 1920. Since then, these recommendations of the Law Commission have been deliberated upon at various many forums. Having formed the Government, we consulted the state governments on this issue, made formal correspondence, and got their comments and suggestions.

I stand before the House with this Bill after incorporating all these valid suggestions and a thorough study of the provisions being used for conviction in criminal laws worldwide.

Sir, in its existing form, the law authorises the collection of samples only from a very limited category of individuals. It is essential to have appropriate provisions for this, in the law.

So, I have come up with this Bill. However, I would like to emphasize that when my cabinet colleague, Shri Mishra Ji, presented this Bill in the House, many objections were raised on the Bill. Many judgments of the Hon'ble Supreme Court were quoted. Many Members also expressed their concerns from the perspective of individual freedom and human rights. Their concerns are legitimate. The proposed Bill has duly considered these concerns, and I will cover the same in my reply. Simultaneously, under the leadership of Prime Minister Modi Ji, the Government of India is also drafting a "New Model Prisons Act".

We will share this Model Prisons Bill with all State Governments. There are several concerns that will be covered in this Model Prisons Bill. The concerns range from rehabilitating the prisoners to place them back into society, optimizing the powers of jail authorities and promoting discipline among them, ensure maximum security, security of the Jails, separate prisons for women to the arrangement of open jails, etc. We will be sending the draft of the Model Prisons Bill by incorporating all these things. We have included many things in the Prisons Bill, which I shall appraise you of. I request to view this Bill not



in isolation but in consonance with Model Prison Bill. We also have to admit and acknowledge that if we don't make the changes in criminal identification procedures, we will be lagging in making available the evidence needed by courts to deliver convictions. If not done, it will leave no fear of conviction, and in some way, will not help in the investigation. Hence, I request you all to express your opinion. Later on, I will put forth a comprehensive reply in the House.... (Interruptions)... No, you will not see it, since you are not in the Government. Had you been in the Government, you would have surely gone through it. The Government is drafting it, and I will let you know. What Dada has said, I will present some of its dimensions in the House. I am saying this to assure you in advance.(Interruptions)... No. I never scold anyone. I speak a little louder, which is my manufacturing defect. I never get angry unless it is a question on Kashmir.

Hon'ble Speaker Sir, I humbly request the Members of the House, from treasury or from opposition benches, to see this from a different perspective; the intention of the Government for introducing this Bill is nothing but to introduce the law in a more effective form. There is nothing else but to isolate convicts from society and give them a chance to reform. Our only objective remains to strengthen law and order and internal security in the country. Thank you.

```
• Discussion followed.....In all, 21 hon'ble Members participated.
```

Reply of Hon'ble Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation (Shri Amit Shah) on discussion held on the above Bill (Part -II of the Speech)

From 18.42 Hrs to 19.45 Hrs (Approx)

Hon'ble Speaker Sir, The Bill that I presented in the House, has attracted the views of 21 hon'ble Members of the House from the treasury and opposition benches. They have expressed their view on it. Some of them have supported the Bill, while others have opposed it. Some Members have raised their concerns,



while some of them have highlighted before the House a possibility of misusing various provisions of the Bill. I would attempt to patiently respond to all the observations made and convince the House.

Certain reservations have been expressed; however, the Government is having no thought or intention as such. However, we can definitely state that this Bill has not been brought with any intention of misuse. There is no scope left for misuse of any data, whatsoever, in this Bill. It has been brought in to establish a well- ordered system that takes into account the timely changes that have taken place over the time. This Bill has been brought in to use those changes to secure convictions. I humbly request that those referring to human rights in the context of the proposed Bill should also worry about the human rights of those who are victimised by criminals. Do they not have any human rights? If a girl got raped, a person murdered, or an individual who is robbed of his hard-earned earnings don't they have any human rights. You are worried just about the robber, about the murderer, about the rapist, about whom you are talking. Sir, I wish to state here that this is the Government of Narendra Modi Ji that considers its responsibility to worry about the human rights of law-abiding citizens, and no one can stop us from that. The human rights have many dimensions and cannot be viewed from a particular perspective or narrative. When someone cheats or defrauds the people who live as per law, work hard, toil for their children's future, or someone gets murdered. Do the people who suffer and get left behind in family have no human rights. They do have human rights. And whether you agree with me or not, we consider it our responsibility and it is the responsibility of this House to worry about their human rights. Hon'ble Speaker, Sir, at the very outset, I had broadly stated that human rights can't be viewed from a single lens.

The human rights can be viewed from several angles, and human rights protection also has many dimensions. I wish to say with all firmness that this Bill



has been brought to protect the human rights of crores of law-abiding citizens of the country, and no one should attempt to paint it otherwise.

Hon'ble Speaker, Sir, many things have been said that this law existed since 1920, and hence what was the need for change in the same. Dada, then what was the need to change the regime ? My question is as to why this got delayed for so long? Is there no urgency, even after 102 years? All these things are there in the Bill. Based on scientific research, new dimensions have been incorporated into the Bill. Earlier also, fingerprints were taken. No one ever objected. If Congress Party was so much opposed to this, you were in power for 52 years out of 75 years; why did you not remove the law brought by the British from the statute book? Please be a little measured while speaking of history. You said it came because Salt Law Agitation was launched in 1930, while this law had come in 1920. What are you talking about? Pay some heed to historical facts.....(Interruptions)...I will, indeed, check the record.

Hon'ble Speaker, Sir, this Bill has been brought with the sole purpose of enhancing the rate of conviction in the country. This Bill has been brought to limit the crime incidents by increasing the rate of conviction. This Bill has been brought to send a strong message to society by sending the offenders behind the bars by way of FIRs and convictions. There is no ulterior motive behind the Bill.

Hon'ble Speaker, sir, the Police remains the most visible face of the State and Government. The Police is always the first responder. Police arrests a person but cannot secure a conviction in the courts. This fails to have the desired impact of Police action. With this in mind, in 2014, Prime Minister Modi Ji proposed to the police forces of the country the concept of "SMART Policing ."Here 'S' stood for Strict but Sensitive, 'M' stood for Modern and Mobile, 'A' stood for Alert and Accountable, 'R' stood for Reliable and Responsive, and 'T' Stood for Techno savvy and Trained. I have brought this Bill only to contribute to this 'T' component.



Hon'ble Speaker Sir, it was said that what was the need of it. Let me state that as per NCRB data for the Year 2020, we can get only 44% of murderers convicted, only 39% of the cases in rape, only 24% in attempt to murder cases. It is only 24% in dacoity and only 38% robbery accused get convicted.

If we study data from across the world, the average conviction rate is 83.6% in England, 64% in Canada, 82% in South Africa, 97% in Australia and 93% in the USA. All these countries consider themselves the champions of human rights and have even stricter laws. You have quoted several Supreme Court judgments as well. I will reply to that later on. Hon'ble Supreme Court, in its judgment, has also elaborated upon a second aspect. But after having read a full judgment and highlighting the ideologically convenient parts and ignoring the not so suitable only suggests that we achieve nothing but mislead this House.

Hon'ble Speaker, Sir, this is my personal opinion. I say this because if one has not read the judgment, then it might have been acceptable, but after reading and then quoting it very selectively with partial truth is not appropriate for a Parliamentarian. Hon'ble Speaker, Sir, the nature of crimes has changed, criminals have changed, and criminals use the latest technology to commit crimes, but we are not equipping our Police forces with modern technology. This is like tying down someone's limbs and asking him or her to go and get a gold medal in swimming. Let alone the gold medal, the poor soul will get drowned as you have tied him or her hands and feet. This sort of arrangement does not work in the country. Dada might be having a feeling that we are in a hurry. I, however, believe that we are already have got over delayed.

Hon'ble Speaker Sir, the time has now come for us to change this. For this, Narendra Modi Government of the Bharatiya Janata Party is making many efforts, in addition to this Bill. Adhir Ranjan Ji rightly pointed out that we do not have trained human resources in forensic sciences in our country. We do



not have a trained workforce. But how will you increase it? Did someone worry about it ? But we are very much concerned about it. When Modi Ji was the CM of Gujarat, he established the world's first ever Gujarat Forensic Science University for youngsters to pursue B.Sc., M.Sc and Research in Forensic Sciences and from where shall emerge faculty to meet future training needs. Modi Ji has set up a University endowed with all the necessary technical and infrastructural resources.

Hon'ble Speaker Sir, not only the university has been set up, but its affiliated colleges/campuses have also been established across 6 States. At all places, the Centres for Excellence hava been set up for various branches of forensic sciences. When students from all these institutions start passing out after studying different subjects of forensic sciences, then our conviction rates will go up. There are problems that need solutions. Now someone might even say that forensic science university has been set up to frame the Members of a particular religion. The same words have been said about this Bill. My friend Dayanidhi Maran is not present to listen it. He said something about creating trouble for minorities. In this Bill, the word minority does not exist anywhere. Which lens did he use to read this Bill? I am since trying to find out if my spectacles are defective or if it does not have a technique. The word minority is nowhere in this Bill. From where did they get it? Hon'ble Speaker Sir, You will have to take the initiative to change this type of spectacles after information; otherwise, it might cause a huge problem.

Hon'ble Speaker, Sir, we have created Raksha Shakti University. Some children wish to become doctors or engineers. There are also some who want to work for internal and external security of the country. We have developed a facility for studies in various streams related to internal and external security. For this, we have created Raksha Shakti University. Hon'ble Speaker, Sir, It has been



made, so that rate of convictions gets improved. It has been made to keep our Police and law enforcement agencies two steps ahead of criminals and the ones who are accused of various crimes. There is no need to view it with a suspicion.

Hon'ble Speaker, sir, we have to think about next-generation crimes as well. We have to make efforts now itself to prevent them. We have to make efforts to leapfrog or upgrade our criminal justice system and making it compatible with the next era. We cannot tackle next-generation crimes by means of using the old techniques. Hon'ble Speaker, Sir, this needs to be changed. We have taken several initiatives. That is why I wish to say not to look at this Bill in isolation but as one of several other initiatives. This Bill happens to be only an initiative out of our total set of initiatives. We need to have a holistic view thereof. People have elected the Bhartiya Janata Party Government led by Prime Minister Modi Ji. The Ministry of Home Affairs also established a Modus Operandi Bureau in 2020 to study the modus operandi of different crimes and create penal provisions for the same. We have undertaken an extensive exercise to reform IPC and CrPC. I have written to all Hon'ble Members of the Parliament and Hon'ble Chief Ministers. The Home Secretary has also written to all Chief Justices, Chief Secretaries, and Law Universities.

We are getting suggestions from all. I wish to inform you that when we propose reforms in IPC, Cr. PC, and Evidence Act, we will send it to the Standing Committee or Consultative Committee of the Ministry of Home Affairs. We have no objection, but then you will still raise the point of the majority there. No one wants to run away from debate, but the discussion must be based on logic, realities, and facts. The debate should not be aimed at addressing vote banks but at finding solutions to problems. The discussion must be there to find as to how we can reduce the country's problems and find ways.



Hon'ble Speaker, Sir, we have also sent a proposal to the states for having a Director of Prosecution. We have also undertaken a number of e-governance initiatives. I wish to inform you that today CCTNS happens to be the central IT pillar for the Criminal Justice Delivery System. I am glad to mention that till January 2022, CCTNS has been implemented in 100% of India's 16,390 police stations. The 99% of FIRs are getting registered by using CCTNS. It generates data that, in turn, forms the basis of crime analysis across the country to develop strategies to prevent crime and issue advisories by the Ministry of Home affairs to the States. I am saying this because someone might now stand and say that law and order is a State subject. It indeed is, but can the Centre help where it can, or should it not help? Should that help be welcomed, or should it be declined?

Hon'ble Speaker, Sir, along with CCTNS, we have also sent a model of e-prison, e-forensic, e-prosecution, and e-court to the states. We are strengthening the criminal justice system by using technology along with all these initiatives. This Bill is a part of that process. It does not need to be viewed otherwise.

Mr. Speaker Sir, the e-Prosecution has already been implemented across 751 prosecution districts. The e-Prison has been implemented in 1,251 jails. The e-Forensic has been made operational in 117 forensic labs. I am saying this only to highlight the fact that it does not involve any digression. It is a concerted effort to reinforce the criminal justice system and enhance the rate of conviction. This Bill is a part of that entire effort. That is why I'm presenting before the Hon'ble Members that today CCTNS Software contains more than 7 crore FIRs and 28 crores of Police records are available in national data base.(Interruptions)... Dada, I will tell that also. Do not break my rhythm by interrupting.

Hon'ble Speaker, Sir, we have also brought Interoperable Criminal Justice System (ICJS) to link all initiatives together with all previous efforts. All the initiatives would be integrated through it. Using the Artificial Intelligence



(AI), Block-Chain, Analytics Tools, and Fingerprint system for an indigenous evaluation about which police station has what kind of crime pattern, what type of expertise was required for the officers of that Police station, what kind of the training requirements were there and how the training could be imparted, and the kind of crimes warranting a system to prevent that the requirement of arrangements to stop the district level crimes, all these things would shortly be sent to the states.

We have also launched an Investigation Tracking System for Sexual Offences. A National Database for Sexual Offenders has also been created. Contrary to the apprehensions of several Members, no data leakage has happened from anywhere. The issue of privacy, human rights, leakage, misuse of data, etc., have been addressed. More than two and half years have elapsed; there is no complaint from anywhere. I say it on record that not a single complaint has come of its misuse in any court across the country, as the technology itself does not allow any data leakage or misuse. We have made arrangements to prevent its abuse through the technology itself. Why are we living in such an atmosphere of mistrust? The initiatives of Hon'ble Shri Narendra Modi Ji is an initiative to reduce crime, to strengthen the internal security of the country.

Hon'ble Speaker Sir, the Crime Multi-Agency Centres have also been set up. More than 60,000 people have used Cri-MAC, through which more than 24,000 alerts have gone to different parts of the country, helping Police at various airports, railway stations, and districts and Police have apprehended the criminals.

We have analysed FIRs related to missing persons and shared the data with law enforcement agencies. Because of that, more than 14,000 searches were conducted, and 3,680 missing persons were traced.



I am saying this to allay the apprehensions regarding the database. The whole world is using databases. We also will have to do it. How long will we continue to live in the colonial era? We will have to move with the times.

I would also like to tell you about Vahan NOC. We acquired the record of stolen vehicles from CCTNS and made the chassis number of those vehicles available. This saved 13,636 buyers of second-hand vehicles from being cheated. Such vehicles were impounded. This would never have been possible if there was no software available and there was no analysis or follow up thereof.

The 16,716 proclaimed offenders are on the run from the law; we shared their database with the State agencies. If the criminal from Odisha is hiding in Gujarat, the one from Gujarat in Bengal, and one from Maharashtra in Delhi, then many of them have been caught. Those raising a bogey about the database should know that more than two and a half years have gone by, there is no single complaint from anywhere, and everything is working smoothly. But if, after listening to you, some NGO makes a false appeal, then God only can help.

Under the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4Cs), we have National Cyber Crime Reporting Portal. Dada; I am reading all the names in full forms; we received more than 9 Lakh complaints. Out of which, 18,000 were converted into FIRs. The seven Joint Cyber Crime Coordination Teams have been constituted, covering states and UTs. A National Cyber Crime Training Centre has been set up to train various Police agencies to use these technologies.

Hon'ble Speaker, Sir, bringing all services have been brought under Dial-112. During last seven years, after assuming the office of Prime Minister by Modi Ji, Modi Ji has undertaken multiple initiatives in the field of Forensic Science. We have the established Central FSL in Pune with an investment of Rs. 62 Crores, with an investment of Rs. 50 Crores at Guwahati, and a new modern laboratory



has been established with Rs. 53 Crores, in Bhopal. A new central FSL is being set ups with an investment of Rs. 87 Crores in Kolkata.

The Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh, has been made the repository of DNA and Data Storage Centre and Laboratory for individuals involved in sexual offenses across the country. We have done this in the field of forensic science w.e.f. 2016-17 to 2021-22. Just talking of e-initiatives for the sake of modernization of the Police in the country, the Narendra Modi government has spent an amount of Rs 2,080 crores. I am telling this so that hon'ble Members have no apprehensions.

Now, a question comes up as to how it would be used. Or what will be the result if it is misused, if privacy is infringed or shared with everyone? On Article 14, Article 19, Article 20, I will reply later, but let me first tell you about its use.

The National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) has been introduced. I am giving an example. It is yet to be operationalized as its software is still undergoing trials. However, currently the NAFIS has more than a 1 Crore fingerprints. I am sharing this detail since this technique will be used for the same purpose. The NAFIS data is stored in NCRB; no law enforcement agency has direct access unless required. Then how will it be used? Well, the NAFIS will be connected to each police station through CCTNS.

For example, a theft is committed in the area coming under a police station in Kolkata. One CFSL team goes there and picks up some fingerprints. Today, the police station has to trace the thief from amongst the entire population of Kolkata based on those fingerprints. After NAFIS gets operationalized, it has to feed the available fingerprints into computer systems. In one and a half minutes, the system will scan one crore fingerprints and identify the individual concerned to enable the Police to apprehend the culprit.



Hon'ble Speaker, Sir, the police station gets to know nothing else. Adhir Ranjan Ji said that I had been implicated in the criminal case. Let me make it clear that Modi Ji has never been the subjected to any criminal case. He has made a wrong statement, and he should apologize to the House. No, It has never happened. Please sit down and say what you wish to say later on for tendering an apology. Mr. Speaker, Sir, you have to render guidance that he should speak about the Hon'ble Prime Minister after a thorough consideration of what he wants to say.(Interruptions)... Yes. You have taken, I have heard.(Interruptions)... No, it has never happened.(Interruptions)... Never a case has been registered. Never. Hon'ble Speaker, Sir, I reiterate that there has been no case against Modi Ji. Adhir Ji should apologize to the House. You listen, I have not yet finished. I was saying that this data is not shared with anyone. For the one who wishes to use that data, let me say there is an incident of rape somewhere and a DNA sample has been recovered; it will be sent to CFSL Chandigarh, matching the DNA and saying who the culprit is. The entire data will not be shared, and rules shall also be framed. An operative procedure shall also be created. We intend to retain the best forensic science experts for this purpose, and we have also done it.

But now doubts are being raised to create untenable apprehensions about law by using this largest Panchayat of the country, which is being watched live by 130 crore people, is not correct, and I don't agree with it. You are most welcome to express doubt if it has any basis. Somebody mentioned UAPA. I want to ask who brought in UAPA? One Member said that you brought in amendments to UAPA. I now question when it was misused in our times? I still maintain that POTA was a law in the national interest and was annulled as a part of appeasement politics. I have no hesitation in saying that for we do not indulge in vote bank politics. We have come into politics to make the country more secure, more progressive and make it to the top of the world order. We have never indulged in petty politics. Mr. Chidambaram brought in the UAPA amendment. We had supported it. We



supported NIA also. We too were in opposition, but we did not oppose. But creating an air of suspicion around a law so that people do not develop faith in a law passed by the Parliament is, in my view, not correct. I gave the example of NAFIS to clarify its operation, and that data will be restored in one of the most protected hardware. Anyone who wants access to information will send the sample, and only the result of sample matching will be received back, not the data.

Hon'ble Speaker, Sir, Nishikant Ji was correct when he said that the fingerprints of all of us are on our Aadhar Card. We all submit documents while taking the SIM card. All persons taking SIM cards are not criminals. Should we not collect data even for criminals? If we don't take data, how could we stop crime? I again say that human rights have two angles.

Mr. Speaker, Sir, I do not deny the human rights of those who are accused. But I worry more about those who are innocent and are victims of crime. I worry about their human rights. This priority is natural and required as the victim acts according to the land's law. Will the Government be voted to power by the people not having such discretion? Till yesterday, you were sitting this side and bringing in laws. We never gave speeches like this.

There is a way to oppose it. There are issues to be opposed. There is some logic to the opposition. But to oppose just because you are sitting in opposition is not correct. Laughing will not solve anything, Dayanidhi Ji. Things do not become less significant by being laughed at. You will have to listen.

Mr. Speaker, Sir, many analyses have been done to identify the causes of lack of conviction. The 7.5 lakhs cases are closed each year due to the lack of evidence. Do those who were victims in these 7.5 Lakhs cases not have human rights? If all the evidence were made available, I believe this number would be



reduced by half. This is an achievement of this Bill. Someone asked whether we can assure that there will be no crime after this Bill is passed. What sort of statement is that? And that too in this House! We have Section 302 of IPC. Has it stopped murders? Should we scrap Section 302? What type of logic are you advancing? Do you know the thought and place when you say this? Outside, when you say this makes someone laugh is one thing, but this is our Parliament. At times, about the delay in justice, the courts say that sufficient evidence was not available. The fifteen lakh cases are pending in courts for the lack of firm evidence. Do these people not have a right to speedy justice? Justice can be dispensed quickly when we pursue such electronic initiatives to secure convictions. I believe that justice delivered late is not useful. Justice must be timely, and those responsible for crimes should get punishment. It is only then that the rule of law can be established. If that does not happen, what should the Police do? Should it resort to thirddegree methods? Will we prefer to allow that? Narendra Modi's Government feels that investigation cannot be based on third-degree but must be based on the degree of technology, the degree of data, and the degree of information. The third degree-based investigation should not be done, but Police are sometimes compelled as it is under pressure from legislatures and the media. How then will the work be done? A third-degree is not required if convictions can happen based on technology, data, and information. The technique will be used to get rid of the third degree.(Interruptions)... It happens in many places in Tamil Nadu.(Interruptions)... Please sit down.(Interruptions)... Hon'ble Speaker, Sir, I understand that he doesn't understand Hindi. I have said that Police should not be compelled to go for the third degree. He probably could not understand what I said. Now that he has put his headphone on translation mode, he will appreciate it. Mr. Maran, I never speak in haste nor get angry. I always talk patiently after careful thought.



Sir, this new Bill that has been presented is rooted in the 87th report of the 1980 Law Commission report that recommended to Govt. of India that the 1920 law be amended to make it science-based. Dada is right when he asks why it has been delayed, but you are still opposing and delaying it.(Interruptions)...In right earnest, it has been introduced. It's a good thing. In the same report, the Law Commission had acknowledged that the parameters collected for identification couldn't be limited. We should use modern technology to keep them safe; the concept of limiting them is not correct. That is why I say to those who say, "why is this needed" or "why that is needed" I appreciate your worries and concerns. The Government will make all provisions that it is not misused under any circumstances. Its operating procedures will also be enshrined when rules are framed, taking the services of the best technologists in the given field.

Sir, I will share a small example about human rights and privacy. I simply disagree that we are lagging behind, in comparison to any other country when it comes to protecting human rights. I will give the example of Britain as it is often the source of inspiration for those who talk of human rights. Britain's biological database is the largest in the world. All samples are taken from the suspect at the crime scene, and 60% of convictions in cases in their courts are based only on this database. I am not saying that because since England has done this, we should also follow; I am giving this example to make those people see the things correctly, who put forward the foreign concept of human rights.

Sir, the Act we have at present doesn't provide for taking body samples using modern and new techniques. We have brought this Bill to collect samples using new technologies. But as I told you earlier, we do not wish to use this for anything other than securing convictions. The NCRB has been the nation's premier institution contributing to crime control for many years. It helps the police forces of all states. It is managed by IPS officers, not by political persons.



All the data, data of Aadhaar also is ultimately in the hands of some officers. So, should we stop collecting data? Should we keep records as we did in the 18th century? To what extent will we stretch this atmosphere of suspicion?

Sir, I do not think it is appropriate to create doubts about the role of NCRB. I would like to add that states like Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, and Madhya Pradesh; all these governments, even if not extensively, have already made changes to the 1920 Act. Please download and see for yourself that they have already done so. We have gone beyond it and have consulted all State Governments. We contacted all states, but unfortunately, only 18 of them have sent their comments. Only then have we brought this Bill. Given the time limitations, now this Bill has come. The other states will perhaps see it later.

Sir, it's not that the Government is doing nothing for the reform of inmates in various prisons. We are in the process of a Model Act for which the consultations with the states are just about to conclude. We are bringing a Model Act for jails. It has to be done by the States, but we will send a model Act from here. It will have a comprehensive plan for reforming prisoners and their post-release rehabilitation and their after-care services. It has provisions to codify jail officials' duties, powers, responsibilities, and conduct: maximum-security prison, highest security prison, open jail, women jail, and separate quarters for transgender people; we will arrange all these. We are also arranging separate jails/barracks for women, the same way for women with children. Please note that psychoanalysis is not narcoanalysis. The services of psychological doctors to help prisoners rid themselves of their criminal tendencies will be made available based on the results of their psycho-analysis, not on narco-analysis. We plan to bring into this all three subjects, namely counselling, therapy, and training. We are also providing legal aid to prisoners.



That Act will also allow prisoners to use the wages earned for work while in prison to pay their fines and get an early release from imprisonment. We will relax parole, furlough, and release rules before completing the original term. We are also arranging for the training of prisoners while in jail and strengthening video-conferencing facilities available in prisons.

Hon'ble Speaker, Sir, all I want to say is that country needs to strike a better balance between individual rights and liberties and those of the larger society. Robbing the society of its rights in a quest to protect individual rights is not tenable; how can individual rights be protected, and no government should do any such thing.

Hon'ble Speaker Sir, several Members raised a number of other issues. I would like to reply to them. Several Members, Manish Bhai and others quoted the KS Puttuswami judgment. It has got three exceptions too. When can there be an exception? This will be done through a law passed by a competent legislature, something that this House is. It will be valid in the interest of the nation. The national interest lies in strengthening the criminal justice system and convicting the accused and criminals. We are doing it for the country's sake, and it will not be proportionate. This Bill applies to all those apprehended and not to any section of society. It will not target any category, in particular. For these reasons, the Puttuswamy judgment you quoted is not correct, and it does not apply to this Bill and poses no hindrance in getting it passed.

Thereafter, Manish Ji said that CrPC and IPC are being reformed, but civil society has not been involved in discussion. Manish Ji, I have written you a letter to discuss the matter in the civil society, even you can do that and send me the suggestions received from them. We have written letters to all MLAs, all MPs, All High Courts, and law colleges; which civil society larger than this do you have in mind. We in this Parliament are the largest civil society in this



country, representing 130 crore people of this country. You all should send your suggestions. I don't feel so.(Interruptions)... What you said yesterday, please listen to it carefully? I have heard it with great attention. You made a response about Cr. PC and IPC only, and that is why I am giving this reply.

Hon'ble Speaker Sir, he also asked as to how the NCRB will share the data with law enforcement officers. I have already clarified that data will be shared only in one direction. The complete data is not to be shared with anyone. They will send a query as per their needs. Its specific reply will be sent from here. The data will be kept on a secure stand-alone platform and not shared over any network. Only relevant information will be shared to respond to a specific query. There will be no third-party or private sector partnership for data storage. I wish to assure the House that this will be completely under the control of NCRB.

Hon'ble Speaker Sir, it has been said that samples should be taken under Cr. PC sections 107, 108, 109 and 110. It's already provided that it will be given to no one else other than those ordered to give security. Hon'ble Speaker Sir, He also mentioned about the suspicious Article 21. This does not apply to anyone but only for suspicious persons and those convicted. It will be for such persons only, and the database will be protected with no chance of it being compromised.

Hon'ble Speaker, Sir, there is a provision under many laws. Those who talk of so-called violations of Article 21, in Section 3, there is a provision that those criminals with imprisonment of less than 7 years, if not involved in any crime related to women or children, may refuse to give samples.

Hon'ble Speaker, Sir, there was a controversy on using "may be" and "shall be." Naturally, I should clarify. That "may be" is written because someone can do so if one wants to give data voluntarily. There is no provision of taking after writing "shall be," but "may be" binds the officer. The officer cannot take it.



Consequent to the writing of "may be," the prisoner can say that since I do not have to commit a crime, I take the data. I am talking about "shall not" and "may not." I will respond to it later, Mr. Bhartruhari.

Another issue was raised as to why the data samples have to be kept for 75 years. Suppose there is no leakage; why reduce the number of years. And if it has to leak, it should not be kept even for one year.

Hon'ble Mr. Speaker, today I would like to quote a court judgment – Kathi Kalu Oghad case of 1961 and Ritesh Sinha case 2019. The court says that all types of evidence are supposed to be given when the court orders. There is no objection to it. As per India's constitution (20(3)), there is no compulsion to evidence against oneself. If it is unconstitutional, the court cannot bring it into use. The Bill's provision 6(1) protects Article 23.

Hon'ble Speaker, Sir, It has been said that narco-analysis and brainmapping will be done. It will never be done. I say this on record in this House, and since you have raised this doubt, we will also specify in the rules that we cannot conduct these tests without the prisoner's consent, and we have no such intentions.

Hon'ble Speaker Sir, many Members said, and some who did not speak but they also may be apprehensive, that if they get arrested while agitating in political movements, they would have to give samples. This concern is natural, but its resolution is already built into the Bill. You can decline it until the minimum quantum of punishment for the offense committed is less than 7 years. We will also explore if we can impose restrictions on rules to ensure this.(Interruptions)... I also say now that if it is not clarified in the rules, I will bring an Amendment. Do not worry. If regulations can clarify, then it will definitely be done in rules. Mr. Dayanidhi Maran dwelt upon religious and social dimension. Hon'ble Speaker



Sir, this is for all. There is no need to harbor apprehensions that it may be used against minorities.

The right to privacy was also mentioned. He said that in the Delhi riots, nothing was done. It was a general observation. I want to tell Mr. Maran that 2,473 people have been arrested, 403 charge sheets have been filed, and only 80 have been bailed out. Dayanidhi Ji, all others are still in prison. This is the Narendra Modi Government. Here no one is let off on the basis of the party affiliation.

Hon'ble Speaker Sir, on the violation of Article 21, Ms. Supriya Sule spoke about. I have already said about it. She also talked about the misuse of PMLA. A law can always potentially be violated at an officer's level or any level. But do we not have courts for that. Can't that be challenged? Do we need a regime that does whatever one feels like, but no case will ever be made since they are in politics? What type of dispensation are we looking for? The courts are open to all, but we doubt even the courts. All retain good lawyers then; what is the fear from. Where is PMLA in this? This is only for those who are apprehended, not to initiate an arrest. PMLA example does not even apply here.

Hon'ble Speaker Sir, Shri Bhartruhari Mahtab said he is reminded of POTA, Mahtab Ji; this is not a joint session. Somehow, we have to get the things done. We have to move forward. But if a joint session is called for this, I favour that.(Interruptions)... Bhartruhari Ji, those who so desire will give measurements. Others are not compelled unless the punishment is for 7 years.

Hon'ble Speaker, Sir, regarding issues being raised about data records, I wish to assure you that there will be no misuse. We will be fully concerned about that. The most modern data storage and its utilization techniques shall be deployed. We shall not allow any abuse by anyone.



Mr. Danish Ali has once again said what he always says. He liked it. He liked something. His issue was the UAPA. I can respond to that in detail. But I would like first to bring some facts on records. In 2019, there were 51,56,158 cases registered in the country, and 52 Lakhs were arrested. Only 1,200 UAPA cases were registered, including those linked to narcotics, arms smuggling, terrorism, and getting funds from abroad for terrorism, and only 1948 people were arrested in these cases. What do you wish to say? Do you think you will raise questions and think those working against the country will not be charged under UAPA? It will be applied, and we will surely put them behind the bars. It will not work like this.

In 2020, the 66 Lakh people were arrested, out of which UAPA cases were 796. In 2020, 68 Lakhs persons were arrested, while arrested of UAPA cases were only 1221. In 2019, the 52 Lakhs persons were arrested, while in UAPA cases were only 1900. What misuse-misuse and misuse are you talking about? The UAPA is not against any particular caste or religion, but you talk, you pursue only one caste and religion when something is debated in the Parliament. Keeping in mind the dignity of the House, I am the last person to tolerate this kind of talk, and it will be responded to and responded well. We are not shy of controversy. The people of this country have entrusted us with the country's security. You will not be able to scare us from doing that.

Hon'ble Speaker, Sir, in the end, Dada raised some issues. He mentioned why the Law Commission had not been mentioned in the Bill. Dada, there is no need to mention it. In my speech, I have referred to it that there are many reasons for this Bill. Even if Law Commission had not given this report, I would have brought this Bill. The Government is not bound to get a Bill only on the basis of the Law Commission reports.

But, I am saying that in the year 1980, even the Law Commission had felt the need for this, and when we have brought this Bill, we have considered that report also.



Hon'ble Speaker, Sir, so far as giving powers to non-gazetted officers is concerned, no gazetted officers are available in tehsil or district prisons.

Dada, you wait for a second. I wish to inform you that to become even a Head Constable requires how many years of service? Secondly, we have to adopt a scientific methodology, and many samples will be taken in the FSL. A Standard Operating Procedure will be developed for that; there will be training for that, after that, the States will notify it, and the Central Government will notify it. We are working towards meeting the required training needs for the purpose. So please do not worry at all about its misuse.

Hon'ble Speaker, Sir, finally I wish to say that we cannot afford any further delay in using modern technology to reform our criminal justice system. We need to use all types of available technologies to secure this country, get the criminals punished, and make the country's internal security impenetrable. We have to be result-oriented to make this country safe. Hence, I request all of you to contribute towards passage of this Bill. This Bill deserves to be passed with a unanimous endorsement of this House. All should withdraw their objections so that the Bill can be passed with a unanimous vote. Thank you !

Note: The minor interventions made by various Hon'ble Members, amidst the speech made by Hon'ble Minister, stand omitted for the sake of general continuity in speech. Such non-substantial interventions/ passing comments have been marked as "....(Interruptions)..." in the course of translated version of speech.







Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022 in Rajya Sabha 06 April, 2022

Address by Shri Amit Shah Ji

Hon'ble Union Home Minister & Minister of Cooperation, Government of India



Please scan for speech on YouTube



'Promoting Good Practices and Standards'





The speech delivered by Hon'ble Union Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation, Sh. Amit Shah Ji on 06 April, 2022 in Rajya Sabha (15.10 Hrs onwards)



(Translation from Hindi to English)

The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022

The Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation, Govt of India, Shri Amit Shah: Sir, I move:

"That a Bill to authorise for taking measurements of convicts and other persons, for the purpose of identification and investigation in criminal matters, and to preserve records and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I have come to the House today with an important Bill duly passed by the Lok Sabha on the 4th of this month. This Bill aims to incorporate the changes in the one-hundred-year-old Bill that have taken place in the field of technology, to sharpen the investigation, store this data, analyse it and increase the evidence as much as possible for conviction. Mr. Deputy Chairman Sir, unless the evidence of conviction increases, all efforts to improve the law and order situation in a country would fail. No matter how many people are brought under the ambit of the law by the police or law enforcement agencies, they are not punished until they are convicted in the courts of law. Some criminals habitually commit crimes and have accepted crime as a profession too. Until such criminals are not got punished, this cycle will not break. Secondly, the message that 'crime leads to punishment' does not go into society unless the criminals get punished. Until the criminals are punished, we cannot inculcate the feeling of faith in the constitution, towards law and order and Government in a larger section of society



who live by the law. Therefore, it is essential to increase the evidence for the conviction and it seems that an old law, made during the British times, is not sufficient in contemporary times. The country's Law Commission submitted its 87th report to the Government of India on ' The Prisoner Identification Act, 1920' in 1980. In this report, the Law Commission expressed the need to change the law of 1920 in accordance with the modern trends in the criminal investigation. The Law Commission had also said that the categories of data to be collected for the purpose of identification should not be restricted. The list of all the measurements that can be taken by advanced scientific discovery must continually grow. Simultaneously, the Law Commission had also recommended that the categories of the persons whose measurements are being taken, should also be widened.

The State Governments and the Central Government have also come across similar sentiments, expressed in many judgments at different times. Keeping this theme in mind, West Bengal, Maharashtra, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh and Gujarat, all these states have made many timely changes. However, considering it as a whole, the data storage of measures should be done using the most modern technique, keeping it safe, most efficient software should be used for its analysis so that based on this analysis, the mentality of committing the crime can be detected, what type of crimes are committed in each district, and what kinds of crimes are committed more in each state can be found out. Then, on its basis, the police strategy can be devised to stop the crime in that district and the state and give legal status to such a system; I present this Bill on the table of the House. I would like to go into details of the Bill; however, I would prefer to listen to the views of all the Members first, then I will bring up the minute detail at the time of concluding, after considering all the suggestions, removing all the doubts that might be brought up from the other side.

Finally, I request all the Members to put across their valuable views here, in favour or against the Bill, whatever they may like to.



 	 	 	 	_
			in discussion	
 	 	 	 	-

Reply of Hon'ble Minister of Home Affairs; and Minister of Cooperation (Shri Amit Shah) on discussion held on the above Bill (Part -II of the Speech)

Mr. Deputy Chairman Sir, perhaps he has not heard the full speech of Brijlal Ji. Shri Brijlal Ji has not placed any irrational thing. He has explained the basis of the whole process that he is talking about. He said that people were collectively burnt alive in that heinous incident; an attempt was made by the then Railway Minister to give it a different dimension. At that time, an inquiry commission was working under the chairmanship of a judge appointed by the Hon'ble Supreme Court; still, he formed a committee under the Railway Act by utilizing the Railway Act. That committee concluded that it was an accident; it was not a conspiracy. The Hon'ble Supreme Court rejected the findings. He has said that an attempt has been made to give it a different dimension. It is not an opinion on the committee that was formed; this is the judgment of the Supreme Court that it was an attempt to save those people who killed 60 persons and this is what Mr. Brijlal Ji wanted to say and there is no collective responsibility for the same.

Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. On the Bill that I have moved in this august House today, the 17 Members from Mr. P. Chidambaram of the Congress party to Mr. Brijlal Ji have expressed their thoughts and opinions on it. Sir, some Members have also expressed apprehensions about the misuse of some of its sections that may be misused. Some Members have also raised questions about its constitutional validity, saying that the Bill is not proper according to the judgments given by the Supreme Court in the past. Sir, I will answer all these questions in detail. First of all, as a Minister who brought the Bill, I like to make it clear the purpose of this Bill in the House; I want to place it on record. Sir, the



main objective of this Bill is to increase the evidence for conviction in the cases that go to the courts of law in this country. Sir, this is its primary objective. To build the capacity of the police and forensic team - this is the objective of this Bill, to abolish the third degree and make available scientific evidence to the prosecution agency for conviction - Sir, this is the purpose of this Bill. By keeping the data on a secure platform and sharing it under a defined procedure, so that the privacy of any citizen is not jeopardized and no one's privacy is infringed upon - such a system is established. Sir, I have brought this Bill to the august House with these four objectives.

Sir, a lot of points are raised that by this Bill, we will do this and that, this Bill will be misused, etc, etc. I am also a bit dejected that Jha sahib said that the level of discussion was very good. Then, I want to tell him that Jha sahib, the level of debate is considered good when the issue is debated in a balanced manner. Sir, not a single member of the opposition felt the need that evidence for a conviction should be increased. What kind of criminal justice system do we want? In the criminal justice system in which, 56 out of 100 people get acquitted in murder cases, 60 out of 100 people are acquitted in rape cases, 62 out of 100 people are acquitted in theft cases, 70 out of 100 get acquitted in dacoity cases, 62 out of 100 people who commit juvenile delinquency get acquitted - do we want such a system? Sir, no one has dwelt on the conviction rate in this country. If you do so much research, you could have done this research also and kept it with this spirit. Sir, in the case of a murder in the country, we are able to get only 44 percent of the people punished. I am talking about the primary court, but the conviction falls even more when this judgment gets passed by higher courts. Sir, the conviction rate stands at 39 percent in case of rape, 38 percent in case of theft, 29 percent in case of dacoity, and only 37 percent in cases of crime against children. Don't we want to increase it? No one suggested this. Some could have given good suggestions that it is necessary to increase it, to take so much care,



improve it so much, etc. If that were the case, then I could have believed that the level of discussion has gone up.

Mr. Deputy Chairman, Sir, a lot of were made here about the other countries as well. Their reference was given without studying the laws of those countries. Sir, our law, is an infant when it comes to strictness; the harshest laws have been made in other countries of the world. You see the conviction percentage over there. It is 82 percent in South Africa, 84 percent in the United Kingdom, 64 percent in Canada, 97 percent in Australia, and 93 percent in the United States. Why is this because there the Prosecution Agency has got the support of the Scientific Agency? The prosecution agency proceeds on the basis of Scientific Evidence, Forensic Evidence, so it becomes easy for the courts to punish the guilty and it becomes very difficult for the guilty to escape from the clutches of the law. Don't we want to turn our criminal justice system towards that goal? This Bill has been brought to the House exactly for the objective to take it in that direction or not; therefore, I want to ask whether we will only worry about politics? We respect the political concerns, it is my responsibility to answer your apprehension and I will answer it too; however, one of you would have said that brother, it is indispensable, but take care of this aspect. I have heard patiently everyone's speeches, but no one spoke of it.

The purpose of introducing this Bill is to increase the rate of conviction and make scientific evidence available to our prosecution agencies. There is one tradition in one country. In a democracy, it is natural to have a supporting side and an opposition; it should be there. We want the opposition to be strong, but whoever the public likes, he/she comes here. We want the opposition to be strong, but ultimately it is for the people to decide. Whichever Government is formed, it is established by law and the Government represents the people's mandate. Reading every legislation, every law of the Government, in between



the lines, how appropriate is it, how appropriate is it to form a dark cloud of doubt on the horizon of the country's thoughts? How appropriate is it to mislead the public sentiments and create a fear psychosis in the public's minds about everything under the sky? We have to think somewhere that the party does not form the Government; the party takes its agenda to the public. The people vote and the Government is formed through the process. The Government devises the constitution and formulates the articles of the constitution; we have to take the oath of the constitution. Therefore, raising doubts about every intention of the Government and trying to mislead the people by creating a cloud of suspicion is not proper for democracy.

I see that every step of the Government is weighed on the political scale. Every move of the Government is seen in the language of Government and opposition. Every purposeful act of the Government is seen so that it will be misused or used for so and so purposes. I understand it is natural for you to be sceptical because you abused it when you were in power, but we are not like you. Definitely, we are not. If I say you may not like it, you will say that this is an old thing. The matter is old because the issue would be old only since you were in power in old times. Today you are sitting in opposition, but I do not want to go into it.

Sir, some honourable Members talked about human rights. In the Lok Sabha two days ago, I said that human rights have two sides. I believe that the person who is caught by the law also has human rights; he should also be respected. But the one who is killed, whose family becomes helpless, the person who takes care of the House dies, whether his children have any human rights or not, this House has to worry about this also, should it not do it? Human rights can never be one-sided. When bomb blasts occur, terrorism spreads, thousands and thousands of people get killed and those who die also have human rights; it is not only terrorists



who have human rights. The victims of crimes also have human rights; only the guilty do not have human rights. If the law-making entities will not understand the meaning of good and bad between the two human rights if they do not strike a balance between the two, then whom do we want to protect?

Should we not worry about those who want to live their lives in accordance with the law and whose number is more than 97 percent? Whatever you people have to worry about, we are the people who care about the human rights of 97% of the people who live according to those laws. Sir, we must take care of them.

Sir, everyone has the right to freedom. Many scholars of this House have quoted the judgments of the hon'ble Supreme Court here, but they read only the selective part of their choice from each judgment. It is written further that freedom should be used only to the extent that someone else's freedom is not violated. The freedom does not mean freedom to do anything. There are limits to freedom. The freedom is given in the purview of law, in the ambit of the four corners of the constitution. The interpretation of liberty cannot be used to infringe upon someone else's liberty. This is not freedom. Sir, we also respect freedom. Honourable Fauzia Khan Ji and Sanjay Ji have tried to create an atmosphere of doubt. They have also raised questions, but I want to assure all the Members of this House that neither I nor our Government nor our Prime Minister has any ill intention behind bringing this Bill. The only purpose behind bringing this Bill is to reduce the magnitude of crimes in this country, increase the quantum of punishment to the culprit in this country, improve this country's law and order situation, and strengthen the country's internal security.

Sir, I will further explain how it was said that it would not be misused and privacy would be infringed upon. Sir, all this data will be with the National Crime Records Bureau (NCRB). I want to assure everyone that the data that will come to NCRB and will remain on the secure platform and within a secure hardware.



No third party or private agencies will have any role in data storage. NCRB only will have to manage it. Sir, the data storage of NCRB will be examined by the highest-level committee of the Government and a methodology for sharing the data will also be formulated. For this, a committee of forensic experts and experts in this field will be constituted. The committee will formulate the methodology of sharing data and notify it by explaining it under the rules. Sir, I want to give an example.

Recently a system called NAFIS has been devised in NCRB. In this system, there is the data of one crore fingerprints. If the Members of Rajya Sabha pass this Bill, then this fingerprint data will increase enormously. Now, if a theft takes place in any distant village of any state and the police go and take a fingerprint, then after taking the fingerprint, the police preserves it because when the thief is caught, his fingerprint will be matched to punish him. Chidambaram sahib raised the question of the validity of the fingerprint itself, but the courts are still accepting it, so it will be used to get the culprit punished. After introducing this system, what will happen if there is a theft in any house? Then the police officer will call the forensic science team and take the fingerprints available there. By taking the fingerprints of the people of the House, the fingerprints of the people of the House will be left is the fingerprint of the suspected person who has committed the theft.

Sir, today the situation is such that the Police finds them, takes their fingerprint, and then matches it with the criminal's fingerprint. Once this Bill is passed, it will so happen that the fingerprint will be sent to the NCRB, as the police station will not have access to the entire fingerprints. That police station will send those fingerprints to the NCRB, and NCRB will run and see the data of one crore fingerprints in 3.5 minutes and if the fingerprints of that criminal are in it, then NCRB will send the name of that criminal to that police station so that the



police can get hold of the culprit, thereby there is no need to find that criminal. Now tell me, how will it be a breach of privacy?

Sir, if a woman has been raped, then the biological samples will be collected from the site; this data will be matched with data of those who have committed a crime against woman so that the culprit can be caught quickly and will be convicted and punished within a year. This data will not be given to anyone. The breach of privacy will occur when we provide this data to the police station. The demand will come from the police station and after matching the data, its reply will be sent to the police station, which will be admissible evidence in the court. What could be the objection to this system?

Sir, I want to assure the House that it is not going to breach anyone's privacy. The question of any data leakage does not arise. Its responsibility will be fixed in the rules; the responsibility will be fixed. The authority that maintains the data will be responsible for this.

Sir, nowadays our technology has advanced a lot. Data will not be available without a court order. When data is given, its time will be recorded in the computer clock, which will have a computerized register. It will also record the fact that on which agency's demand this data was accessed.

Sir, neither the Hon'ble Member of Parliament should be concerned about this, nor should the public have any doubts. After complete deliberations, we will notify it. Only after making the complete system and discussing its rules with all the experts; we will notify it. I am saying this because if your apprehension is not politically motivated, its removal is necessary. I do not believe that all the people's doubts are politically motivated; that's why I have tried to explain them.

Sir, in the year 2014, the Prime Minister of the country, Hon'ble Modi Ji, put an interpretation of SMART policing to the country's people, and he made that



interpretation very clear. Unless the policing system in this country is changed, the evidence for conviction is not increased in this country, the magnitude of crimes cannot be reduced.

Sir, for SMART Policing, he had said that 'S' stands for Strict and Sensitive; 'M' for Modern with Mobility; 'A' for Alert and Accountable; 'R' for - Reliable and Responsive; 'T' for - Trained and Techno-savvy. Sir, this Bill is going to address this 'T.' The BPR&D and NCRB and the Departments of the Government of India are going to take up the responsibility to train the police officers and officers of all the prisons across the country for its technology. We will train them and make them techno-savvy, then only the intention of this Bill will be fulfilled.

Sir, this House will also have to contemplate whether we do not want to move forward; do we want to remain where we are? To play Gulli-danda of politics, will we not consider the country's progress? There are many things to do in politics. When I went to Bengal for elections, you do the politics and then we will try our politics; who is scared? We are not afraid, but as far as the protection of the public is concerned, the question of their safety, the question of strengthening the police and the question of punishing the guilty are concerned, I think no one should do politics in the matter. The Bill that I have come up with is not only our singular effort. In the last two and a half years, the Home Department has done many things to realize Modi Ji's interpretation of Smart Policing.

The Ministry of Home Affairs is working upon eight points that Modi Ji has expounded. If this Bill had come in isolation, then the doubts would have deepened about what would happen with a single Bill, but it is not so; we are also creating an environment for this, and this Bill is one of many efforts; it is not in isolation.



Sir, we have established Forensic Science University; why? We have established the Forensic Science University because there are many reports that forensic evidence should be made compulsory under all the sections punishable by over 6 years; we can do it, but where is the trained workforce for it? We do not have that work force resources, so what to do? Should we not promote forensic science? Should we not go for forensic evidence and promote it. It must be promoted. When Modi Ji was the Chief Minister in Gujarat, he established the Gujarat Forensic Science University. After becoming the Prime Minister, we established the Forensic Science University in 2020 so that the students who will pass out from there with BSc Forensic Science, MSc Forensic Science and there will be students doing R&D in every genre will also pass out from this university.

Sir, today within two years, this university has opened campuses and colleges attached to this university by signing agreements with the state governments of 6 states. I am sure that within few years, many students from these universities and their affiliated colleges are going to pass out, who will not only strengthen the country in the field of forensic science but will also bring laurels to the country. The graduates of these forensic science universities, who would pass out, will help the prosecution agency by strengthening the scientific base of forensic science for bringing criminals to justice in the criminal cases.

Sir, our effort is not in isolation; we created Raksha Shakti University in 2020. Some children dream of becoming a doctor since childhood, some children dream of becoming a lawyer, some children dream of becoming a journalist, some dream of joining politics, similarly many children have the intention that they should work in the field of defence, they want to make a career in the field of defence, but there are no specialized courses for them. The student undergoes BSc, BA, and B.Com courses, then appears in the exam; if he is physically strong and fit, he gets selected; after that, he is trained. Therefore, we thought, why not



to create such a university that will build specialized human resources for all the disciplines related to defence and develop experts. There are many disciplines associated with the field of defence. We established Raksha Shakti University to train and build experts for every discipline of the defence by letting them undergo specific training and study and the Raksha Shakti University is going to increase the number of affiliated colleges all over the country in the coming days.

Sir, we must understand the next generation crime and break its circle. We want the police, the country's law enforcement agencies, to be two steps ahead of the criminals, not vice versa, so we need to equip the police. If you handcuff the police by letting in the issues of human rights, privacy, etc., then the police would not be able to function efficiently and it is like tying their hands and asking them to enter into the swimming pool to swim and bring a gold medal, they will not be able to come with the gold medal, their hands would have to be strengthened. We need to strengthen their hands; we also need to equip them with weapons. This effort is to empower the Police and law enforcement agencies.

Sir, we cannot handle next-generation crime with the archaic methods, we also have to adopt next-generation technology and equip the police with it and the police will have to be trained in it. The Government of India has created Modus Operandi Bureau under the guidance of Modi Ji. This bureau analyses the records of crimes that come to the NCRB from across the country and studies the modus operandi of people who commit specific types of crimes.

The discussion takes place on this, solutions are searched and those solutions are sent to the police across the country through BPR&D. We have also taken this new initiative. We are also going to make changes to IPC, CrPC and Evidence Act. These have become quite outdated. These need to be changed. I have also written letters to all the Hon'ble Members of Parliament that they must send if they have any suggestions on this; we are devising it now. As far as



referring the issue to Standing Committee is concerned, it would be referred to the Standing Committee; I assure you, once the reforms in all three laws related to CrPC, IPC, and Evidence Act are amended, we will definitely forward it to the Department Related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs and after examining it there, we will get it here. I have no objection to that, but such significant changes are not happening through this Bill. I'll explain this later. I am speaking on its imperative. I have to answer what Chidambaram sahib and others have said.

Dear Sir, apart from this, we have also written a letter to all the states regarding the office of the Director of Prosecution. There should be a Director of Prosecution, who should monitor the prosecution agency and the police of every state to ensure that prosecution work is done correctly. We have also taken a host of e-governance initiatives. I want to dwell upon the e-governance initiatives because after listening carefully to all the apprehensions which are being expressed; I am sure these apprehensions will be removed in two minutes.

Sir, there is a network system called CCTNS of the Government of India. I would like to inform this august House that 16,390 Police Stations, which means 100% of police stations have adopted the CCTNS network and police stations across the country have been connected to the CCTNS network. In 99 % of police stations, FIRs are now directly lodged/registered with CCTNS. Sir, the 7.47 crore FIRs are available under the CCTNS network - I want to tell those who talk about data leakage. Sir, Union Territories, State and Central Investigation Agencies, all these agencies and State Police are also using this network.

Sir, we have also launched the e-prosecution. The e-prosecution has been implemented in 751 districts. To date, no complaint has been received. The e-prison has been implemented in 1,259 prisons; no complaint has been received. The e-forensics has been implemented in 117 forensic labs; it has come



online, and to date, no complaint has been received. The Interoperable Criminal Justice System (ICJS) has also come into force. Under ICJS, the work of linking CCTNS, e-prison, e-court, and e-forensic has also been initiated. The analytical modules have also been formed from that integrated database, which will analyse the crimes across the country and create modules to stop them. There are many States where there are similar types of crimes; there are many districts where similar kinds of crimes take place and there are some districts on the coastlines where different types of crimes take place; Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Bihar have to come across different types of crimes, where there are plain areas, there are some hilly districts, crimes of these districts are different. We analyse all these data from this integrated database with an analytical module and send its solution to BPR&D. The meaning of Home Ministry is very limited in your mind. I did not want to say much, but having the kind of interpretation of my Ministry in your mind, I felt I would have to change it; that is why I am talking in such detail today.

Sir, we have also implemented the Investigation Tracking System for Sexual Offenses (ITSSO). This system has been implemented in the entire length and breadth of the country. The National Database of Sexual Offenders (NDSO) is also available online. The data of about 11.83 lakh sexual offenders is available online to the agencies; no complaint has been received.

The Cri-MAC (Crime Multi-Agency Centre) has also been launched. About 95,739 people have used Cri-MAC, and it has also generated about 23,903 alerts. Sir, I have already told you about Modus Operandi Bureau. The NCRB has started a citizen services portal, after the launch of which 2,27,400 people have been logged into it so far, and they have been answered under different services. We have created a separate facility for the search of missing persons by linking it to CCTNS. If any person goes missing, his details come on the portal, which has



a database and the missing person's data is matched with that. I want to inform the House that 14,513 people have been united with their families by using this portal.

Sir, if someone wants to buy a second-hand vehicle, then he/she does not know whether that vehicle is a stolen one or a genuine one. When people buy it, after that the police reach their houses and catch the thief as well as the buyer; therefore, the buyer should know the status of the vehicle in advance; for this, we have collected the details of the complaint of stolen vehicles in the CCTNS and created a database of the stolen vehicles from it. Sir, about 2,96,200 people, sent the data of the vehicle they intended to buy, which were matched with the database, and replies were sent. Due to this procedure, 13,637 thieves were also caught and stolen vehicles were seized. I want to dwell upon its use and benefits.

Sir, the data of proclaimed offenders, have also been inducted on CCTNS and all the analytical modules are analysing it. From the list of proclaimed offenders sent by our police stations, TI, IG, and DG police of different states, 16,176 proclaimed criminals and absconders have been arrested by using this network. Sir, we have also spent a lot on the analytical tools of ICJS; the Government of India has spent about 2,050 crores on developing all these mechanisms/arrangements. This Bill is a link to connect all these mechanisms. I am stating it to underline that this Bill is not devised in isolation. We do not have data on criminals. With the induction of criminals' data, the investigation and prosecution will become very easy.

What's there to scare? What are you afraid of? Many more different services have been utilized through I4C and the work of bringing all police services to one phone number through the 112 number has been done by the Government of India under the leadership of Modi Ji. Sir, I wanted to tell you that an attempt has been made to put us in the dock, but there is no political motive behind this



move. Neither such feeling should run in the minds of the public, nor should such sentiment be felt in the minds of the members of the House. We also know that in a democracy, this chair is not "Yaavat Chandr Diwakaro" (Permanent like the existence of Moon and Sun). Tomorrow anyone else can sit on it, then I may also feel the fear of its misuse, but I do not think, because if there is a misuse, then there are courts of the country – there have been misuses, we have come out fighting and also got slapped in the court. Sir, we do not live by fear. Should we not take measures to fight and protect crores of people of the country being under any kind of fear from the world of crime. This is neither the right thing nor an appropriate way to think. Sir, the evidence to convict, is less on this subject; many committees and many people have submitted reports to the Government of India after lengthy deliberations. Primarily three reasons have been cited for the same; one among them is the lack of evidence. In 7.5 lakh cases per year, the accused are acquitted due to lack of evidence, as courts say there is insufficient evidence. If we place the scientific evidence in the cases before the courts, then I believe that the number of such cases will be reduced by half and in about 3.5 lakh cases, we will be able to increase the evidence for a conviction.

Hon'ble Deputy Chairman, Sir, I want to refer to the wait for justice. The court repeatedly asks the prosecution agency that they should bring more evidence. Due to this, the dates get deferred and justice gets delayed. The poor one who is innocent also continues to remain an accused. When the dates keep deferring, the Government fights this side, but there are many poor people among those accused; their houses & households are sold and they get buried under its burden. If prompt and speedy justice is given, such things will not happen. I believe that if we increase the proofs of scientific evidence, then justice will be delivered quickly.



Sir, something was asked about the objective of introducing this Bill. Although I have stated its purpose, I want to state another objective. The investigation should not depend on a third-degree method at this age. We want to shift the investigation from the third degree to the technology degree, to the data degree to the information degree. Everyone would agree that investigation should not be done on the basis of a third degree. When will it end? When we give it the support of scientific evidence, then it (third-degree) will end; that is why I have come up with this Bill.

Sir, there is a lot to speak about; however, I will share many things in the second part of this discussion. Some Members have also asked different questions and expressed doubts and I believe that it is their right. First of all, Shri Chidambaram Ji asked that the Home Minister should clarify whether the narcoanalysis, brain mapping, and polygraphy test come under the interpretation of this measurement or not? I wish to state that it doesn't come under measurement. None of the provisions of this Bill allows narcoanalysis, polygraphy test or brain mapping of any prisoner; I go on record with this statement, so no one needs to be sceptical about this. He further asked whether the directions given in the Puttuswamy case were being violated. I would like to state that there is no violation even of the slightest degree.

In the Puttuswamy case, three exceptions have been given to avoid overlapping the people's liberties - first, such a law should be made by a competent legislature and I believe that it is a competent legislature, Chidambaram sahib would also agree to it. Secondly, it should be in the legitimate interest of the country; what can be a bigger legitimate interest of the country than punishing those who have committed a crime? So, it is also in the legitimate interest of the country. Thirdly, it must be proportionate. Sir, I do not have any doubt that this law is also proportional. We have come up with this law to strengthen the



hands of the enforcement agencies and to strike a balance between proving the crime and thereby protecting the fundamental rights of the persons who are the victims. Right now, it is one-sided because there is no provision for the right of the one who is the victim, whose rights are being compromised. This law protects the victim and punishes those who commit crimes. Therefore, it does not violate the directions given in the Puttuswamy case. He referred to the violation of fundamental rights under Articles 14, 19, 20(3), and 21. I have addressed this issue. He referred to para 3. That is fine because anyone who reads the Bill will say the same thing; if I read it, I will also say something, but I want to make it very clear that the Government of India has the right to make rules under para 3. We will interpret this also and make sure that no one involved in a political movement will have to give measurements just for the political movement.

But if a political leader is arrested in a criminal case, then he will have to be treated at par with the general public. No political person will be named for such violation of Police orders or any kind of prohibitory orders; no political person will be named for such violation; I am assuring the House. For this, we will also make provisions in the rules. We have also reserved the right to formulate rules, in this regard. Those who have read the Bill carefully will know this. Sir, if the citizen demonstrates, there will be a case against him; I have talked about this. Sir, I have spoken about the Puttaswamy case.

Sir, Binoy Viswam Ji said that the Government is imposing Section 124A. We are not in favour of the abuse of 124A, but Binoy Viswam Ji, why are you raising the issue of 124A being a Communist Party MP from Kerala? You have killed people! The hundred people of my party were killed in Kerala for political reasons. They lost their lives, and you are explaining 124A to us! What are you presenting to us about 124A?



I am not going to admit about 124A that we will misuse. All I say is that at least the Communist Party worker from Kerala, the MP, should not have raised this question. There are many such instances. Sir, if they so desire, I am ready to place the answers given by some other Government on the table of the House and not my government. I am prepared to table the answers given in the question-andanswer session of the Kerala Legislative Assembly. I do not make irresponsible statements. Viswam sahib, it has been 27 years since I worked in any legislature, whether Vidhan Sabha or Rajya Sabha. I do not make irresponsible statements.

Sir, one Member has asked if I can answer, looking into his eyes. Yes, I can answer by looking into one's eyes; if one dares to ask a question looking into my eyes. I can definitely give it, and I can give it at any forum because I do not have guilt in my conscience. According to the law, we do what our Soul tells us, and we do what the Soul agrees. Sir, I do not mind that someone should ask a question with face to face; I will definitely answer it face to face.

Sir, Sanjay Singh Ji mentioned about the FIR in Gujarat. I want to inform Sanjay Singh Ji through you that you have just gone to Gujarat now; I don't know whether there has been any FIR against his party or not; if something wrong has been done, it may have happened, but go to Bengal, you will lose your life. Thank God, you haven't been there yet. Sir, they ask if I have gone over there! I went there during the 2019 election; the fireballs were thrown at my roadshow. Our national president J.P. Nadda had gone, his car was surrounded and was attacked heinously. What are you asking? How can you refuse? It is on record. Sir, the court has taken a cognizance of this.

Sir, Sukhendu Shekhar Rai Ji talked about the DNA profiling of SC, ST, and minorities. I want to tell the entire House whether there is any word of ST, SC, and Minority in it? Sukhendu Rai Ji, what kind of spectacles do you use to read? With what lens do you read the Bill? You have spoken. I have noted



listening to it. Sir, why look at the caste and religion of an under trial? Those, who are under trial, are all equal in the eyes of the law. Why should we know the caste or religion of a criminal, and why should it be seen?

Sir, they have claimed it as a fascist Bill. I can't comment much. * must be watching on the TV, they all stand up to improve their CRs, so I don't want to comment much. But the harshest interpretation of the word 'fascist' has been changed by the Government of Bengal. Sir, the new definition of fascist Sir, I withdraw the name of *. You sat down, and I withdrew myself. I withdrew the name of *. Sir, the Government of Bengal has given a different dimension to the word "fascist," which is different from the definition. Now, at least don't give reference to the word 'fascist.' Sir, now, in the end, I want to say only this.

Sir, in the end, I just want to say that the Government's intention behind introducing this Bill is not to violate the privacy of any citizen; it is not to infringe upon the human rights of any citizen. Someone's privacy gets breached, and someone's human rights are violated; we will not keep such loopholes. I want to assure you that this Act and rules thereof will make an excellent and robust system, which will definitely help the law; however, it will not violate anyone's privacy and human rights. Thank you.

Note: (*) denotes Expunged.






मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और मंच पर आसीन गणमान्य अतिथिगण



मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव



मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी आगंतुक पंजिका में टिप्पणी लिखते हुए



मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी और मंच पर आसीन गणमान्य अतिथियों द्वारा ब्यूरो के प्रकाशनों का विमोचन